# साहित्यिक हिन्दी का प्रयोजनमूलक सन्दर्भ
## (प्रेमचन्द के उपन्यासों के आधार पर)

# THE FUNCTIONAL ASPECT OF LITERARY HINDI
## (Based on the novels of Premchand)

**By**
आर. फिलोमिना अम्माल
**R. PHILOMENA AMMAL**

**A Thesis Submitted to**

**AVINASHILINGAM INSTITUTE FOR HOME SCIENCE AND HIGHER EDUCATION FOR WOMEN - DEEMED UNIVERSITY**
**COIMBATORE-641043**
**IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF**
**DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HINDI**

**SEPTEMBER- 2001**

# CERTIFICATE

This is to certify that the dissertation entitled **"The Functional Aspect of Literary Hindi" (Based on the novels of Premchand)** submitted to Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women (Deemed University), Coimbatore in partial fulfillment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy in Hindi is a record of original research done by **R. Philomena Ammal** during her study in the Department of Hindi, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women (Deemed University), Coimbatore under my supervision and guidance and the dissertation has not formed the basis for the award of any Degree/Diploma/Associateship/ Fellowship or similar title to any candidate of any other university.

S. Nagalakshmi.

Date. 28.9.01

**Signature of the Guide**

# DECLARATION

I hereby declare that the dissertation entitled **"The Functional Aspect of Literary Hindi" (Based on the novels of Premchand)** submitted to Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women (Deemed University), Coimbatore in partial fulfillment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy in Hindi is a record of original research done by me under the guidance of **Dr. (Mrs.) S. Nagalakshmi, M.A. (Hindi), M.A. (Eco.), M. Phil., Ph.D (Hindi)**, Professor and Head of the Department of Hindi and that it has not formed the basis for the award of any Degree/Diploma/Associateship/Fellowship or similar title to any candidate of any other university.

S. Nagalakshmi

Signature of the Guide

R. Philomena Ammal

Signature of the Candidate

# आभार–प्रदर्शन

# आभार–प्रदर्शन

अविनाशिलिंगम विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर की माननीया कुलाधिपति महोदया पद्मश्री डॉ.श्रीमती राजम्माल.पी.देवदास एम.ए., एम.एस-सी., पी-एच.डी., डी.एस-सी.(मद्रास), डी.एच.एल.(ओरिगनस्टेट), डी.एच.एल. ओहियोस्टेट), डी.एस-सी.(आजाद कृषि विश्वविद्यालय,कानपुर) और कुलपति महोदया श्रीमती डॉ.चन्द्रमणि एम.एस-सी (बरोडा)., एम.एड.,पी-एच.डी.(मद्रास) के प्रति मैं सर्वप्रथम अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस विश्वविद्यालय में पी-एच.डी कोर्स में प्रवेश दिलाते हुए इस शोध कार्य को करने का अवसर दिया। इस विश्वविद्यालय की कुल सचिव महोदया श्रीमती सरोजा प्रभाकर एम.ए.,डिप.एड.,पी-एच.डी. का भी मैं आभारी हूँ। संकायाध्यक्षा महोदया श्रीमती रामतिलगम एम.ए.,एम.फिल.,पी-एच.डी.,के प्रति भी मैं आभारी हूँ।

मैं अपने महाविद्यालय निर्मला कॉलेज, कोयम्बत्तूर की माननीया सचिव महोदया सिस्टर डारिया, एम.ए.,एम.एड., और प्रधानाचार्या सिस्टर निम्फा एम.एस-सी., एम.फिल. (गणित) के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे शोधकार्य करने की अनुमति दी एवं हर कदम पर प्रोत्साहित किया।

मेरा यह शोधकार्य अविनाशिलिंगम विश्वविद्यालय,कोयम्बत्तूर की हिन्दी विभागाध्यक्षा एवं प्रोफेसर और निर्देशिका श्रीमती सु.नागलक्ष्मी एम.ए.(हिन्दी), एम.ए.(अर्थनीति),एम.फिल.,पी-एच.डी.(हिन्दी) के सुयोग्य निर्देशन में हुआ है। आपके प्रोत्साहन तथा सही निर्देशन के कारण ही इस शोधकार्य को हिन्दी साहित्य–जगत के सम्मुख पेश करने में मैं समर्थ हो गयी हूँ। उनके प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।

इस अभियान में हैदराबाद की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ. दिलीपसिहं के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस विषय की उपादेयता पर पर्याप्त बल दिया है और अमूल्य सुझाव देकर सही मार्गदर्शन प्रदान किया है।

अंत में मैं श्री.पी.एस.भास्करन के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने शोधप्रबंध के कम्प्यूटरीकृत टकंण में भरपूर सहयोग दिया।

.....

# प्राक्कथन

# प्राक्कथन

आज के वैज्ञानिक युग में हर कहीं प्रयोग, अन्वेषण एवं अनुसन्धान का ही बोलबाला है। भाषा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। भाषा के दो प्रमुख आयाम हैं – एक उसका सैद्धान्तिक पक्ष, दूसरा उसका व्यावहारिक पक्ष। किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरणिक क्षमता को प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही प्रयोगकर्ता को भाषा प्रयोग दक्षता – communicative competence – का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरिणक प्रयोग, भाषा–प्रयोक्ता को यह नहीं बतलाते कि उसे कब और कहाँ, किन भाषायी रूपों का प्रयोग करना है। चूँकि भाषा, संस्कृति से बंधी है, भाषा–अधिगमन की प्रक्रिया के साथ, संस्कृति–अधिगमन की प्रक्रिया भी स्वभावतः जुड़ी है। इसी प्रकार भाषिक – नियम – क्षमता – linguistic competence – के साथ ही साथ, भाषा–प्रयोग–दक्षता – communicative competence सहज भाव से जुड़ा है। आज की शिक्षा–व्यवस्था में जो छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, उनकी असफलता का मुख्य कारण यही है कि भाषा में उनकी दक्षता अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती।

भाषा–प्रयोग की यही दक्षता भाषा के प्रयोजनपरक पहलू के मूल में है। दूसरे शब्दों में कहें, तो इसे संप्रेषणात्मक कौशल कह सकते हैं। अर्थात्, संप्रेषण, प्रकार्यात्मक आयाम का केन्द्रबिन्दु है, तो व्याकरण, संरचनात्मक आयाम का। संरचनात्मक पहलू को भाषा का सैद्धान्तिक पक्ष मानें, तो संप्रेषणात्मक पहलू को उसका व्यावहारिक पक्ष। यद्यपि सिद्धान्त एवं व्यवहार का अटूट नाता है, फिर भी आज तक हम भाषा के सैद्धान्तिक पक्ष की ही जानकारी प्रदान करते आए हैं और उसके व्यावहारिक पक्ष पर हमने ध्यान ही नहीं दिया है। परन्तु आज की यह मांग है कि भाषा के प्रयोजनपरक एवं व्यावहारिक पहलू पर अधिक से अधिक बल डाला जाए। अर्थात् भाषा की संरचना की अपेक्षा उसके संप्रेषणात्मक एवं प्रयोगात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाए, ताकि हर

व्यक्ति उसके व्याकरण और साहित्य तक की ही जानकारी प्राप्त न करें, पर समाज की बढ़ती मांग के अनुरूप आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त प्रयोजनमूलक भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करें। हिन्दी भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। वह भी आज हिन्दी के राजभाषा घोषित हो जाने के पश्चात् उसके प्रयोग–क्षेत्र की बढ़ोत्तरी हो गयी है और आज हिन्दी का प्रयोजनपरक पहलू सशक्त होता जा रहा है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी पर विचार सबसे पहले केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की एक संगोष्ठी में 1975 में हुआ; एक पुस्तिका भी छपी। सर्वोत्तम भाषा वैज्ञानिक डॉ.कैलाशचन्द्र भाटिया, डॉ.सुरेशकुमार आदि ने इसके भिन्न–भिन्न पक्षों पर विचार किया। बाद में डॉ .तिवारी ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के सात रूप गिनाकर पहले रूप के अन्तर्गत बोलचाल की सामान्य हिन्दी को और सातवें रूप के अन्तर्गत साहित्यिक हिन्दी को सम्मिलित कर दिया है। इस संबंध में ऐसी ही स्थिति कुछ अन्य सम्बद्ध विद्वानों की भी है।

जब विद्वानों ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रुपों में साहित्यिक हिन्दी को भी स्थान दिया, तब स्पष्ट है कि साहित्यिक हिन्दी, प्रयोजनमूलक हिन्दी का ही अंग है। इसमें कोई सन्देह ही नहीं है।

इन विद्वानों के विचारों को ध्यान में रखकर ही मैं ने अपने शोधप्रबन्ध के लिए ' साहित्यिक हिन्दी का प्रयोजनमूलक सन्दर्भ ' शीर्षक चुना और इसके अन्तर्गत प्रेमचन्द के उपन्यासों की भाषा पर विचार करके शोधप्रबन्ध लिखने का प्रयास किया है।

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध ' साहित्यिक हिन्दी का प्रयोजनमूलक सन्दर्भ (प्रेमचन्द के उपन्यासों के आधार पर) ' पाँच अध्यायों में विभक्त है।

प्रथम अध्याय – ' साहित्यिकि और प्रयोजनमूलक हिन्दी–अवधारणा और विस्तार क्षेत्र ' में साहित्यिक और प्रयोजनमूलक हिन्दी के स्वरूप, प्रकार, तत्व और उसके विविध रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

द्वितीय अध्याय – ' प्रयुक्ति संकल्पना ' में प्रयुक्ति की संकल्पना को समझाते हुए उसकी संरचना के तीन प्रमुख आयामों–वार्ता–क्षेत्र, वार्ता–प्रकार और वार्ता–शैली का सविस्तार विश्लेषणात्मक विवरण दिया गया है। तत्पश्चात्, प्रयुक्ति के विविध रूपों का, विशेष रूप से साहित्यिक प्रयुक्ति का विवरणात्मक परिचय दिया गया है।

तृतीय अध्याय में प्रेमचन्द के व्यक्तित्व एवं रचना–संसार तथा भाषाशैली की विशिष्टता का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

चतुर्थ अधयाय में प्रेमचन्द के उपन्यासों में प्रयुक्त लोक प्रयुक्तियों और विभिन्न साहित्येतर प्रयुक्तियों पर प्रकाश डाला गया है।

पँचम अध्याय में प्रेमचन्द के उपन्यासों में प्रयुक्त सामाजिक प्रयुक्तियों–मुहावरों, कहावतों, एवं सूक्तियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

उपसंहार में उपर्युक्त अध्यायों के आधार पर समग्र मूल्यांकन दिया गया है।

**अनुसन्धान का उद्देश्य : (Objectives)**

यह निर्विवाद सत्य है कि भाषा के हर रूप के मूल में, चाहे वह सामान्य भाषा हो या साहित्यिक, प्रशासनिक हो या वैज्ञानिक, प्रयोजनमूलकता होती है।

यह प्रयोजनमूलकता ही भाषा का प्राणतत्व है। भाषारूपों में प्रयोजनानुकूल और परिवेशगत तथा सन्दर्भगत परिवर्तन होता रहता है।

1. साहित्यिक हिन्दी का भी अपना परिवेश और अपना खास प्रयोजन होता है। उसकी प्रयुक्ति, उसकी विशिष्ट शैली में होती है, जो उसका स्वरूप है। उस शैली का अपना सार्वकालिक महत्व है। उस विशिष्ट शैली एवं प्रयुक्ति की प्रयोजनीयता रसिक पाठकों को आनन्द प्रदान करता है। साहित्यिक हिन्दी के इस प्रयोजनमूलक आयाम को प्रकाश में लाना ही इस शोधप्रबन्ध का **सर्वप्रथम उद्देश्य है।**

साहित्य में भी कथा साहित्य की भाषा अन्य विधाओं की भाषा से अधिक सहज बोधगम्य और जनभाषा के अधिक समीप होती है तथा लोकप्रयुक्तियों से परिपूर्ण है। इसीलिए प्रस्तुत शोधप्रबन्ध के लिए प्रेमचन्द के कथासाहित्य को आधार बनाया गया है। और इसके द्वारा साहित्यिक हिन्दी के प्रयोजनमूलक संदर्भ को समझाने का प्रयास किया गया है।

2. प्रेमचन्द के कथासाहित्य में, विशेष रूप से उनके उपन्यासों में प्राप्त विविध प्रयुक्ति–क्षेत्र से संबंधित शब्दावली पर विचार करना, इस शोधप्रबंध का **दूसरा प्रमुख उद्देश्य है।**

3. अध्ययन के दौरान यह जाँच करके निष्कर्ष निकालना कि प्रेमचन्द के कथा साहित्य में कौन–सी शब्दावली या प्रयुक्ति अधिक स्थान पा चुकी है – **शोधप्रबन्ध का अंतिम उद्देश्य है।**

**साहित्यिक प्रयुक्ति :**

साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। इस रूप में कहा जा सकता है कि हिन्दी भाषा की सबसे अक्षुण्ण प्रयुक्ति ' साहित्यिक ' मानी

जा सकती है। लेखबद्ध साहित्यिक भाषा काफ़ी विशेषताएँ लिए होती है। इसलिए वह लेखकों तथा विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। साहित्यिक भाषा में जनसामान्य के जीवन के साथ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का आलेख पाया जाता है।

हिन्दी का साहित्यिक लेखन, इधर एक नया रूप धारण कर रहा है। पहले साहित्यकार व्यसन के लिए लिखनेवाले थे। पर अब अधिकांशतः व्यवसाय के लिए लिखने लगे हैं। पत्रकारिता और साहित्य का क्षेत्र आज बहुत करीब हो चुका है। साहित्यकार आज पत्रकारिता के क्षेत्र के सर्जनात्मक लेखक बनते जा रहे हैं।

मेरा यह विचार है कि मात्र अत्याधुनिक साहित्य में ही प्रयुक्ति का विकास नहीं हुआ है, परन्तु उसके पूर्व भी हिन्दी साहित्य में इन प्रयुक्तियों का अवलोकन किया जा सकता है। साहित्यकारों ने जाने–अनजाने ही उन विविध प्रयुक्तियों का प्रयोग किया है, जो साहित्य क्षेत्र की अपनी संपत्ति है।

हिन्दी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परम्परा बहुत पुरानी है और हिन्दी साहित्य की प्राचीन विधाओं में भी प्रयोजनमूलक तत्व पाये जाते हैं। साहित्य, भाषा के विभिन्न प्रयोजनों में से एक प्रयोजन है और उसकी भाषा का एक अलग स्वरूप है। साहित्य में भी कविता, निबन्ध, नाटक आदि की भाषा के अलग–अलग रूप होते हैं। वे ही रूप साहित्यिक हिन्दी को संपन्न बनाते हैं। इन रूपों को ही हम साहित्यिक भाषा की प्रयुक्ति कह सकते हैं।

काव्य के लक्षण एवं नाटक और कथा साहित्य के तत्व परिभाषित हैं। उदाहरणार्थ–काव्य में रस, छन्द, साधारणीकरण, अलंकार, ध्वनि, बिम्ब आदि परिभाषित हैं और ये काव्य क्षेत्र की प्रयुक्तियाँ हैं। नाटक में संकलनत्रय और

उक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही मैं ने इस शोधप्रबन्ध का प्रणयन किया है और इसमें इस बात को पुष्ट करने की भरसक चेष्टा की गयी है कि साहित्यिक हिन्दी की विशिष्ट प्रयुक्तियाँ उसके प्रयोजनमूलक आयाम को उजागर करती हैं।

## आभार प्रदर्शन :

साहित्यिक क्षेत्र में इस विषय पर शोध–कार्य पहली बार हो रहा है। इस शोधविषय की प्रेरणा ' पूर्णकुंभ ' पत्रिका के एक समीक्षात्मक आलेख 'बिल्लेसुर बकरिहा ' : भाषा का लोक पक्ष – लेखक – ऋषभ देव शर्मा से प्राप्त हुई। इस विषय को स्पष्ट करने और उसकी महत्ता इंगित करने में अविनाशिलिंगम विश्वविद्यालय की हिन्दी विभागाध्यक्षा एवं प्रोफेसर डॉ.श्रीमती सु. नागलक्ष्मी का अमूल्य योगदान रहा है, जिनके विद्वत्तापूर्ण निर्देशन में यह शोधकार्य संपन्न हुआ है। उनके प्रोत्साहन तथा निर्देशन के कारण ही इस शोधकार्य को हिन्दी साहित्य–जगत के सम्मुख पेश करने में मैं समर्थ हो गयी हूँ। उनके प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ।

इस अभियान में हैदराबाद की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान के हिन्दी विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ.दिलीपसिंह के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस विषय की उपादेयता पर पर्याप्त बल दिया है और अमूल्य सुझाव देकर सही मार्गदर्शन प्रदान किया है।

अन्त में मैं उन समस्त लेखकों, समीक्षकों एवं विद्वानों–विचारकों के आभारी हूँ जिनकी रचनाओं और विचारों का इस शोधप्रबन्ध–लेखन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उपयोग किया है।

आर . फिलोमिना अम्माल

# विषय सूची

## साहित्यिक हिन्दी का प्रयोजनमूलक संदर्भ

(प्रेमचन्द के उपन्यासों के आधार पर)


पृष्ठ संख्या

**प्रथम अध्याय** 1—20

साहित्यिक / प्रयोजनमूलक हिन्दी – अवधारणा एवं विस्तार क्षेत्र

1. भाषा – अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप
2. भाषा का व्यवहारगत स्वरूप एवं प्रकार
3. सामान्य भाषा – अर्थ एवं स्वरूप
4. साहित्यिक भाषा – अर्थ एवं स्वरूप
5. प्रयोजनमूलक भाषा – अर्थ एवं स्वरूप
6. साहित्यिक भाषा एवं प्रयोजनमूलक भाषा – साम्य / वैषम्य
7. प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रमुख तत्व
8. प्रयोजनमूलक हिन्दी : विविध रूप
9. साहित्यिक हिन्दी : विविध रूप

**द्वितीय अध्याय** 21—54

**प्रयुक्ति संकल्पना**

1. प्रयुक्ति – अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप
2. प्रयुक्ति और शैली
3. प्रयुक्ति की संकल्पना तथा सामाजिक भूमिका की संकल्पना
4. प्रयुक्ति के विकास में विभिन्न धाराएँ
5. प्रयुक्ति के वर्गीकरण के तीन आयाम –

पृष्ठ संख्या


क. वार्ता क्षेत्र

ख. वार्ता प्रकार

ग. वार्ता शैली

6. हिन्दी की विशिष्ट प्रयुक्तियाँ :

6.1 प्रशासनिक या कार्यालयी प्रयुक्ति

6.2 वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा प्रयुक्ति

6.3 वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रयुक्ति

6.4 विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति

6.5 पत्रकारिता की भाषा प्रयुक्ति

6.6 कानूनी एवं विधि की भाषा प्रयुक्ति

6.7 खेल–कूद की प्रयुक्ति

6.8 साहित्यिक प्रयुक्ति

6.8.1 शास्त्रीय एवं वैचारिक प्रयुक्ति

6.8.2 लोक प्रयुक्ति

6.8.3 समाज नियंत्रित भाषा प्रयुक्ति

## तृतीय अध्याय 55–79

**प्रेमचंद – व्यक्तित्व,रचना–संसार एवं भाषा–शैली**

1. प्रेमचंद की जीवनी
2. प्रेमचंद की रचनाएं–उपन्यास–कहानी–नाटक–जीवनी–अनूदित कृतियां–बालोपयोगी–स्फुट रचनाएं–विविध
3. प्रेमचंद की कहानियों का वर्गीकरण
4. प्रेमचंद के उपन्यासों का वर्गीकरण
5. प्रेमचंद की भाषा–शैली–वैशिष्ट्य

पृष्ठ संख्या

## चतुर्थ अध्याय 80–105

प्रेमचन्द के उपन्यास एवं लोक–प्रयुक्तियाँ

1. भाषा का लोकपक्ष एवं प्रयुक्ति–संकल्पना

1.1 लोक प्रयुक्तियाँ

1.2 लोक भाषा में सहायक शब्दावलियाँ–वर्गीकरण

1.2.1 सहायक शब्द – Supportive word

1.2.2 विपरीतार्थ शब्द – Opposite word

1.2.3 समानार्थ शब्द – Similar word

1.2.4 शब्द का दूसरा अंश अर्थहीन पर पहले अंश का सहयोगी

**2. प्रेमचंद के उपन्यासों में प्राप्त विभिन्न साहित्येतर प्रयुक्तियाँ :**

2.1 प्रशासन या कार्यालय

2.2 कानून

2.3 वाणिज्य / व्यावसायिक

2.4 खेल–कूद

2.5 विज्ञान

2.6 पत्रकारिता

2.7 शिक्षा

2.8 धर्म

2.9 दर्शन

2.10 जाति

2.11 किसानी

2.12 वेशभूषा

2.13. पेशा

2.14. तरकारी और फल

पृष्ठ संख्या

2.15. खाने के पदार्थ

2.16. घरेलू चीजें

2.17. बीमारी

2.18 नशीले पदार्थ

पंचम अध्याय 106—190

**प्रेमचन्द के उपन्यास एवं समाज शास्त्रीय प्रयुक्तियाँ**

1. प्रेमचन्द की भाषा—शैली का वैशिष्ट्य

1.1 मुहावरे

1.2 शारीरिक अंगों को द्योतिक शब्दों से युक्त मुहावरे

1.3 ' रंग ' शब्दों से युक्त मुहावरे

1.4 विभिन्न प्रकार के मुहावरे (प्रकीर्ण)

2. कहावतें / लोकोक्तियाँ

3. सूक्तियाँ

**उपसंहार** 191—194

**संदर्भ ग्रंथ सूची** 195—199

—

# प्रथम अध्याय

## साहित्यिक / प्रयोजनमूलक हिन्दी – अवधारणा एवं विस्तार क्षेत्र

# साहित्यिक हिन्दी का प्रयोजनमूलक संदर्भ

## (प्रेमचन्द के उपन्यासों के आधार पर)

## प्रथम अध्याय

## साहित्यिक / प्रयोजनमूलक हिन्दी – अवधारणा एवं विस्तार क्षेत्र

1. भाषा – अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप
2. भाषा का व्यवहारगत स्वरूप एवं प्रकार
3. सामान्य भाषा – अर्थ एवं स्वरूप
4. साहित्यिक भाषा – अर्थ एवं स्वरूप
5. प्रयोजनमूलक भाषा – अर्थ एवं स्वरूप
6. साहित्यिक भाषा एवं प्रयोजनमूलक भाषा – साम्य / वैषम्य
7. प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रमुख तत्व
8. प्रयोजनमूलक हिन्दी : विविध रूप
9. साहित्यिक हिन्दी : विविध रूप

---

# प्रथम अध्याय

## साहित्यिक/प्रयोजनमूलक हिन्दी – अवधारणा एवं विस्तार क्षेत्र

### 1. भाषा–अर्थ , परिभाषा एवं स्वरूप :

भाषा मानव के विचार–विनिमय का ही साधन न होकर चिंतन–मनन तथा विचारादि का भी साधन माना जाता है। सामान्यतः जिन ध्वनि–चिन्हों के माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार–विनिमय करता है, उनकी समष्टि को ''भाषा'' कहते हैं। ' भाषा ' शब्द संस्कृत की ' भाष् ' धातु से बना है जिसका अर्थ है – ' बोलना ' अथवा ' कहना ' । अर्थात् जिसे बोला जाय या जिसके द्वारा कुछ कहा जाय, वह भाषा है। प्रसिद्ध भाषाविद स्वीट के अनुसार – '' ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।[1] **बेन्द्रिए** के अनुसार '' भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये

प्रतीक कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। "[2]

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार " भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक(Arbitrary)ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा–समाज के लोग आपस में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं।" [3] संघटनात्मक भाषा विज्ञान के विचारकों ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है –– " भाषा यादृच्छिक वाचिक प्रतीकों की वह संघटना है, जिसके माध्यम रो एक मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है । " [4] व्यापक रूप से कहा जाय तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा विचारों या भावों को अभिव्यक्त प्रदान करते हैं।

प्रसिद्ध भाषाविद डॉ. बाबूराम सक्सेना के शब्दों में " भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विशिष्ट समुदाय में बोली जाती है और जो मनुष्य और उसके' समाज के भीतर की ऐसी कड़ी है जो निरंतर आगे जुड़ती रहती है। " [5]

पाश्चात्य के विद्वान ब्लाक तथा ट्रेगर के अनुसार **" A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a society or group co-operates."** [6] स्त्रुत्वा के अनुसार –" **A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which members of a social group co-operate and interact."** [7] विश्वकोशों में भी लगभग यही बात कही गई है। **" Language may be defined as a arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings, as members of a social group and participants in culture interact and communicate."** [8] (इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका) हैलिडे के अनुसार **" Language can be**

**thought of as organised noise used in situations actual social situation or in other words contextualised system of sound."** [9]
क्रोच के अनुसार **" Language is articulated limited sound organised for the purpose of expression."** [10]

इस प्रकार मनुष्य के जीवन में भाषा का स्थान एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सर्वोपरि माना जा सकता है। भाषा का मूल संबंध बोलने से है और इस दृष्टि से वह मनुष्य जाति से अटूट नाते से जुड़ी हुई है।

पर भाषा की प्रयोजनमूलकता को ध्यान में रखते हुए डॉ.कृष्णकुमार गोस्वामी ने भाषा की विवेचना की है। उनके अनुसार " भाषा के दो पक्ष हैं। एक का संबंध उसकी संरचना और बनावट के साथ होता है और दूसरे का संबंध उसके प्रयोजन और प्रकार्य के साथ। संरचना और बनावट के संदर्भ का केन्द्रबिन्दु भाषा का व्याकरण होता है और उसके प्रयोजन का संदर्भ उसका संप्रेषण होता है। यद्यपि संरचना और प्रयोजन का अटूट संबंध है किंतु आज तक भाषा के संरचनात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया है और प्रयोजनमूलक पक्ष का अध्ययन नगण्य–सा रहा है। हिन्दी भाषा के संबंध में भी यही स्थिति रही है। हिन्दी को भारत की राजभाषा घोषित होने के बाद उसके व्यवहार–क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है और यह माना गया है कि हिन्दी भाषा को केवल साहित्य और व्याकरण तक सीमित न रखकर उसके अन्य पक्षों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा , राजभाषा और संपर्क भाषा की सार्थक भूमिका निभा पायेगी। " [11]

इसी तथ्य को निम्नांकित ढंग से भी प्रस्तुत किया जाता है। भाषा के मुख्य रूप से दो पक्ष है --- एक का संबंध मानव की सौंदर्यपरक अनुभूतियों के आलंबन से होता है और दूसरा पक्ष भाषा की प्रयोजनपरक आयामों से जुड़ा रहता है। भाषा के सौन्दर्यपरक आयाम में भाषा सर्जनात्मक होती है, जिसका

विकास साहित्य की भाषा के रूप में होता है। यह भाषा कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी आलोचना आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में उभर कर आती है। इसके साथ–साथ यह भाषा देश–विशेष या क्षेत्र–विशेष के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को अपने भीतर समेटे होती है। भाषा के दूसरे पक्ष का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन की उस व्यवस्था से होता है। यह भाषा एक प्रकार्यात्मक आयाम है जिसका प्रयोग किसी प्रयोजन–विशेष या कार्य–विशेष के संदर्भ में होता है। यह भाषा प्रशासन व्यवस्था और तकनीकी क्षेत्रों में आविष्कारोन्मुख होकर देश–विशेष के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा हमने देखी। निष्कर्ष यही निकलता है कि भाषा के दो प्रमुख आयाम हैं – एक उसका सैद्धान्तिक पहलू, दूसरा उसका व्यावहारिक पहलू। यद्यपि सिद्धान्त एवं व्यवहार का अटूट नाता है, फिर भी आज तक हम भाषा के सैद्धान्तिक पक्ष की ही जानकारी प्रदान करते आए हैं और इसके व्यावहारिक पक्ष पर हमने ध्यान ही नहीं दिया है। परन्तु आज की यह मांग है कि भाषा के प्रयोजनपरक एवं व्यावहारिक पहलू पर अधिक बल डाला जाये। अर्थात् भाषा की संरचना की अपेक्षा उसके संप्रेषणात्मक एवं प्रयोजनात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाये ताकि हर भाषा के छात्र उसके व्याकरण एवं साहित्य तक की ही जानकारी प्राप्त न करें, पर समाज की बढ़ती मांग के अनुरूप आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त प्रयोजनमूलक भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करें। हिन्दी भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। वह भी आज हिन्दी के राजभाषा घोषित होने के बाद उसके प्रयोग–क्षेत्र की बढ़ोत्तरी हो गयी है और आज हिन्दी का प्रयोजनपरक पहलू बलवती होता जा रहा है।

## 2. भाषा का व्यवहारगत स्वरूप / प्रकार :

1. जब किसी भाषा के व्यवहारगत स्वरूप की ओर देखते हैं तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भाषा के तीन स्वरूप हैं :– 1. सामान्य रूप, जो अनौपचारिक होता है और जिसका व्यवहार चलते–फिरते घर–आंगन से लेकर दोस्तों के साथ हंसने–खेलने और मसखरे करने तक में व्यवहार होता है।
2. साहित्यिक स्वरूप, जो ललित होता है और जिसका व्यवहार सुख–दुख, हास–विलास एवं स्वात्मानुभूति की गहराई की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है तथा जिसे विविध, व्यापक, रोचक शैलियों एवं व्यंग्य – वक्रोक्ति, अलंकार आदि से भी सुसज्जित किया जाता है। और
3. प्रयोजनमूलक स्वरूप जो हमारी रोज़ी–रोटी, हमारे व्यवसाय, हमारे जीवन के विकासात्मक आवश्यकतापरक समस्त कार्य–व्यापारों से जुड़ा होता है।

## 3. सामान्य भाषा–अर्थ एवं स्वरूप :

सामान्य भाषा आम जनता के सामान्य बोलचाल की भाषा है। इसमें हम रोजमर्रा के जीवन में कई लोगों से बात करते रहते हैं। हमें अलग–अलग लोगों से अलग–अलग ढंग से बात करनी होती है। माता–पिता, भाई–बहन, मित्र, दुकानदार, अध्यापक आदि से बात करते समय भाषा का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाषा के ये रूप भिन्न–भिन्न होते हुए भी इनके बोलने और समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह सामान्य बोलचाल की भाषा है और यह जीवन में सामान्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। इसका ज्ञान सामान्य जीवन के परिवेश से ही व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और इसके लिए किसी औपचारिक शिक्षा या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती।

## 4. साहित्यिक भाषा–अर्थ एवं स्वरूप :

साहित्यिक भाषा बोलचाल की भाषा की ही एक शैली विशेष है। कुछ आलोचकों ने साहित्यिक भाषा को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता दी है। लेकिन साहित्यिक भाषा बोलचाल की सामान्य जीवंत भाषा का ही एक विशेष रूप है। इसीलिए साहित्यिक भाषा को समझने के लिए आवश्यक है कि उसे बोलचाल की भाषा के संदर्भ में देखा जाय। साहित्यिक भाषा में वाक्य गठन के ' नार्म ' से हटा एक अलग ' पेटर्न ' है जिसको साहित्यकार एक विशेष लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रयुक्त करता है। इस प्रकार साहित्यिक भाषा सामान्य भाषा के ' नार्म ' (Norm) की ही एक उपश्रेणी है। साहित्य के रूप गठन का मुख्य आधार उसका अभिव्यक्ति पक्ष होता है, जिसका सांचा भाषा के आधार पर ही निर्मित होता है ।

साहित्यिक भाषा का प्रयोग साहित्य तक ही सीमित रहता है । बोलचाल की भाषा से यह प्रायः व्याकरण और शब्दावली की दृष्टि से कुछ भिन्न होती है। बोलचाल की भाषा में भाषा की नवीनतम प्रवृत्तियों को स्थान मिलता है, किन्तु इस में प्रायः वे नहीं आने पाती । उदाहरण के लिए हिन्दी में ' मेरे को ', ' मेरे से ' , ' मेरे में ' बोलचाल में तो आने लगे हैं किन्तु साहित्यिक भाषा में अभी वे अपना स्थान नहीं बना सके ।

## 5. प्रयोजनमूलक भाषा–अर्थ एवं स्वरूप :

राजगोपालन के अनुसार ''संसार में प्रत्येक भाषा का प्रयोग किसी – न – किसी प्रयोजन के लिए ही होता है। बिना प्रयोजन की कोई भाषा प्रायः नहीं रहती। फिर भी प्रत्येक भाषा के संदर्भ में प्रयोजनमूलक भाषा की परिकल्पना से उस भाषा की प्रयोजनपरकता का विश्लेषण किया जाता है। यह

विश्लेषण उस भाषा की वस्तुनिष्ठता और भावनिष्ठता पर होता है; जो प्रायः प्रयोग का ही आधार बनता है। भाषा के प्रयोग के इन दो रूपों में एक का आधार सामान्य जन जीवन में दैनिक कार्यों से होता है और जिसका अभ्यास या ज्ञान कोई व्यक्ति सामान्य जीवन के परिवेश से प्राप्त कर लेता है। भाषा का एक दूसरा रूप है, जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भ में भिन्न कहीं विशेष–कार्यों के संदर्भों में होता है। इसका अभ्यास या ज्ञान विशेष प्रयत्न से प्राप्त किया जा सकता है। इस दूसरे रूप को ' प्रयोजनमूलक भाषा ' कहते हैं। " [12]

प्रयोजनमूलक संदर्भ में ' प्रयोजन ' विशेषण में ' मूलक ' उपसर्ग लगने से ' प्रयोजनमूलक ' पद बना है। ' प्रयोजन ' से तात्पर्य है ' उद्देश्य ' अथवा 'प्रयुक्त ' (Purpose of use) । ' प्रयोजन ' का संबंध भाषा में उसकी प्रयोजनीयता (Applicability) से जुड़ा हुआ है तथा ' मूलक ' उपसर्ग से तात्पर्य है – आधारित (Based on or depending on) । अतः प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य हुआ ' किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा।'

डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी के अनुसार – "प्रयोजनमूलक भाषा के अभिप्राय 'प्रयोजन' या ' निष्प्रयोजन ' के विपरीतार्थ में नहीं, वरन् वह भाषा के व्यावहारिक पक्ष को उजागर करने के लिए प्रयुक्त भाषायी रूप है। यह भाषायी रूप सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोजनमूलक विशेषण इसके व्यावहारिक और कामकाज़ी पक्ष को अधिक स्पष्ट करता है। भाषा के प्रयोजनमूलक रूप को अंग्रेज़ी में ' फंक्शनल लेंग्वेज '(functional language) या 'लेंग्वेज फार स्पेसिफिक पर्पज़ ' (Language for specific purpose) कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार्यों या प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भाषा का अर्थ निहित है ।" [13]

## 6. साहित्यिक भाषा एवं प्रयोजनमूलक भाषा : साम्य/वैषम्य :

प्रकार्य की दृष्टि से साहित्यिक भाषा तथा प्रयोजनमूलक भाषा एक ही है किंतु इसके स्वरूप में मूल अंतर है।

| साहित्यिक भाषा | प्रयोजनमूलक भाषा |
|---|---|
| 1. साहित्यिक भाषा में अर्थ बहुधा व्यंजनाश्रित और लाक्षणिक होता है। उदाः 'कनक' शब्द का प्रयोग दो अर्थ में होता है – सोना (संपत्ति, धन–दौलत), धतूरा फल। | प्रयोजनमूलक भाषा अभिधापरक और एकार्थी होती है। |
| 2. साहित्यिक भाषा प्रायः अलंकारपूर्ण और अनेकार्थी होती है। | प्रयोजनमूलक भाषा प्रायः अलंकार – रहित, सीधी, स्पष्ट और स्वतः पूर्ण होती है । |
| 3. साहित्यिक भाषा भावोच्छवास एवं संवेदन की भाषा है। | प्रयोजनमूलक भाषा सीधी – सपाट भाषा होती है । |
| 4. साहित्यिक भाषा कभी–कभी कलाग्रह के कारण साधन से साध्य बन जाती है। | प्रयोजनमूलक भाषा कभी साधन से साध्य नहीं बनती |
| 5. साहित्यिक भाषा का लक्ष्य सौंदर्यानुभूति एवं रसास्वादन होता है। | प्रयोजनमूलक भाषा का लक्ष्य सेवा माध्यम (Service tools) होता है जो जीविकोपार्जन का साधन बनता है। |

विविध प्रयोजनों की यह विशिष्ट भाषा प्रशासन, बैंकिंग, विधि, विज्ञान, इंजीनियरी, मेडिकल आदि विषयों तथा कार्य–क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। इन क्षेत्रों की अपनी शब्दावली, अपनी अभिव्यक्तियाँ तथा अपना व्याकरण होता है।

अपनी इन भाषागत विशेषताओं के कारण ही भिन्न विषय क्षेत्रों से संबद्ध भाषा रूप अपने में विशिष्ट और एक विशिष्ट शैली–भेद का प्रतिनिधि होता है।

प्रयोजनमूलक भाषा के कई रूप सामने आते हैं जो इस प्रकार हैं :–

1. कार्यालयी भाषा **(Officialise)** : यह सरकारी काम–काज और प्रशासन में प्रयुक्त होनेवाला भाषा–रूप है।
2. तकनीकी भाषा **(Technicalize)** : यह इंजीनियरी, विज्ञान, शास्त्र या चिकित्सा आदि का भाषा–रूप है।
3. वाणिज्यिक भाषा **(Commercialize) :** यह वाणिज्य, बैंक या मंडियों का भाषा–रूप है।
4. जनसंचारी भाषा **(Language of Mass Media)** : यह पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूर दर्शन और विज्ञापन में प्रयुक्त होनेवाला भाषा–रूप है।
5. सामाजी भाषा **(Socialize)** : यह सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और राजनीतिज्ञों की भाषा का एक रूप है।
6. साहित्यिक भाषा **(Language of Literature) :** इसका प्रयोग काव्य, नाट्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र आदि की भाषा के रूप में होता है।
7. **प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रमुख तत्व :**

   प्रयोजनमूलक हिन्दी के तीन प्रमुख तत्व हैं। वे हैं ––

   1. पारिभाषिक शब्दावली
   2. अनुवाद – प्रक्रिया
   3. भाषिक संरचना

क. i. पारिभाषिक शब्दावली : प्रयोजनमूलक हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली (Technical terminology) की महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य भूमिका

इस प्रकार ऐसे पारिभाषिक शब्दों के समूह को ' पारिभाषिक शब्दावली ' अथवा ' तकनीकी शब्दावली ' (Technical Terminology) कहा जा सकता है। भौतिकी, रसायन प्राणि–विज्ञान, वनस्पति–विज्ञान, गणित, ज्यामिति, अंतरिक्ष–विज्ञान, कम्प्यूटर, इंजीनियरी मानविकी, दूर–संचार तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों की अभिव्यक्ति और व्यवहार में विशिष्ट अर्थ को लेकर पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं।

## ii पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएँ :

उक्त विवेचन के अनुसरण में पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं –

1. पारिभाषिक शब्द परिभाषित होता है अर्थात् उसका एक विशिष्ट रूप तथा कर्म–क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है।
2. वह शब्द किसी विशिष्ट अर्थ का एकमात्र वाहक–साधक होता है।
3. यही सीमा बंधन उसे सामान्य तथा साधारण शब्द से अलग करता है।

## iii. पारिभाषिक शब्दावली एवं प्रयोजनमूलक हिन्दी :

पारिभाषिक शब्दावली का संबंध प्रयोजनमूलक हिन्दी से अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। वस्तुतः पारिभाषिक शब्दावली प्रयोजनमूलक हिन्दी के ही एक अंग है। हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उदय एवं विकास के साथ सटीक तथा सार्थक अभिव्यक्ति के लिए हिन्दी के प्रयोजनमूलक रूप में उसकी तकनीकी शब्दावली की नितान्त ज़रूरत महसूस की गई। फलतः हिन्दी में प्रशासन, विधि, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण एवं प्रचलन हुआ। इस प्रकार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के कारण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी को अत्यधिक गति मिल गई है। अतः पारिभाषिक शब्दावली को प्रयोजनमूलक हिन्दी में एक अनिवार्य और उपादेयक तत्व के रूप में सिद्ध हुई है। इस अर्थ में

'प्रयोजनमूलक हिन्दी' के प्रशासन, विधि, दूरसंचार, मानविकी विज्ञान, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में प्रयुक्ति के उपकरण के रूप में पारिभाषिक शब्दावली की महत्ता अक्षुण्ण है।

उदाहरण के लिए :

| | | |
|---|---|---|
| अधिकारी | – | Officer |
| प्राधिकारी | – | Authority |
| हिताधिकारी | – | Beneficiary |
| स्वत्वाधिकारी | – | Proprietor |
| सर्वाधिकारी | – | Plenipotentiary |

## ख. i. अनुवाद – प्रक्रिया :

प्रयोजनमूलक हिन्दी की संरचना का दूसरा आधारभूत और महत्वपूर्ण तत्व है – अनुवाद। हिन्दी में तकनीकी तथा वैज्ञानिक शब्दावली निर्माण के फलस्वरूप अनुवाद की प्रक्रिया में तेज़ी आना स्वाभाविक है। हिन्दी के राजभाषा घोषित होने के पश्चात उसके प्रयोजनमूलक रूप में अनुवाद एक ज़रूरी एवं अनिवार्य उपकरण बन गया है।

अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान (Applied Linguistic) के अन्तर्गत आता है किन्तु अनुवाद की प्रकृति के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। विद्वानों का एक वर्ग अनुवाद को कला मानता है। प्रसिद्ध कवि एजरा पाउण्ड ने तो अनुवाद को ' साहित्यिक पुनर्जीवन ' (Literary Resurrection) तक माना है। विद्वानों का दूसरा वर्ग अनुवाद को कला के रूप में न मानकर, बल्कि विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अनुवाद को विज्ञान के रूप में मानने में नाइडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ विज्ञान अनुवाद को एक शिल्प की श्रेणी में रखते हैं तो कुछ इसे सिर्फ कौशल ही मानते हैं। कुछ विचारक अनुवाद को न केवल प्रायोगिक मानते हैं अपितु इसे अपनी प्रकृति में यदृच्छावरणात्मक (electric) भी स्वीकार करते हैं।

## ii. अनुवाद की परिभाषा :

अनुवाद (Translation) शब्द संस्कृत का है जिसके मूल में 'वद्' धातु है। 'वद्' से तात्पर्य है बोलना, बात करना। इस ' वद् ' धातु में ' घञ्' प्रत्यय जुडने से ' वाद' शब्द (वद्+घञ् : वाद) बनता है। ' वाद ' शब्द में पीछे, बाद में एवं अनुवर्तिता आदि अर्थों में प्रयुक्त होनेवाले 'अनु' उपसर्ग लगने से 'अनुवाद' शब्द बना है। अनुवाद का मूल अर्थ है 'किसी के कहने के पश्चात् कहना' अथवा पुनः कथन। कोश के अनुसार अनुवाद का अर्थ है – 'पहले कहे गये अर्थ को फिर से कहना।'

अनुवाद में स्रोत भाषा (Source language), लक्ष्य भाषा (Target Language) तथा अनुवादक (Translator) की अनिवार्य भूमिका है। अनुवाद, स्रोत भाषा के सृजनात्मक साहित्य की सृजनात्मकता को लक्ष्य भाषा में उसी क्षमता से उसकी सभी सूक्ष्मताओं एवं भंगिमाओं के साथ रूपांतरित करने का प्रयत्न है।

अनुवादक को दोनों भाषाओं का विशेष ज्ञान होना चाहिए। उसे वाक्य को तोड़ने या जोड़ने का कोई हक नहीं है। अर्थात् वह अपने इच्छानुसार कुछ नहीं कर सकता। अनुवादक को स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में उसी क्षमता के साथ व्यक्त करना है। वाक्य में कोई अनर्थ नहीं आना चाहिए। पाठक जब अनूदित रचना को पढ़ता है तब उसे उस रचना का सहज आस्वादन करना चाहिए। उसे कोई कृत्रिमता का अनुभव नहीं होना चाहिए। अनुवाद में भावानुवाद ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

आजकल अनुवाद, लिखित तथा मौखिक दोनों रूपों में होने लगा है। लिखित अनुवाद के लिए अब यंत्रों का सहयोग लिया जाने लगा है। संगणक (computer) का उपयोग ऐसे ही अनुवादों में होता है। अनुवाद के लिए माइक्रोफोन की सहायता ली जाने लगी है। किसी बैठक में विभिन्न

भाषा–भाषी सदस्य हैं और वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं तो उनकी परस्पर बातचीत अनुवाद के सहारे ही संपन्न होती है। इस व्यवस्था में अनुवाद की भाषाओं के कई चैनल बनाए जाते हैं। हर सदस्य के टेबल से सभी भाषाओं के चैनल संबद्ध होते हैं। अलग–अलग बटन से भाषा की सूचना दी जाती है। श्रोता के पास इयर–फोन होता है। बगल के कक्ष में विभिन्न भाषाओं के अनुवादक बैठते हैं। उनके पास भी इयर फोन रहता है। वे वक्ता के भाषण को इयर फोन पर सुनते हैं और अभ्यासवश उसका अनुवाद शीघ्रता से कर देते हैं। परन्तु साहित्य के क्षेत्र में संगणक (computer) का प्रयोग प्रायः सफल नहीं हो पाता क्यों कि इसमें विस्मयादिबोधक शब्द, ममता बोधक संबोधन तथा प्रश्नवाचक क्रिया होती है। यह कम्प्यूटर मशीन है न कि स्पंदित संसार।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संगणक के प्रवेश के कारण अनुवाद भी अब यंत्रयुग में प्रवेश कर गया है। इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिन्दी में अनुवाद का अपना योगदान है।

## ग. भाषिक संरचना :

प्रयोजनमूलक हिन्दी का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है, उसकी विशिष्ट भाषिक संरचना। कोई भी भाषा सभी प्रयोगों या प्रयुक्तियों में एक–सी नहीं होती। विषय, संदर्भ तथा प्रयुक्ति के अनुसार भाषा की संरचना बदलती है। प्रयोजनमूलक हिन्दी में भाषा का विशिष्ट रूप प्रयुक्त होता है जो साहित्यिक भाषा से भिन्न रहता है। वस्तुतः साहित्य या सामान्य व्यवहार की भाषा तथा प्रयोजनमूलक भाषा सामान्यतः एक ही होती है किंतु उनकी शब्दावली और संरचना में मूलभूत भेद या अंतर पाया जाता है। उनका उद्देश्य अलग–अलग होता है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी की भाषिक संरचना अपने में अनेक विशिष्टताएं समेटे हुए हैं। प्रयोजनमूलक हिन्दी की भाषिक अभिव्यक्ति शैली गंभीर, वाच्यार्थ प्रधान तथा व्यंग्यार्थ रहित अर्थात् एकार्थक होती है। प्रयोजनमूलक भाषा संरचना का एक ' मानक रूप' (Standard form) निश्चित होता है जिसमें एकरूपता, सुनिश्चितता तथा औचित्य का निर्वाह अनिवार्यतः किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिन्दी की भाषिक संरचना में वैज्ञानिक तथा तकनीकी (पारिभाषिक) शब्दावली का प्रयोग–बाहुल्य अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। चूँकि प्रयोजनमूलक हिन्दी के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विधि, मानविकी तथा प्रशासन जैसे गंभीर विषयों का विवेचन–विश्लेषण तथा निरूपण किया जाता है, अतः उसकी भाषा शैली में भी विचारात्मकता, गंभीरता तथा कुछ हद तक दुरूहता आना स्वाभाविक है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसे विषयों के निरूपण हेतु उनकी संकल्पनाओं, गुण–सूत्रों तथा प्रतीक–चिन्हों आदि के कारण प्रयोजनमूलक हिन्दी की संरचना में गंभीरता के साथ जटिलता एवं दुरूहता आ जाती है। विधि अथवा कानून की धाराओं या उपबंधों के स्पष्टीकरण में वाक्य–रचना को अत्यधिक जटिलता की शरण लेनी पड़ती है। प्रशासनिक कामकाज में उद्‌गार–वाचक या विस्मयादि बोधक पदों, अलंकार तथा कहावतें–मुहावरे आदि का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। इसके विपरीत प्रशासनिक कामकाज की वाक्य–रचना में कर्म–वाच्य वाक्यों (मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है.....श्री राम को सूचित किया जाता है .....वह अपनी ड्यूटी पर तुरन्त लौट आए आदि) का प्रयोग मुख्यतः पाया जाता है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी–भाषा का मुख्य ध्येय या उद्‌देश्य ज्ञान–विज्ञान तथा प्रशासन आदि अनेकाधिक क्षेत्रों की प्रयोजन–परक (प्रायोगिक) अभिव्यक्ति है और इस संदर्भ में उसका दायित्व उक्त ज्ञान–क्षेत्रों की उपयोगिता के साथ जुड़ा हुआ है। इस अर्थ में उसका ध्येय व्यापक रूप से सेवा–माध्यम (Service medium) के रूप में प्रभावशाली उपादेय कार्य होता है। फलतः

विभिन्न ज्ञान–विज्ञान तथा प्रशासन की शाखा–उप–शाखाओं की अभिव्यक्ति संदर्भ स्थिति तथा विषय–वस्तु के अनुसार प्रयोजनमूलक हिन्दी की भाषा–संरचना में बदलाव अथवा भिन्नता पायी जाती है। किन्तु इसके बावजूद उसकी भाषिक–संरचना की विशिष्टता बराबर बनी हुई है, जिसके कारण प्रयोजनमूलक हिन्दी की गत्यात्मकता अखण्ड रूप से अक्षुण्ण है।

## 8. प्रयोजनमूलक हिन्दी : विविध रूप :

डॉ.भोलानाथ तिवारी ने भी प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रूपों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने हिन्दी के सात प्रयोजनमूलक रूप बताए हैं। आगे इनके स्वरूप भी हो सकते हैं जिसका संकेत कोष्ठ में है :

1. बोलचालीय हिन्दी :
2. व्यापारी हिन्दी : (इसमें भी मंडियों की भाषा, सर्राफ के दलालों की भाषा, सट्टा बाज़ार की भाषा आदि कई उपरूप हैं।)
3. कार्यालयी हिन्दी : (कार्यालय भी कई प्रकार के होते हैं और उनमें भी भाषा के स्तर पर कुछ अंतर है।)
4. शास्त्रीय हिन्दी : (विभिन्न शास्त्रों में प्रयुक्त भाषाएँ भी शब्द के स्तर पर कुछ अलग है। इसमें संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र, राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र आदि की भाषाएँ हैं।)
5. वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी : (इंजीनियरिंग, बढ़ईगिरी, लुटारी, प्रेस, फैक्टरी, मिल आदि की तकनीकी भाषा।)
6. समाजी हिन्दी :(इसका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्त्ता करते हैं ।)
7. प्रशासनिक हिन्दी :(प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा।)
8. जनसंचार माध्यम :(पत्रकारिता,आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की भाषा।)
9. साहित्यिक हिन्दी :(साहित्य की विभिन्न विधाओं की भाषा।)

## 9. साहित्यिक हिन्दी : विविध रूप :

### साहित्य की प्राचीन विधाएँ :

पद्य – काव्य (महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य)

गद्य – 1. नाटक साहित्य (नाटक एवं एकांकी)

2. कथा साहित्य (कहानी एवं उपन्यास)

### साहित्य की नवीन विधाएँ :

आज प्राचीन साहित्यिक विधाओं का रूपान्तरण दृश्य–श्रव्य माध्यमों के अनुरूप हो गया है।

1. प्राचीन एकांकी और नाटक के स्थान पर आज –

   क. फीचर फिल्म

   ख. टेली फिल्म

   ग. टेली ड्रामा

   घ. कार्टून फिल्म

   ङ. ऑपरा

   च. ग्राफिक्स

   आदि के दृश्य–काव्य प्रयोग होने लगे हैं ।

2. गद्य साहित्य की नई विधाएँ :

   क. संस्मरण

   ख. रेखाचित्र

   ग. डायरी लेखन

   घ भेंट वार्ता

   ङ. रिपोर्ताज

   च. रेडियो वार्ता

छ. फीचर लेखन

ज. पुस्तक समीक्षा

इन सब विधाओं की अलग शब्दावली एव स्वरूप विकसित होता जा रहा है।

# संदर्भ सूची


1. भाषा विज्ञान – डॉ, भोलानाथ तिवारी, पृ.2
2. वही, पृ.2
3. वही, पृ.5
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी: सिद्धान्त और प्रयोग – डॉ.दंगल झाल्टे– पृ.16
5. वही, पृ.16
6. भाषा विज्ञान–डॉ.भोलानाथ तिवारी, पृ.2
7. वही, पृ.2
8. वही, पृ.2
9. वही, पृ.3
10. वही, पृ.3
11. प्रयोजनमूलक हिन्दी – डॉ.कृष्ण कुमार गोस्वामी, पृ.1
12. प्रयोजनमूलक हिन्दी – राजगोपालन, पृ.129
13. प्रयोजनमूलक भाषा और कार्यालयी हिन्दी – डॉ.कृष्णकुमार गोस्वामी, पृ.11 एवं 12
14. प्रयोजनमूलक हिन्दी – डॉ.विनोद गोदरे , पृ.140
15. वही, पृ.140
16. वही, पृ.140
17. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धान्त और प्रयोग – डॉ.दंगल झाल्टे,पृ. 80


———

# द्वितीय अध्याय

## प्रयुक्ति संकल्पना

# द्वितीय अध्याय

## प्रयुक्ति संकल्पना

1. प्रयुक्ति – अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप
2. प्रयुक्ति और शैली
3. प्रयुक्ति की संकल्पना तथा सामाजिक भूमिका की संकल्पना
4. प्रयुक्ति के विकास में विभिन्न धाराएँ
5. प्रयुक्ति के वर्गीकरण के तीन आयाम –
   - क. वार्ता क्षेत्र
   - ख. वार्ता प्रकार
   - ग. वार्ता शैली

6. हिन्दी की विशिष्ट प्रयुक्तियाँ :

6.1 प्रशासनिक या कार्यालयी प्रयुक्ति

6.2 वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा प्रयुक्ति

6.3 वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रयुक्ति

6.4 विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति

6.5 पत्रकारिता की भाषा प्रयुक्ति

6.6 कानूनी एवं विधि की भाषा प्रयुक्ति

6.7 खेल–कूद की प्रयुक्ति

6.8 साहित्यिक प्रयुक्ति

6.8.1 शास्त्रीय एवं वैचारिक प्रयुक्ति

6.8.2 लोक प्रयुक्ति

6.8.3 समाज नियंत्रित भाषा प्रयुक्ति

––

# द्वितीय अध्याय

# प्रयुक्ति संकल्पना

## 1. प्रयुक्ति – अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप :

आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा को देखने की दो दृष्टियाँ प्रचलित हैं। एक दृष्टि यह बाताती है कि 'भाषा क्या है ', उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है और संरचना के उसके नियम क्या है ? दूसरी दृष्टि भाषा के व्यावहारिक पक्ष से संबद्ध होकर यह बताती है कि भाषा किन प्रयोजनों को साधती है, उसके प्रयोक्ता भाषा से क्या कार्य लेते हैं। इस दूसरी दृष्टि के संदर्भ में यह तथ्य भी स्वीकार्य है कि कोई भाषा व्यवहार में समरूपी नहीं होती। भाषा की यह विषमरूपता प्रयोग के धरातल पर भी परखी जा सकती है। भाषा की इस विषमरूपता को 'भाषा–भेद ' (language variation) के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विवेचित किया गया है। भाषा में इस भाषा भेद को

विभिन्न आयामों पर देखा जा सकता है। इन आयामों या संदर्भों में जिस प्रकार भाषा बदलती है उसी प्रकार उसका रूप भी परिवर्तित होता है। इन्हीं संदर्भों में से एक है ' व्यवहार क्षेत्र ' (Domain) भेद या ' भाषा का प्रकार्यात्मक ' (Functional) भेद। उदाहरण के लिए विधि क्षेत्र की भाषा, बैंक, पत्रकारिता, विज्ञान आदि की भाषा से भिन्न होगी। भाषा अध्ययन की इस दूसरी दृष्टि ने ही प्रयोग के स्तर पर विषयपरक या व्यवहार–क्षेत्र बाधित भाषा रूपों को ' प्रयुक्ति' (Register) की संज्ञा दी है। भाषा प्रयुक्ति एक प्रकार का सीमित भाषा रूप है। व्यावहारिक स्तर पर प्रयुक्त भाषा अपने व्यापक रूप में व्यवहृत होती है। इस प्रकार 'प्रयुक्ति' इस व्यापक रूप से निःसृत एक सीमित रूप है जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट व्यवहार क्षेत्र की संप्रेषणपरक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाती है।

व्यक्ति को समाज में अनेक भूमिकाएँ निभानी होती है । यदि वह इन्हें निभाने के भाषाई गुट नहीं जानता तो संप्रेषण के खेल में उसे सफलता नहीं मिल सकती। इसके लिए उसे ' व्यापक कोड ' से ' सीमित कोड ' और 'सीमित कोड ' से ' व्यापक किोड ' में आने–जाने में सक्षम होना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि भाषा का संदर्भगत प्रयोग ही ' सीमित कोड ' है जो अपने संदर्भ में सीमित और अपने रूप में विशिष्ट होता है – खरीदने – बेचने का कोड, शेयर बाज़ार का कोड, वैज्ञानिक पाठ का कोड, धार्मिक अनुष्ठान का कोड आदि। इसी सीमित कोड को हम ' प्रयुक्ति ' कह सकते हैं। वास्तव में सीमित संदर्भ और विशिष्ट रूप में बंधे ये भाषारूप भी एक प्रकार की बोलियाँ ही है। अन्य सामाजिक बोलियों और प्रयुक्तियों में भेद इतना है कि जहाँ अन्य बोलियों के रूप भेद का कारण ' प्रयोक्ता ' होता है वही प्रयुक्तियों के भेद का आधार ' प्रयोग ' अर्थात् विषय होता है।

प्रस्तुत शोध के विषय से इस अंश का सीधा संबंध है ।

डॉ.दंगल झाल्टे के अनुसार '' प्रयोजन के अनुसार भाषा में जो विभिन्न भेद पाये जाते हैं, उनके संदर्भगत तथा विषयगत प्रयोग–पद्धति को ' प्रयुक्ति ' (रजिस्टर) कहते हैं।'' [1]

' प्रयुक्ति ' भाषा विज्ञान के अंतर्गत ' Register ' के पर्याय के रूप में हिन्दी में विशिष्ट अर्थ में प्रचलित है। प्रसिद्ध भाषाविद हेलिडे ने ' रजिस्टर ' शब्द की व्याख्या इस तरह प्रस्तुत की है कि भाषा समुदाय में विभिन्न वर्ग विभिन्न बोलियाँ बोलते हैं। एक अन्य दिशा में भी भाषा के विविध रूपों की चर्चा की जा सकती है – प्रयोग भेद की दिशा में। भाषा में प्रयोजन के अनुसार भेद होते हैं। विभिन्न स्थितियों में उसमें स्वतः भेद आ जाते हैं। प्रयोजन के आधार पर भाषा के स्वरूप भेद को जो नाम दिया जाता है, उसे ' रजिस्टर ' कहते हैं। इस प्रकार ' प्रयुक्ति ' भाषा के प्रयोग का वह प्रकार है जो किसी वक्ता–विशेष या लेखक–विशेष द्वारा किसी विशिष्ट संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है । अर्थात् भाषा के प्रयोग पर आधारित प्रयोग को 'प्रयुक्ति ' या 'रजिस्टर ' कहते हैं।

भाषा व्यवहार और प्रयोग की गतिशील वस्तु इसके प्रयोग में विविधता एवं विशिष्टता पाई जाती है। विषयगत, संदर्भगत तथा भूमिगत प्रयोगों के कारण भाषा–प्रयोग में अनेक भेद पाए जाते हैं जिन्हें भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ' भाषा प्रयुक्ति ' कहा जाता है।

## 2. प्रयुक्ति और शैली :

विभिन्नि भाषा रूपों के दो संदर्भ होते हैं, एक तो भाषा शैली का संदर्भ जिसके अंतर्गत यदि हिन्दी को रखकर देखें तो उसकी साहित्यिक शैलियां (उच्च हिन्दी, उच्च उर्दू, हिन्दुस्तानी) हमें दिखाई देती हैं, जिनका प्रयोग एक ही

विषय क्षेत्र में विकल्पगत किया जा सकता है। दूसरे, भाषा प्रयुक्ति का संदर्भ है जो व्यावहारिक कार्यक्षेत्र में प्रयुक्त भाषा रूपों से जुड़ता है। अर्थात् यह शैली अपने व्यवहार–क्षेत्र से बंधी होती है जिसमें विषय से संबद्ध विशिष्ट शब्दावली, अभिव्यक्ति और वाक्य–संरचना का प्रयोग किया जाता है। इस धरातल पर भाषा के व्यापक और सीमित क्षेत्र के अध्ययन को समेटते हुए शैली और प्रयुक्ति के भेदों पर विस्तृत चर्चा भी आज आधुनिक भाषा विज्ञान में उपलब्ध है। इन चर्चाओं से यह स्पष्ट होता है कि पत्रकारिता संबंधी लेखन, वैज्ञानिक लेखन, व्यावसायिक लेखन, कृषि की भाषा, विमानपतन पर उद्घोषण की भाषा, टेलीफोन ऑपरेटर की भाषा आदि ' प्रयुक्तिगत भेद ' **(Registeral variety)** कहा जा सकता है। इसके विपरीत वार्ता प्रकार से संबंधित भाषा को ' शैलीय भेद ' **(Stylistic variation)** कह सकते हैं।

शैली और प्रयुक्ति के प्रमुख भेदों को इस प्रकार रेखांकित किया जा सकता है:

1. प्रयुक्तिगत–भेद औपचारिक–अनौपचारिक जैसे भेदों से मुक्त रहते हैं। जब कि भेद के केन्द्र में औपचारिक–अनौपचारिक, प्रगाढ़, सामान्य जैसे भेद निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
2. ' प्रयुक्ति ' में ' शैली ' की तरह प्रयोक्ता के व्यक्तित्व की झलक और रंजकता नहीं होती।
3. ' प्रयुक्ति ' ध्वनि, व्याकरण, शब्दावली के स्तर पर विशिष्ट होती है, इसे इन्हीं विशिष्टताओं के आधार पर पहचाना भी जाता है ।
4. प्रयुक्ति की संकल्पना सार्वभौमिक है ।
5. प्रयुक्ति भाषा का सीमित कोड है, शैली व्यापक ।
6. शैलियों के बीच मिश्रण संभव है पर प्रयुक्ति मिश्रण वर्जित है।
7. प्रयुक्ति, संदर्भ एवं विषय–सापेक्ष है और व्यक्ति–निरपेक्ष है परंतु शैली व्यक्ति–सापेक्ष है ।

इन विशिष्टताओं के रेखांकन में प्रयुक्ति की निम्नलिखित परिभाषाएँ सहायक सिद्ध हो सकती है।

रीड के अनुसार '' कोई भी व्यक्ति भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से समरूप स्थितियों में समरूप व्यवहार नहीं करता, विभिन्न सामाजिक स्थिति में उसका भाषिक व्यवहार बदलता जाता है; वास्तव में वह विभिन्न भाषा प्रयुक्तियों का प्रयोग करता है।'' [2]

हैलिडे, मैकिनतोश और स्ट्रीवंज के शब्दों में '' लोग भाषा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, इसे समझने के लिए ' प्रयुक्ति ' की कोटि की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रयोगगत संदर्भों में भाषा–व्यवहार में भेद पाए जाते हैं। किन्हीं संदर्भों में प्रयोग में लाये जानेवाले भाषा रूप भी अलग–अलग होते हैं, इन्हीं प्रयोगगत भाषा रूपों को ' रजिस्टर ' कहा जाता है। '' [3]

" Language varies as its function varies; it differs in different situations , the name given to a variety of language distinguished according to use is ' register ' .

The category of ' register ' is needed when we want to account for what people do with their language. When we observe language activity in the various contexts in which it takes place, we find differences in the type of language selected as appropriate to different types of situation. " [4]

" By registers we mean a variety correlated with the performer's social role on a given occasion."(Catford J.C.1965)

## 3. प्रयुक्ति की संकल्पना तथा सामाजिक भूमिका की संकल्पना :

प्रयुक्ति की संकल्पना के साथ सामाजिक भूमिका की संकल्पना भी जुडी हुई है। एक व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं निभाता है। प्रयोक्ता की सामाजिक भूमिका के संदर्भ में प्रयुक्ति को देखने की यह दृष्टि कैटफर्ड की देन है। उनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति अलग–अलग समय पर अलग–अलग भूमिकाएं निभाता है। वह परिवार का मुखिया, मोटर चालक, व्यवसायी, हाकी का खिलाडी, वैज्ञानिक, चिकित्सक या प्रोफेसर आदि हो सकता है और इन विभिन्न भूमिकाओं के निर्वाह के लिए वह विभिन्न भाषा–रूपों का प्रयोग करता है। एक व्यक्ति व्यवसाय से व्यापारी है। उसका संबंध एक ओर अपने व्यवसाय के अन्य व्यापारियों, सामान्य जनता, अपने अधीन काम करनेवाले कर्मचारियों से होता है, तो दूसरी ओर घर में उसका संबंध परिवार के विभिन्न भूमिकाएं निभाता है। बदली हुई सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में उसका भाषा व्यवहार भी प्रत्येक स्थिति, संदर्भ और भूमिका के अनुसार बदलता रहता है।

विभिन्न क्षेत्रों या विषयों में प्रयुक्त भाषा को एक विशिष्ट प्रकार की प्रयुक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्रकारिता, राजनैतिक भाषण, कार्यालयी – काम–काज, कक्षा में अध्ययन आदि की भाषण का रूप अलग–अलग होता है। इन्हें विभिन्न क्षेत्रीय प्रयुक्तियों के रूप में स्वीकार किया जाता है।

## 4. प्रयुक्ति के विकास में विभिन्न धाराएँ :

हिन्दी में विभिन्न प्रयुक्तियों के विकास के लिए आवश्यक सामग्री संस्कृत से ली जाती है। यही कारण है कि आज भी हिन्दी की प्रयुक्तिपरक भाषा बोझिल, कृत्रिम और पंडिताऊ समझी जाती है। इसीलिए सामाजिक दृष्टि से यह भाषा अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई है। इसके साथ ही हिन्दी में प्रयुक्ति

की भाषा के विकास में और भी कई कठिनाइयाँ हैं। कुछ विद्वान चाहते हैं कि हिन्दी में प्रयुक्तियों का विकास लोकवादी प्रवृत्ति (हिन्दुस्तानी) के आधार पर हो। इस दृष्टि के अनुसार यदि व्यावसायिक हिन्दी के शब्दों को ले तो उनके अनुसार ' संविदा ' के स्थान पर ' करार ', ' ऋणमुक्ति के स्थान पर 'भुगतान ', ' क्रमबंधन ' के स्थान पर ' दर्जाबन्दी ' को महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरा वर्ग यह चाहता है कि हिन्दी प्रयुक्ति की भाषा में अंग्रेज़ी के शब्द यथावत् ले लिए जाएं जैसे उपरोक्त शब्दों की जगह ' एग्रीमेंट ' , 'एक्वेटन्स ' , ' ग्रेडिंग ' आदि। प्रयुक्ति क्षेत्र की शब्दावली एवं वाक्य–विन्यास के विकास के लिए भाषा के प्रयोक्ता उस भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों और संरचना द्वारा बाधित, प्रभावित रहते हैं। भाषा–विकास की दृष्टि से हिन्दी की ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखने में आ रही हैं:

1. पुनरुत्थानवादी धारा (संस्कृतनिष्ठ धारा)
2. लोकवादी – धारा (जनसामान्य में प्रयुक्त )
3. अंतर्राष्ट्रीयतावादी धारा ( अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शब्दों को यथावत् लेने के पक्ष में),
4. समन्वयवादी धारा ।

## 1. पुनरुत्थानवादी धारा :

इस धारा को शुद्धतावादी या राष्ट्रीयतावादी भी कहा जाता है। संस्कृतनिष्ठ होने के कारण इस धारा को संस्कृतवादी धारा नाम भी दिया गया है। इस धारा को माननेवालों का मत है कि संस्कृत शब्दों को हिन्दी में तत्सम रूप में ग्रहण किया जाएँ और आवश्यकता के अनुसार हिन्दी के शब्दों का निर्माण भी संस्कृत के धातु, उपसर्ग प्रत्यय आदि के आधार पर किया जाए। इस प्रवृत्ति की यह विशेषता है कि इसमें एक शब्द द्वारा अनेक शब्द बनाने का

सामर्थ्य है जैसे ' ईक्षण ' धातु के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से वीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, अधीक्षण, संवीक्षण आदि शब्द बन जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि यह विशेषता लोक में प्रचलित या अंग्रेज़ी से गृहीत शब्दों में नहीं है। क्यों कि इन भाषाओं में संस्कृत भाषा के समान संश्लेषणात्मकता और उर्वरता नहीं है। परंतु जिनकी भाषा संस्कृत के निकट नहीं है उनके *लिए* इस धारा के शब्द क्लिष्ट और दुरूह हो जाते हैं।

## 2. लोकवादी धारा :

यह साधारणतः जन सामान्य में प्रयुक्त है। इस प्रवृत्ति को स्वभाषावादी भी कहा जा सकता है। यह धारा लोकप्रचलित शब्दों के आधार पर पारिभाषिक शब्द बनाने के पक्ष में है। उदाहरण के लिए पुनरुत्थानवादी धारा ' प्रसूतिगृह ' (मेटर्निटी होम के लिए) को अपनाती है और लोकवादी धारा 'जच्चाघर ' के प्रयोग के पक्ष में है। दलबदलू, मसौदा, डाकघर, नज़रबंद, रेलगाडी, घुसपैठिया आदि शब्द भी लोकवादी धारा के शब्द हैं। यदि हिन्दी की पूरी शब्दावली इस प्रवृत्ति के अनुकूल बन सके तो बहुत अच्छा हो परंतु सभी पारिभाषिक शब्दों के लिए लोकप्रचलित शब्द यथेष्ट संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए ' आकाशवाणी ' या ' रेडियो ' के समकक्ष कोई लोकनिर्मित शब्द रखना कठिन है, इसी प्रकार टेलीविशन – दूरदर्शन, टेलीफोन – दूर भाषा, मिनिस्ट्री – मंत्रालय, सेक्रेटरी – सचिव के संदर्भ में भी यह समस्या है। इसलिए इस प्रवृत्ति के अनुसार शब्दावली समृद्ध नहीं हो पाएगी। अतः यह धारा पारिभाषिक शब्दावली के लिए अपर्याप्त मानी गई है।

## 3. अंतर्राष्ट्रीयतावादी धारा :

इस धारा को आदानवादी, शब्दग्रहणवादी, स्वीकारवादी भी कहा जाता है। इस प्रवृत्ति के अनुसार अंग्रेज़ी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और भारत एक

बहुभाषी देश है इसलिए अंग्रेज़ी के शब्दों को ज्यों–का–त्यों अपनी भाषा की ध्वनि–व्यवस्था के अनुरूप बनाकर अपना लेना चाहिए जिससे अन्य भाषाओं से संबंध जुडेगा और अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी शब्दावली को याद रखने की सुविधा रहेगी। लेकिन सभी शब्दों को हिन्दी अपने–आप में आत्मसात नहीं कर सकती। हिन्दी ने अपनी संप्रेषणीयता को बनाए रखते हुए एक सीमा तक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ग्रहण किया है जैसे मीटर, लिटर, राडार, किलोग्राम, टन, हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटी, नाइट्रोजन, आक्सीजन आदि ।

## 4. समन्वयवादी धारा :

भारतवर्ष बहुभाषी देश है। इसलिए अधिकतर विद्वान इसे मध्यमार्गी धारा के पक्ष में रखते हैं। अधिकांश विद्वान इस प्रवृत्ति के पक्ष में हैं क्यों कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए सर्वोत्तम मार्ग समन्वय का मार्ग ही हो सकता है। इस धारा में उपर्युक्त तीनों दृष्टिकोणों को समन्वित रूप में ग्रहण किया गया है। इस धारा में उन शब्दों को लेने पर बल दिया गया है जो संदर्भ के अनुसार उपयुक्त हो। ये शब्द संस्कृत से, अंग्रेज़ी से या देशी भाषाओं–बोलियों से भी किए जा सकते हैं। हिन्दी में आजकल उपर्युक्त तीनों प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं जैसे कचहरी–न्यायालय–अदालत–कोर्ट, जच्चाघर – प्रसूतिगृह – मेटर्निटी होम, सरकार – हुकूमत – शासन – गवर्नमेंट, चुनाव – निर्वाचन – इलेक्शन आदि।

इस धारा के अंतर्गत प्रचलित शब्दों को समाज की आवश्यकतानुसार ग्रहण किया जाता है। इसमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को भी लिया जा सकता है, जिनका प्रयोग कई देशों में होता है; जैसे – ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, न्यूट्रान, प्रोटान, विटामिन, इंजन, फाइल, मशीन, कोटा, अपील आदि हिन्दी में प्रचलित हैं। जिन शब्दों के समानान्तर शब्द भारतीय भाषाओं में मिल जाते हैं

और प्रचलित हैं उन्हें भी ग्रहण किया गया है जैसे तार (Telegram) , महाद्वीप (Continent) , परमाणु (Atom) आदि। इसमें संस्कृत शब्दावली को भी आधार माना गया है, जिससे आवश्यकतानुसार शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे मानव से मानवीय, मानवता, मानवीकरण, मानविकी या भाग से विभाग, प्रभाग, अनुभाग आदि।

अरबी – फारसी (उर्दू) से हिन्दी का संबंध काफी गहरा है, इसलिए इस धारा ने मंजूरी, दस्तावेज, वकालतनामा, जिला, जमानत, हलफनामा, कानून जैसे अनेक शब्दों को लिया है। इस धारा में स्वभाषावादी शब्दों को भी अपनाया गया है जैसे घरेलू मामले, जच्चाघर, बिचौलिया आदि ।

इसके अलावा विभिन्न भाषाओं से भी शब्दों को लिया गया है जैसे बंगला से वाहिनी (Battalion), मराठी से पावती (Acknowledgement) , कन्नड से सौध (Annex) आदि। इसके अतिरिक्त बोधगम्यता और सरलता का ध्यान रखते हुए समस्त प्रत्ययों या शब्दों का अनुवाद एक रूप में किया गया है जैसे 'Tele ' शब्द के लिए ' दूर ' शब्द है और उससे निर्मित शब्द हैं – दूर–भाषा (Telephone) , दूरदर्शन (Television) , दूर मुद्रक (Tele printer) , दूर संचार (Tele-communication) , दूरबीन (Telescope) आदि।

इस प्रकार मानव के दैनिक जीवन में विभिन्न संदर्भों , विषयों और कार्यक्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में कई प्रयोगगत भेद उभर आते हैं। इन प्रयोगगत भेदों की अपनी विशिष्ट भाषा होती है और उनके विशिष्ट प्रयोजन होते हैं। वास्तव में भाषा परस्पर संप्रेषण का एक ऐसा उपादान है जिसकी सहायता से व्यक्ति, विशेष परिस्थिति, संदर्भ तथा विशिष्ट प्रयोजन में इसका प्रयोग करता है और

वह प्रयोग उसी संदर्भ , प्रयोजन और परिस्थिति में सटीक तथा उपयुक्त बैठता है।

इन चारों धाराओं में लोकवादी धारा को लेकर ही यह शोधकार्य चल रहा है। क्यों कि प्रेमचन्द के साहित्य में ग्रामीणों–जिनमें अधिकांश किसान, मज़दूर हैं – की लोकभाषा को ही महत्व दिया गया है। उनकी भाषा का अध्ययन करके प्रयोजनमूलक संदर्भ में प्रेमचंद का साहित्य कितना खरा उतरता है उसे साबित करने का प्रयास किया जा रहा है।

## 5. प्रयुक्ति वर्गीकरण के तीन आयाम :

भाषा वैविध्य के इस संदर्भगत एवं विषयगत प्रयोगों के विश्लेषण के आधार पर ही हेलिडे(1973) ने प्रयुक्ति का वर्गीकरण तीन प्रमुख आयामों में किया है –

1. वार्ता–क्षेत्र (Field of discourse)
2. वार्ता–प्रकार (Types of discourse)
3. वार्ता–शैली (Style of discourse)

### 1. वार्ता–क्षेत्र :

वार्ता–क्षेत्र का संबंध भाषा व्यवहार के क्षेत्र में है जिसको समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप हम दफ्तरों में प्रयोग में आनेवाली कार्यालयों की भाषा–शैली को देख सकते हैं। इस विशेष प्रयुक्ति में हम ' इत्तिला ' की जगह ' सूचित ' या ' प्रज्ञापित ' का प्रयोग पाते हैं । प्रयुक्ति के इस प्रकार के विकल्पगत प्रयोगों को ' वार्ता – क्षेत्र ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। क्रिकेट कमेंट्री में भाषा–प्रयोग कुछ दूसरे ही प्रकार का होता है तो विज्ञापन

की शैली संक्षेपीकरण (कम खर्च, अधिक लाभ), तुक बंदी (मुक्ता पढ़िए, आगे बढ़िए) , या पुनरावृत्ति (वज्रदंती, वज्रदंती) , शेयर बाजार की ' चांदी लुढ़की ' , ' सोना उछला ' , ' दाल नरम ' , ' बाज़ार तेज़ ' जैसी विशेष प्रकार की शब्दावली एवं वाक्य–विन्यास को अपनाती है जो न तो कार्यालय के वार्ता–क्षेत्र में देखने को मिलती है और न ही क्रिकेट–कमेंट्री में। जिन विषय–क्षेत्रों के आधार पर भाषा का रूप बदल जाय उन भाषारूपों को उसके विषय–संबंधी वार्ता–क्षेत्र की प्रयुक्ति कहा जाता है।

## 2. वार्ता–प्रकार :

इसी प्रकार भाषा बोलते और लिखते समय हम दो भिन्न शैलियों को अपनाते हैं। बोलते समय हम पूरा वाक्य नहीं बोलते, उसे व्यवस्थित नहीं करते और न ही उसे सुधारते हैं, भाषोत्तर माध्यमों (जैसे – आँख नचाना, भौंहे चढ़ाना, पैर पटकना आदि) के प्रयोग द्वारा सूचना देते रहते हैं और वाणी में रंजकता (भर भराहट, फुसफुसाहट, बोली ऊँची–नीची करना आदि) लाकर भी अपने भाव व्यक्त करते हैं। इसके विपरीत लिखित भाषा में हम एक दूसरे प्रकार से भी भाषा योजना का प्रयोग करते हैं। इसमें हम कभी विरामादि चिन्ह लगाते हैं, कभी प्रश्नसूचक चिन्ह। कभी हम विराम और कभी अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। भाषा के मौखिक और लिखित माध्यम के आधार पर जो प्रयुक्ति भेद देखने को मिलता है उसे वार्ता–प्रकार के अन्तर्गत रखा जाता है।

## 3. वार्ता–शैली :

व्यक्ति (वक्ता) और व्यक्ति (श्रोता) के पारस्परिक सामाजिक संबंध भी भाषा में भेद लाने में समर्थ होते हैं, जिन्हें भाषा–शैली की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसे संबंधों के कारण ही हम किसी से तो कहते हैं ' कृपया ऊपर चलने

6.7 खेल–कूद की प्रयुक्ति

6.8 साहित्यिक प्रयुक्ति

## 6.1 प्रशासनिक या कार्यालयी प्रयुक्ति :

हिन्दी भाषा की अत्याधुनिक एवं सर्वोपयोगी प्रयुक्ति के रूप में 'कार्यालयी ' या ' प्रशासनिक ' (Official) प्रयुक्ति को रखा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा अर्थात् सरकारी कार्यालयों की काम–काज की भाषा के रूप में इसलिए मान्यता मिली कि उसकी प्रशासनिक प्रयुक्ति अत्यंत उपयोगी पायी गयी थी। कार्यालयी भाषा की अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, पद–रचना तथा वाक्य–विन्यास आदि होता है। हिन्दी भाषा की कार्यालय से संबंधित विशिष्ट शब्दावली तथा पद–रचना है। प्रशासन के विभिन्न अंगों, उपांगों के सम्पर्क बिंदुओं को समुचित ढंग से जोडने में हिन्दी भाषा अधिक सक्षम सिद्ध हुई है। हिन्दी भाषा का सरल, सुबोध रूप विशिष्ट रचना प्रक्रिया व शब्दावली द्वारा कार्यालयीन काम–काज को आसानी से किए जाने में उपयुक्त माना जाने लगा है। कार्यालयी हिन्दी के लिए केवल हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान का होना पर्याप्त होता है। हिन्दी की यह प्रयुक्ति निम्नलिखित कार्यालयी काम–काज में अत्यधिक उपयोगी है –

1. मसौदा लेखन एवं टिप्पणी लेखन
2. पत्राचार के विभिन्न रूप
3. संक्षेपण या सारलेखन
4. प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट
5. अनुवाद एवं अन्य कार्यालयी काम–काज़

हिन्दी भाषा की अत्यंत सर्वोपयोगी प्रयुक्ति कार्यालयी प्रयुक्ति कहें तो अत्युक्ति न होगी। अद्यतन, अग्रेषण, पर्यवेक्षण, मिसिल, एवज़ी, आवक, जावक,

अभ्यर्थी, अनुमोदन, प्रेषित आदि का प्रयोग कार्यालयी हिन्दी में ही होता है, अन्य क्षेत्रों में नहीं ।

यहाँ एक विषय के संदर्भ में एक शब्द का एक ही निश्चित अर्थ होता है, चाहे–सामान्य शब्द में दो–तीन शब्द एक ही अर्थ में क्यों न प्रयुक्त हो ।

| शब्द | सामान्य भाषा में अर्थ | कार्यालयी भाषा में अर्थ |
|---|---|---|
| स्वीकृति | Approval | sanction |
| मंजूरी | | Approval |
| अनुमति | | Permission |
| आदेश | Order | Order |
| निदेश | | Direction |
| अनुदेश | | Instruction |

कार्यालयी अभिव्यक्तियाँ विशिष्ट होती हैं ।

जैसे : 1. इस मिसिल पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।

2. मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है ।

3. सुझावार्थ पेश है ।

4. संगत उद्धरण प्रस्तुत किया जाय ।

इन अभिव्यक्तियों का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में नहीं होता।

' क्वालिटी कंट्रोल ' के क्षेत्र में गुणावस्था – गुणवत्ता के संदर्भ में अनेक ऐसी प्रयुक्तियाँ होंगी, जिनका प्रयोग अन्यत्र नहीं किया जाएगा। जैसे ––

1. गुणावस्था बचाव – Nature of quality
2. प्रसामान्य विचलन – Normal deviation

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | प्रतिचयन योजनाएँ | – | Sampling plans |
| 4. | व्यापकचरता | – | Overall variability |

कार्यालयी प्रयुक्ति का स्वरूप सामान्य बोलचाल की हिन्दी से भिन्न होता है। इस प्रयुक्ति के निर्माण में मुख्य रूप से संस्कृत को आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे – संविधान, वैधानिक, विधेयक, प्रावधान, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रतिभूति, अधिसूचना, अधिपत्र, अधिनियम, अभिकरण, अधिकरण, अभिलेख, विनियम, विनियोजन, संशोधन, समादेश, समायोजन, स्थानांतरण आदि अनेक शब्द संस्कृत से निकलकर कार्यालयी हिन्दी के अंग बन गये हैं।

अरबी, फारसी शब्दों का भी कार्यालयी प्रयुक्ति में पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होता है। जैसे – दस्तावेज़, ज़मानत, मिसिल, एवज़ी, बर्खास्तगी आदि।

अंग्रेज़ी शब्दों का भी कार्यालयी प्रयुक्ति में बाहुल्य है। जैसे – टेण्डर, बैंक, चेक, ड्राफ्ट, पेन्शन, केडर, ड्यूटी आदि।

हिन्दी के सामान्य बोलचाल शब्दों का भी समावेश कार्यालयी प्रयुक्ति में पाया जाता है। जैसे – छुट्टी, भाडा, ठेका, रसीद, छूटा, घाटा आदि। (प्रेमचंद का 'कथ–साहित्य' जो इस अनुसंधान का केन्द्र बिन्दु है – इस प्रकार के शब्दों के बाहुल्य से भरपूर है)

भारत की अन्य भाषाओं से भी इसमें शब्द ग्रहण किये गये हैं । जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| कन्नड से | – | निवल |
| मराठी से | – | पावती, आवक, जावक |
| तमिल से | – | चिल्लर, विल्लंगम आदि। |

## 6.2 वैज्ञानिक तथा तकनीकी भाषा प्रयुक्ति :

विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों में प्रयुक्त हिन्दी, विज्ञान के संदर्भ एवं प्रसंग में परिभाषित और एकार्थी होते हैं। इस भाषा प्रयुक्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी भाषा न केवल साहित्य और प्रशासन का प्रभावी माध्यम है बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय–वस्तु को सुगठित एवं सुव्यवस्थित रूप में प्रयुक्त करने का सशक्त साधन भी है। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र परस्पर पूरक हैं। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होती है। उसमें विशिष्ट सूत्र एवं पदार्थों को विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरण –

| | | |
|---|---|---|
| आनुवंशिक | – | genetic |
| कोशिका | – | cell |
| जडत्व | – | Inertia |
| सूक्ष्म तरंग | – | microwave |
| प्रकाशिकी | – | optics |
| ऊर्जा | – | energy |

वैज्ञानिक भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग है। वैज्ञानिक हिन्दी में संकेत प्रायः रोमन अथवा ग्रीक अक्षरों या चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे – किरणों के नाम अल्फा ($\alpha$) किरण, बीटा ( $\beta$ ) किरण और गामा ($\gamma$) किरण रखा गया है ।

## 6.3 वाणिज्यिक या व्यावसायिक प्रयुक्ति :

इस प्रयुक्ति के अन्तर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, शेयर बाज़ार, बीमा, बैंकिंग, तथा आयात–निर्यात क्षेत्रों का समावेश किया जा सकता

है। यह प्रयुक्ति कार्यालयी प्रयुक्ति के पश्चात् दूसरी महत्वपूर्ण प्रयुक्ति मानी जाती है।

क. व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र की हिन्दी :

| | | |
|---|---|---|
| **Unloading** | – | उतराई |
| **Loading** | – | लदान |
| **Average** | – | औसत |
| **Confirm** | – | पुष्टि |
| **Cancel** | – | निरस्त |
| **Taxpaid** | – | कर प्रदत्त |
| **Cash credit slips** | – | नकद – उधार की पर्चियाँ |

ख. कपड़ा बाज़ार की हिन्दी :

1. त्योहारी बिक्री की फीकी चमक ।
2. निर्यात बाज़ार ठंडा है ।
3. माता की आवक जड़ गयी है ।
4. पॉवर प्रोसेस हाउसों की सेहत में सुधार आया है ।
5. वर्तमान समय में यदि सभी धागों में भाव धरातल छू रहे हैं, किन्तु
   ब्राइट फिलोमेण्ट , ए.आर.एन तथा अन्य स्टेपल जैसे चमकीले धागों में भाव आसमान छू रहे हैं ।

ग. शेयर बाज़ार की हिन्दी / व्यावसायिक हिन्दी :

1. शेयर बाज़ार में मन्दी का हौवा ।
2. टेल्को, प्रीमियर और एम्बेसिडर की हालत पतली हो गयी है ।
3. बाँडों के अच्छे समर्थन से शेयरों में तेज़ी ज़ारी।

4. सोने के भाव पूरे विश्व में गिरे , मुंबई में सोना–चाँदी लुढ़के ।
5. शेयर बाजार झूम उठा, 12 अंक उछला ।
6. विदेशी निवेशकों ने शेयरों को डुबोया।

घ. **बैंकिंग प्रयुक्ति :**

स्वतंत्रता के पश्चात् बैंक का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है और ग्राहकों के साथ संपर्क अधिक होता जा रहा है। सभी क्षेत्रों के जैसे यहाँ भी राजभाषा हिन्दी का प्रयोग धीरे–धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे :

| | | |
|---|---|---|
| प्रतिभूति | – | Security |
| वैध–मुद्रा | – | Legal tender |
| खाता | – | Account |
| निज़ी साख पर उधार | – | Blank credit |
| आवर्ती जमा | – | Recurring Deposit |
| मीयादि जमा | – | Fixed Deposit |

## 6.4 विज्ञापन भाषा प्रयुक्ति :

वाणिज्यिक क्षेत्र की प्रगति विज्ञापन पर निर्भर है और आज विज्ञापन का यह क्षेत्र बहुत तेज़ी से उभरकर आ रहा है और उसकी भाषा प्रयुक्ति भी उतनी ही तीव्र गति से महत्वपूर्ण आकर्षक एवं प्रचुर मात्रा में निकल रही है। जनसंचार माध्यमों के विकास के साथ–साथ विज्ञापन की भाषा का विशिष्ट रूप और अधिक उभरने लगा है। विज्ञापन की भाषा चूँकि व्यापार, व्यवसाय तथा वाणिज्य से संबंध रखती है, उसमें आकर्षक तत्व, स्परणीयता, विक्रय–शक्ति, मोहक भाषा–शैली, श्रव्यता एवं सुपाठ्यता, संक्षिप्तता तथा प्रभावान्वित का होना नितान्त आवश्यक है।

1. सोना और सफाई,
   जैसे लॉंड्री की धुलाई ।
2. मज़ेदार भोजन का राज । पीने में अच्छी और पिलाने में भी अच्छी ।
3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
   आपके बेहतर कल के लिए ।
4. हाज़मा सुधारे , भूख लगाए – झंडु पंचरिष्ट ।
5. आसान ऋण । कम ब्याज ।

## 6.5 पत्रकारिता की भाषा एवं प्रयुक्ति :

1. कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए योजना ।
2. शिमला समझौते के तहत–पाक से वार्ता के लिए भारत तैयार ।
3. पेट्रोल की कीमतों में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि के कारण जीवनावश्यक चीज़ों के दाम आकाश छूने लगेंगे ।
4. फिर कश्मीर मुद्दा उछालने की पाक की तैयारी ।

पत्रकारिता भाषा की अनेकों प्रयुक्तियाँ उपलब्ध हैं । जैसे –– आमुख, अग्रलेख, बॉक्स, क्रॉप, क्रीड, क्रेडिट लाइन, बैनर, स्कूप, रपट, पताका आदि।

## 6.6 कानून एवं विधि की भाषा प्रयुक्ति :

यह अपने में एक अलग प्रयुक्ति है – इसमें विशिष्ट पद–विन्यास, लंबे और संयुक्त वाक्य–रचना, कानूनी प्रक्रिया की अन्विति आदि प्रमुख रूप से पायी जाती है। इसका स्वरूप अत्यंत तकनीकी होने के कारण और संबंधी कानूनी प्रक्रिया से जुडे होने के कारण जन सामान्य के लिए यह जटिल एवं दुरूह प्रतीत होता है। जैसे –

2. भारत ने परम्परागत प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान को आठ मैचों की श्रृंखला के पाँचवें मैच में 3–2 से पराजित करके श्रृंखला में भी 3–2 की बढत ले ली।
3. भारत ने न्यूजलेंड को पाँच मैचों की श्रृंखला में 3–2 से पराजित करके मैच जीत ली है।

फुटबाल :

1. फ्रांस विश्वकप फुटबॉल में रेकॉर्ड 171 गोल हुए ।
2. ब्राजील का शीर्ष स्थान बरकरार ।
3. पाकिस्तान ने पासा पलटा ।

प्रयुक्तियों की संरचना इतनी स्पष्ट हो गयी है कि हम उनके प्रयोग द्वारा ही यह स्पष्ट बता सकते हैं कि यह प्रशासनिक क्षेत्र की हिन्दी है, विधि के क्षेत्र की हिन्दी है, यह बैंक में प्रयुक्त हिन्दी है, यह खेल–कूद के क्षेत्र की हिन्दी है, यह व्यावसायिक हिन्दी है, या वैज्ञानिक क्षेत्र की तकनीकी हिन्दी है या साहित्यिक हिन्दी है। यही कारण है कि रजिस्टर की संकल्पना के प्रारंभकर्ता हैलिडे महोदय ने स्पष्ट शब्दों में इसे विषय–क्षेत्र, ' वार्ता–क्षेत्र–फील्ड आफ डिस्कोर्स ' की संज्ञा दी है।

## 6.8 साहित्यिक प्रयुक्ति :

जब से हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया तब से प्रशासन में प्रयुक्ति का अपना महत्व रहा है। साहित्य भी उससे अछूता नहीं है। साहित्यकार अपने साहित्य में अनजान से ही ' प्रयुक्ति ' का प्रयोग करते आये हैं। जब विद्वानों ने प्रयोजनमूलक हिन्दी में साहित्यिक हिन्दी को स्थान दिया,

| | | |
|---|---|---|
| अभियोग | – | Charge |
| अभियोजन | – | Prosecution |
| धारा | – | Section |
| आदेश | – | Mandate |
| अध्यादेश | – | Ordinence |
| समादेश | – | Writ |

## 6.7 खेल–कूद की प्रयुक्ति :

इस क्षेत्र में हर खेल से संबंधित विशिष्ट प्रयुक्तियों का प्रयोग होता है। खिलाडी और खेल–कूद में रुचि रखनेवाले ही इसे समझ सकते हैं। यहाँ जो प्रयोग मिलते हैं, उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं पा सकते हैं।

क्रिकेट में :

1. सलामी बल्लेबाजी
2. निर्णायक टेस्ट
3. चौका
4. छक्का
5. गेंदबाज़ी
6. पकड मजबूत
7. गोल दागना
8. बढ़त लेना

उदाहरण :

1. सौरभ ने शतक जमाकर तथा श्रीनाथ ने दो विकेट शीघ्र झटककर ड्रा की ओर बढ़ रहे टेस्ट में नई जान फूँकी। (25.11.1997 – नवभारत टाइम्स)

तब तो स्पष्ट है कि साहित्यिक हिन्दी प्रयोजनमूलक हिन्दी का ही अंग है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। इस रूप में कहा जा सकता है कि हिन्दी भाषा की सबसे अक्षुण्ण प्रयुक्ति ' साहित्यिक ' (Literary) मानी जा सकती है। लेखबद्ध साहित्यिक भाषा काफी विशिष्टताएँ लिए होती हैं, इसलिए वह लेखकों तथा विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। साहित्यिक भाषा में जनसामान्य के जीवन के साथ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का आलेख पाया जाता है।

हिन्दी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य को तीन काल खण्डों में विभाजित कर साहित्यिक प्रयुक्ति का अवलोकन किया जा सकता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास के अनुसार उसके तीन कालखण्ड माने गए हैं ––

1. प्राचीन काल या भक्तिकाल
2. मध्यकाल या रीतिकाल
3. आधुनिक काल

उपर्युक्त तीनों कालखण्डों में युग चेतना तथा सामाजिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार हिन्दी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति में परिवर्तन हुआ है जो हिन्दी भाषा के क्रमगत विकास–सोपान के आलेख को आरोखित करता है ।

हिन्दी का साहित्यिक लेखन इधर एक नया रूप धारण कर रहा है। पहले साहित्यकार व्यसन के लिए लिखनेवाले थे पर अब अधिकांशतः व्यवसाय के लिए लिखने लगे हैं। पत्रकारिता और साहित्य का क्षेत्र आज बहुत करीब हो चुका है। साहित्यकार आज पत्रकारिता के क्षेत्र के सर्जनात्मक लेखक बनते

जा रहे हैं। आज अनेक स्तंभ–लेख, फीचर, भेंटवार्ता, पुस्तक–समीक्षा आदि निकलने लगी हैं। सर्जनात्मक लेखन के अन्तर्गत पटकथा–लेखन, संवाद–लेखन, डब्बिंग, संभाषण–कला, नेता की मृत्यु पर, राष्ट्रीय समारोह पर और खेल–कूद पर, कमेन्टरी–कला, प्रचार–साहित्य लेखन, समाचार–वाचन के लिए लेखन, नारा (स्लोगन) तथा सूक्ति लेखन आदि आते हैं। इन सभी का अपना अलग स्वरूप होता है और संरचना एवं प्रयुक्ति की दृष्टि में, इनमें अंतर ज़रूर है।

इस बीच साहित्य की अनेक विधाओं का रूपान्तरण, श्रव्य–दृश्य माध्यमों के अनुरूप हो गया है। प्राचीन एकांकी एवं नाटक की जगह फीचर–फिल्म, टैली ड्रामा, टेली फिल्म, कार्टून फिल्म, ऑपेरा, ग्राफिक्स आदि के श्रव्य–दृश्य प्रयोग होने लगे हैं। गद्य साहित्य की नयी विधाएँ–संस्मरण, रेखा–चित्र, डायरी–लेखन, भेंटवार्ताएँ, फीचर–लेखन, रेडियो–वार्ता, पुस्तक–समीक्षा आदि विकसित हो गयी है। इन नयी गद्य विधाओं का श्रव्य–दृश्य बंधीकरण और उसके लिए सर्जनात्मक हिन्दी अथवा मीडियम–लेखन का प्रशिक्षण आज अनिवार्य हो गया है। इसकी अपनी अलग शब्दावली एवं स्वरूप विकसित होता आ रहा है।

इस प्रकार जो साहित्यिक हिन्दी प्राचीन काल में विद्वानों की स्वान्तः सुखाय भाषा बनी रही, वही नए रूप में आज प्रयोजनमूलक हिन्दी का अंग बनकर, सर्वजन हिताय में परिणत हो गयी है। यह साहित्यिक हिन्दी की नितान्त नयी छवि है। यह उसकी समसामयिक परिणति है और आज के युगधर्म की यही मांग है। इसी में उसकी प्रयोजनमूलकता चरितार्थ हो सकेगी। शायद यही कारण है कि सभी वरिष्ठ विद्वानों ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के विभिन्न रूपों में साहित्यिक हिन्दी को भी शामिल किया है।

मेरा विचार है कि मात्र अत्याधुनिक साहित्य में ही प्रयुक्ति का विकास नहीं हुआ है परंतु उसके पूर्व भी हिन्दी साहित्य में इन प्रयुक्तियों का अवलोकन किया जा सकता है। इसलिए मैं ने अपने शोध प्रबंध के लिए प्रेमचन्द के साहित्य को लिया है।

प्रेमचन्द के युग में ' प्रयुक्ति ' शब्द का न ज्ञान था, न प्रयोग हुआ था। फिर भी प्रेमचन्द ने जो भी लिखा है, उसमें प्रयुक्तियों का इस्तेमाल अनायास किया गया है। वार्ता क्षेत्र की शब्दावलियों का सहज प्रयोग उनके कथा–साहित्य में देखा जा सकता है। जन–सामान्य में प्रयुक्त लोकवादी धारा की शब्दावलियों का अनायास प्रयोग प्रेमचन्द की रचनाओं का वैशिष्ट्य है। इस तथ्य को आधार बनाकर ही यह शोध–प्रबंध लिखा गया है।

इस शोध–प्रबंध रूपी भवन की नींव के रूप में ये दोनों प्रयुक्तियाँ पायी गयी हैं––

1. शास्त्रीय प्रयुक्तियाँ तथा
2. लोक प्रयुक्तियाँ

## 6.8.1 शास्त्रीय प्रयुक्तियाँ :

भाषा अपनी प्रकृति में एक लचीली व्यवस्था है। प्रयुक्ति के माध्यम से यह देखने का प्रयास किया जाता है कि विशेष एवं निर्दिष्ट परिस्थितियों में भाषा–प्रयोक्ता, भाषा की इस लचीली संभावना के साथ ' करते क्या है ' । भाषा प्रयोक्ता परिस्थिति से बंधकर जिस भाषा–भेद को जन्म देते हैं, उसे ही प्रयुक्ति का आधार कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि किसी निश्चित परिस्थिति में सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए वक्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा शैली ही ' प्रयुक्ति ' है ।

बदली हुई सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में व्यक्ति का भाषा–व्यवहार भी प्रत्येक स्थिति, संदर्भ और भूमिका के अनुसार बदलता रहता है। क्षेत्र के अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता है। वह स्थिति / परिस्थिति / विषय क्षेत्र जिसमें किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, विशेष प्रभाव डालता है। एक ही व्यक्ति भिन्न–भिन्न क्षेत्र और परिस्थिति में भिन्न–भिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है।

साहित्यिक कृतियों में विशेष रूप से, कथा–साहित्य में सभी प्रकार के क्षेत्रों पर – राजनीति, समाज, धर्म, दर्शन, संस्कृति, कानून आदि क्षेत्रों पर जो संवाद, चर्चा और कथन होते हैं – उनके अनुसार भाषा बदल जाती है। इन संवादों और चर्चाओं को ' शास्त्रीय ' या ' वैचारिक ' कहते हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों में जो भाषा रूप, संवादों , कथनों और चर्चा के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें ही शास्त्रीय प्रयुक्तियों के अन्तर्गत मानते हैं। राजनीति की बातें, समाज शास्त्र एवं कानून की बातें तथा शोषण की बातें जब चर्चा के रूप में वर्णित होते हैं तब वे चर्चाएँ शास्त्रीय होती हैं ; उनमें प्रयुक्त भाषा–रूप ' शास्त्रीय प्रयुक्ति ' कहलाते हैं । प्रेमचंद इसमें माहिर है। उदाहरणार्थ –

## 1. राजनीति शास्त्र :

' गबन ' में देवीदीन मिथ्या कांग्रेसी नेताओं की पोल खोलते हुए जो प्रश्न करता है, उसमें राजनीति के क्षेत्र की चर्चा आ जाती है, इसमें राजनीति–शास्त्र की प्रयुक्ति को हम देख सकते हैं। '' साहब, सच बताओ, जब तुम सुराज का नाम लेते हो, उसका कौन–सा रूप तुम्हारी आँखों के सामने आता है ? तुम भी बड़ी–बड़ी तलब लोग अंग्रेज़ी की तरह बंगले में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेज़ी ठाठ बनाओगे । इस सुराज पर देश का क्या कल्याण होगा ? तुम्हारी और तुमहारे भाई–बन्धुओं की

जिन्दगी भले आराम और ठाठ से गुज़रे, पर देश का कोई भला न होगा। बस लगे झांकने बगले। तुम दिन में पाँच बेर खाना चाहते तो वह भी बढ़िया माल । गरीब किसानों को एक जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता । इसी का रक्त चूसकर तो सरकार तुम्हें छुट्टे–छुट्टे देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उसकी ओर जाता है ? अभी तुम्हारा राज नहीं है। तब तो तुम भोग–विलास पर इतना मरते हो। तुम्हारा राज हो जाएगा, तब तो तुम गरीबों को पीसकर पी जाओगे तो सुराज मिलने पर दस–दस पाँच–पाँच हज़ार के अफसर नहीं रहेंगे । " [5]

## 2. कानूनी शास्त्र :

' रंगभूमि ' के सूरदास को लोग दोषी टहराते हैं पर वह पंचायत के निर्णय को सुनना चाहता है, इसमें कानून के क्षेत्र की बात आ जाती है, इसमें कानून–शास्त्र की प्रयुक्ति को हम देख सकते हैं। सूरदास कहता है ---
"मेरी अपील पंचों से होगी। एक आदमी के कहने से मैं अपराधी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी हो । हाकिम ने सज़ा दे दी, सज़ा काट लूँगा, पर पंचों का फैसला भी सुन लेना चाहता हूँ। " [6]

## 3. मनोविज्ञान शास्त्र :

समाज में स्त्री और पुरूष समान हैं । उनके आचार–विचार, मनोभावों में कोई भेद–भाव नहीं है। उनके स्वभाव में कोई भिन्नता नहीं है। जिस प्रकार पुरूष व्यवहार करता है, वैसा ही स्त्री भी व्यवहार करना चाहती है। पर मर्द का हरजाईपन औरत को उतना ही बुरा लगता है, जितना औरत का मर्द को लगता है। इसमें स्त्री और पुरूष के मनोविज्ञान–शास्त्र की प्रयुक्तियों को हम देख

सकते हैं। गोदान में झुनिया अपने प्रेमी गोबर से कहती है –– '' बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाडते हैं। जब मर्द इधर–उधर ताक–झांक करेगा तो औरत भी आँख–लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौडेगा, तो औरत भी ज़रूर मर्दों के पीछे दौडेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है, जितना औरत का मर्द को। '' [7]

## 4. दर्शन शास्त्र :

मनुष्य को जीवन रूपी मैदान में खेलना ही पड़ता है। उसे उस खेल में हार और जीत दोनों का सामना करना पड़ता है। चाहे जो भी हो, उसे खेलना ही पड़ता है। ' रंगभूमि ' का सूरदास अपने जीवन रूपी मैदान में जो खेल खेलता है, उसे हंसते और रोते हुए खेलता है। इन बातों में जीवन एक खेल–कूद है। जीवन रूपी इस खेल–कूद में जो प्रयुक्तियाँ पायी जाती हैं वे सूरदास की मनःस्थिति को व्यक्त करती है।'' सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी–पर–बाजी हारते हैं, चोट–पर–चोट खाते हैं, धक्के–पर–धक्के सहते हैं; पर मैदान में डटे रहते हैं , उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं, न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा ? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं '' [8]

## 6.8.2 लोक प्रयुक्ति :

लोक या जन भाषा के प्रयोग का एक प्रमुख आयाम, विविध प्रयुक्ति क्षेत्रों से संबंधित है जिसमें भाषा की प्रयोजनमूलकता की गन्ध आती है ।

प्रेमचन्द के उपन्यासों की भाषा का विश्लेषण करने पर, उनका लोकजीवन से गहरा आत्मीय संपर्क और विविध क्षेत्र–विशेष की शब्दावली का ज्ञान, उन शब्दावलियों का लोक सामर्थ्य आदि का पता चलता है। इन लोक प्रयुक्तियों के अन्तर्गत कानूनी क्षेत्र से संबंधित, प्रशासन / कार्यालय से संबंधित, विविध व्यावसायों से संबंधित, धर्म, दर्शन, संस्कारों आदि से संबंधित विशिष्ट शब्दावलियाँ प्रचलित हैं। कर्मक्षेत्रों की भाषा जैसे दर्जी, नाई आदि, खेती–बाड़ी से जुडे शब्द, पहनने–ओढ़ने से संबंधित शब्द, बर्तनों एवं गहनों के लिए प्रयुक्त शब्द, रसोई से संबंधित शब्द आदि भी इनके अन्तर्गत आते हैं। उदाहरणार्थ –– " सरकार , मोर तलन हैं दीन जाय। ऐसी नौकरी मोसे न होई। कहाँ लौ दौरी ? दौरत–दौरत गोड़ पिराय लागत है । " [9] इसी प्रकार अनेकों प्रयुक्तियाँ हैं। जैसे –– आयश, परतिसठा, पिंसिन, पिट्टस, कानिसटिबिल, अनुशीलन, राज्य–पदाधिकारी, बोहनी, खजांची, क्लर्क, मुवक्किल, तहसीलदार, रोज़ा–नमाज़, समाधी, सभापति, प्रोफेसर, कालेज आदि।

## 6.8.3 समाज नियंत्रित भाषा प्रयुक्ति :

सामाजिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि सामाजिक स्तर, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक भूमिका के अंतर्गत भाषा किस प्रकार बदलती रहती है। भाषा की इस विविधता से वक्ता का सामाजिक स्तर स्वयं दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए ---

1. ' सुरेश के भाई की शादी हो गई है । '
2. ' नरेश की शादी हो गई है । '

इन दोनों वाक्यों में जो अंतर मिलता है उससे वक्ता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर संकेत मिलता है। हम एक भाषा–भाषी समुदाय के सदस्य होने

के नाते समाज के आंतरिक भाषा भेद के आधार पर सामाजिक वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं ।

भौगोलिक सीमाओं से जिस प्रकार क्षेत्रीय बोलियों का निर्धारण किया जाता है जैसे कि दो क्षेत्रीय बोलियों में जितनी भौगोलिक दूरी होगी भाषा की दृष्टि से वह उतनी ही असमान होंगी और इसी तरह भाषा के सामाजिक प्रभेद सामाजिक सीमाओं और सामाजिक अंतर से पहचाने जायेंगे। यह बात भी सच है कि भाषा में कई समान तत्व होते हैं तो विभिन्न शैलियों में एक समान दिखाई देते हैं। मालिक – नौकर, अफसर – कर्मचारी, पिता – पुत्र , अध्यापक – छात्र, मित्र – मित्र आदि की भूमिका में भाषा में जो परिवर्तन आता है वह एक प्रकार की सामाजिक शैली ही है। उदाहरण के लिए – कार्यालय में एक अधिकारी को कई भूमिकाएँ निभानी पड़ती है। उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारी, उच्च अधिकारी और अपने अधिकारी–सहकर्मियों के साथ बातचीत करते हुए भिन्न–भिन्न शैलियों का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हो ? ये सभी भूमिकाएँ एक प्रकार से कार्यालयीन प्रयुक्तियों में आ जाती हैं। किंतु उसी अधिकारी को अपने घर में अपने माता–पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों आदि के साथ अलग भूमिका निभानी पड़ती है जो कार्यालयीन प्रयुक्ति से अलग होती है। इसी को दृष्टि में रखते हुए हिन्दी में ' आप ' , ' तुम ' और ' तू ' इन तीनों मध्यम पुरूष एकवचन सर्वनामों का प्रयोग सामाजिक स्तर, जातिगत, आयुगत, पारिवारिक संबंधों आदि के आधार पर किया जाता है। 'आप ' का प्रयोग एकवचन के रूप में ' तू ' या ' तुम ' की अपेक्षा सम्मान, शिष्टाचार या औपचारिकता की दृष्टि से अधिक होता है। पारिवारिक संबंधों , व्यावसायिक स्तर, आयु आदि वरिष्ठ व्यक्ति को प्रायः ' आप ' शब्द से संबोधित किया जाता है –– ' आप इस समय कहाँ जा रहे हैं, ' तो अवर या कनिष्ट व्यक्ति को (पारिवारिक संबंध, व्यावसायिक स्तर, आयु आदि से )

'तुम ' मध्यम पुरुष से संबोधित किया जाता है -- ' तुम इस समय कहाँ जा रहे हो । ' यदि वक्ता और श्रोता दोनों में आत्मीयता हो तो इन सब स्तरों या संबंधों की मर्यादाओं को तोड़कर ' आप ' के स्थान पर प्रायः ' तुम ' का प्रयोग होने लगता है। आजकल नवयुवकों के मुख से बड़ों के लिए औपचारिकता में समवयस्कों या समान सामाजिक स्तर या अपने से निचले स्तर के लोगों के लिए ' आप ' का प्रयोग ' तुम ' के पेटर्न पर होने लगा है। ' तू ' के प्रयोग में एक विलक्षण बात यह है कि इसका प्रयोग अत्यंत आत्मीय व्यक्ति या ईश्वर के लिए भी होता है – ' ईश्वर तू ही सबका पालक है ' आदि। इसके अतिरिक्त भी घर में पिता के लिए जहाँ ' आप ' का प्रयोग होता है वहाँ मां के लिए ' तुम ' का प्रयोग होता है। यदि दो व्यक्तियों में ' आप ' का प्रयोग होता रहता है तो गहन आत्मीयता और भावावेश के क्षणों में भी वह ' तुम ' या ' तू ' में बदल जाता है। इसके विपरीत व्यंग्य या अतिरिक्त सम्मान देने के क्षेत्रों में ' तुम ' या ' तू ' , ' आप ' में परिवर्तन हो जाता है ।

इस प्रकार कोई भी भाषा ' शैली युक्त ' नहीं हो सकती क्योंकि वह व्यक्त रूप में सदैव समाज एवं परिस्थिति से जुड़ी रहती है। यह शिक्षा, जाति, धर्म, आयु, पद आदि के स्तरों पर सामाजिक बन्धनों से नियंत्रित रहती है ।

प्रेमचंद को समाज नियन्त्रित भाषा के प्रयोग में माहिर कहा जाता है। उनके उपन्यासों में समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। उनके उपन्यासों की भाषा दैनिक व्यवहार की भाषा न होकर भी यथार्थ का वातावरण उत्पन्न करने में समर्थ रही है। उनके साहित्य में उपरोक्त मध्यम पुरुष एकवचन का प्रयोग सामाजिक वर्ग, जाति, पद आदि के अनुरूप किया गया है।

प्रेमचन्द बनारस के पास लमही गाँव में एक किसान परिवार में पैदा हुए थे इसलिए वारणासी प्रान्त के सभी प्रकार के सामाजिक जीवन की समस्याओं से परिचित थे और वहाँ की बोली पर उनका अधिकार था।

इसलिए समस्याओं की अभिव्यक्ति में यथार्थता दिखाई देती है। मुख्यतः 'गोदान ' में प्रेमचंद पाठकों के सामने एक से अधिक रूपों में आते हैं और हर रूप के साथ उनकी भाषा भी बदल जाती है।' गोदान ' में वारणासी प्रान्त में बोली जानेवाली संबोधन शब्दावली का प्रयोग भी सामाजिक शैली के संदर्भ में देखा जा सकता है जिनका प्रयोग वर्ण व्यवस्था के आधार पर, रिश्ते के आधार पर और आयु के आधार पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही सामाजिक स्थिति का निर्वाह किया है। 'गोदान ' में राय साहब जब होरी से बात करते हैं तो ' तू ' या ' तुम ' का प्रयोग करते हैं जैसा कि ' तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। '' (गोदान, पृ.16) और मेहता से बात करते समय ' आप ' का प्रयोग करते हैं जैसे – ' आप का विचार बिलकुल ठीक है मेहता जी। ' (गोदान, पृ.47) मित्र को संबोधन करने के लिए ' तुम ' का प्रयोग करते हैं। मेहता मालती से बातें करते समय ' तुम ' का प्रयोग करते हैं। ' मैं जानता हूँ, तुम अपनी रक्षा कर सकती हो । ' (गोदान, पृ.66)

---

# संदर्भ सूची


1. प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और प्रयोग – डॉ.दंगल झाल्टे , पृ. 69
2. हिन्दी का सामाजिक संदर्भ – रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव – पृ. 270
3. वही, पृ. 270
4. वही, पृ. 271
5. संक्षिप्त गबन – प्रेमचन्द , पृ. 103–104
6. रंगभूमि – प्रेमचन्द, पृ. 375
7. गोदान – प्रेमचन्द, पृ. 44
8. रंगभूमि –प्रेमचन्द, पृ. 138
9. निर्मला – प्रेमचन्द, पृ. 44


——

# तृतीय अध्याय

## प्रेमचंद – व्यक्तित्व, रचना–संसार एवं भाषा–शैली

# तृतीय अध्याय

## प्रेमचंद – व्यक्तित्व,रचना–संसार एवं भाषा–शैली

1. प्रेमचंद की जीवनी
2. प्रेमचंद की रचनाएं–उपन्यास–कहानी–नाटक–जीवनी–अनूदित कृतियां–बालोपयोगी–स्फुट रचनाएं–विविध
3. प्रेमचंद की कहानियों का वर्गीकरण
4. प्रेमचंद के उपन्यासों का वर्गीकरण
5. प्रेमचंद की भाषा–शैली–वैशिष्ट्य

# तृतीय अध्याय

## प्रेमचंद–व्यक्तित्व, रचना–संसार एवं भाषा–शैली

### 1. प्रेमचंद की जीवनी :

हिन्दी साहित्य के रंग–मंच पर प्रेमचंद का अवतीर्ण होना एक युगान्तकारी घटना है – कथा – साहित्य के संदर्भ में यह विशिष्ट एवं अविस्मरणीय है । प्रेमचंद के कारण ही कथा–साहित्य को सर्वथा एक नई दृष्टि ,नई अर्थवत्ता और शिल्पगत नवीन आयाम प्राप्त हुए ।

प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ई में बनारस (वारणासी) से पॉच–छः मील दूर लमही नामक गॉव में हुआ था । उनका असली नाम धनपतराय श्रीवास्तव था । 'प्रेमचंद' तो उनका साहित्यिक नाम था । प्रेमचंद की मृत्यु सन् 1936 में काशी में हुई थी । उनके पिता का नाम अजाबराय और माता

का नाम आनंदी देवी था । प्रेमचंद का वैवाहिक जीवन उतना सफल नही था । वे अपनी पहली पत्नी से उतने संतुष्ट नहीं थे । उन्होंने शिवरानी देवी नामक विधवा से दूसरी शादी की जिससे वे बहुत प्रसन्न थे । शिवरानी देवी उनके साहित्यिक जीवन बिताने में सहायक तथा अद्‌भुत संगिनी थी ।

प्रेमचंद ही एक ऐसे साहित्यकार है जिसने पूरे संसार भर को अपनी लेखनी द्वारा प्रभावित किया, जिसके साहित्य ने जीवन और समाज के व्यावहारिक पक्षों के संबंध में जनता की जिज्ञासाओं को शांत किया । वे 'उपन्यास सम्राट ' नाम से जाने जाते हैं । उन्हें हिन्दी का ' मैक्सिमगोर्की ' कहा जाता है । कहा जाता है कि उन्हें ' प्रेमचंद ' नाम ' जमाना ' के संपादक दयानरायन निगम ने दिया था । अंग्रेज़ी सरकार की धमकियों के बाद ही उन्होंने ' प्रेमचंद ' नाम से लिखना शुरू किया था ।

प्रेमचंद एकदम सीधा–सादा जीवन बिताया करते थे । समर्थक आलोचक डॉ.इन्द्रनाथ मदान ने उनके व्यक्तित्व के संबंध में लिखा है – '' प्रेमचंद इतना सादा जीवन बिताते थे कि कल्पना नहीं कर सकता । वे देहाती किसान के प्रतिरूप थे. जिनमें अंहकार नाम–मात्र को भी नहीं था । जीवन की सभी कटुताएं सहते हुए भी वे प्रसन्न–चित्त होकर आगे बढ़ते थे , परंतु देश की दशा से वे सदैव दुखी हुआ करते थे और उसकी मुक्ति का उपाय सोचते–सोचते खो–से जाते थे । वे देश भक्त थे । समाज–विशेष या संप्रदाय विशेष के समर्थक न थे । सच्चे अर्थों में हिन्दुस्तानी थे .....उनका बाहर–भीतर एक–सा था, कथनी–करनी में भेद करना न जानते थे , साहित्य और जीवन दोनों उनके लिए एक–दूसरे के पर्यायवाची थे । इसलिए यह कहना कि प्रेमचंद मनुष्य के रूप में साहित्यकार – से भी अधिक महान थे, सोलह आने ठीक है ।'' [1]

प्रेमचंद अपने समय के प्रगतिशील के समर्थक थे और उनकी सूक्ष्म दृष्टि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों तक व्याप्त थी । उनकी रचनाओं का प्रतिपाद्य विषय साधारण लोगों का जीवन ही था । भारतीय किसानों और मजदूरों की कठिनाइयों का और जमीन्दारों और अमीरों की बुराइयों का इतना स्वाभाविक और विचारात्मक वर्णन बहुत कम लेखकों ने किया है । इसका कारण यह होगा कि आपका जन्म बड़े ही गरीब परिवार में हुआ था । उनका जीवन फूलों से लदे हुए सेज नहीं था बल्कि कांटों से भरे हुए था । इसलिए किसानों और मजदूरों की कठिनाइयों और विशेषताओं से वे भली–भांति परिचित थे ।

प्रेमचंद के समय के भारत की राष्ट्रीय स्थिति भी इसका और एक प्रधान कारण हो गया । भारतीय ग्रामीण तथा साधारण जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय थी । ग्रामीण जनता के निकट संपर्क में रहने के कारण उनके मनोविज्ञान से वे भलि–भांति परिचित थे । उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके पीछे उनका अनुभव निहित है । किसान, मज़दूरों के प्रति उन्होंने कोरी बौद्धिक सहानुभूति ही नहीं प्रदर्शित की वरन् बड़े ही यथार्थ ढंग से उसकी दुर्बलताओं, विशेषताओं और समस्याओं पर प्रकाश डाला है । अचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके इस महत्व को जानकर बड़े ही मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है –"प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पेषित कृषकों की आवाज़ थे ; पर्दे में कैद, पद–पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे , गरीबी और बेकसी के महत्व के प्रचारक थे । अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार–विचार, भाषा–भाव, रहन–सहन, आशा–आकांक्षा, दुःख–सुख और सूझ–बूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता । झोंपडियों से लेकर महलों तक, खोमचेवालों से लेकर बैंकों तक, गाँव से लेकर धरा–सभाओं तक आपको इतने कौशल पूर्ण प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता । " [2]

प्रेमचंद जी की प्रारंभिक रचनाओं में आदर्शवादिता अधिक होने के कारण उनमें कहीं –कहीं काल्पनिकता और अस्वाभाविकता अधिक आ गई है , किंतु आगे चलकर वे पूरे यथार्थवादी बन गए, जिसका प्रमाण 'गोदान' में मिलता है । जहाँ प्रारंभिक रचनाओं में उन्होंने समस्याओं के समाधान का गांधीवादी ढंग से प्रयत्न किया है , वहाँ उनके अंतिम उपन्यासों –'निर्मला' , 'गोदान' आदि में केवल समस्या को प्रस्तुत करके ही संतोष कर लिया है । ' कफन ' जैसी कुछ–एक कहानी में उनका आदर्शोन्मुख यथार्थवादी दृष्टिकोण व्यक्त होता है ।

प्रेमचंद की भाषा की अपनी एक पहचान है । सरल, सहज, प्रभावशाली भाषा प्रेमचंद के कथा–साहित्य की विशेषता है । वे उर्दू से हिन्दी में आए हैं । इनके कथा–साहित्य की भाषा अरबी, फारसी, उर्दू से प्रभावित होकर धीरे–धीरे परिष्कृत और परिमार्जित रूप ग्रहण कर लेती है । फलतः हिन्दी में अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे । आम बोलचाल के शब्द हिन्दी में स्थान पाने लगे । उनकी रचनाओं में मुहावरों और कहावतों का भरमार है । सूक्तियों का भी प्रयोग यत्र–तत्र हुआ है । प्रेमचंद स्वयं ग्रामीण होने के नाते, ग्रामीण भाषाओं का प्रयोग पुर–असर ढ़ंग से किया गया है । उनकी भाषा युगीन साहित्य–रचना के लिए 'आदर्श ' सिद्ध होती है ।

## 2. प्रेमचंद की रचनाएं :

प्रेमचंद का रचना काल सन् 1915 से सन् 1936 तक माना जाता है । उनका साहित्य जहाँ गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट है, वहाँ परिमाण की दृष्टि से भी भारी है ।

प्रेमचंद के उपन्यासों की तालिका इस प्रकार है :–

1. सेवासदन (1918)
2. वरदान (1921)
3. प्रेमाश्रम (1922)
4. रंगभूमि (1925)
5. कायाकल्प (1926)
6. निर्मला (1927)
7. प्रतिज्ञा (1929)
8. गबन (1931)
9. कर्मभूमि (1932)
10. गोदान (1936)
11. मंगलसूत्र

उपर्युक्त औन्यासिक कृतियों के अतिरिक्त प्रेमचंद के अनेक कहानी–संग्रह मिलते हैं जिनमें कुलमिलाकर लगभग 245 कहानियाँ हैं । उनकी कहा**नियों** के संग्रह इस प्रकार है :

' सप्त सरोज ' (सन् 1917,गोरखपूर)
' नव निधि ' (सन् 1918, मुंबई )
' प्रेम पूर्णिमा ' (सन् 1918, 1920 कलकत्ता)
' बड़े घर की बेटी ' ' लाल फीता ', ' नमक का दारोगा ' (सन् 1921 कलकत्ता)
' प्रेम पचीसी ' (सन् 1923, कलकत्ता )
' प्रेम प्रसून ' (सन् 1924, लखनऊ)
' प्रेम द्वादशी ' (सन् 1926, लखनऊ)

| | |
|---|---|
| ' प्रेम प्रतिमा ' | (सन् 1926, बनारस,बाद के लखनऊ से भी) |
| ' प्रेम प्रमोद ' | (सन् 1926, इलाहाबाद) |
| ' प्रेम तीर्थ ' | (सन् 1929, बनारस) |
| ' पाँच फूल ' | (सन् 1929, बनारस) |
| ' प्रेम चतुर्थी ' | (सन् 1929, कलकत्ता) |
| ' प्रेम प्रतिज्ञा ' | (सन् 1929, बनारस) |
| ' सप्त सुमन ' | (सन् 1930, बनारस) |
| ' प्रेम पंचमी ' | (सन् 1930, लखनऊ) |
| ' प्रेरणा ' | (सन् 1932, बनारस) |
| ' समर यात्रा ' | (सन् 1932, बनारस और कलकत्ता) |
| ' पंच प्रसून ' | (सन् 1934, कलकत्ता) |
| ' नवजीवन ' | (सन् 1935, कलकत्ता) |
| ' शांति ' | (सन् 1927, कलकत्ता) |
| ' अग्नि समाधि ' | (सन् 1929, लखनऊ) |

प्रेमचंद की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियों के कई संपादित संस्करण निकले । ' कफन और शेष रचनाएं ' (सन् 1937, बनारस ) और ' नारी जीवन की कहनियाँ ' (सन् 1938, बनारस)। ' गल्प रत्न ' का एक संपदित संस्करण सन् 1929 में बनारस और ' प्रेम पीयूष ' का एक संपादित संस्करण सन् 1941 में बनारस से छपा । ' प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ ' (सन् 1933) शीर्षक एक संग्रह लाहौर से मुद्रित हुआ । यह संग्रह स्वयं प्रेमचंद द्वारा संकलित किया गया था । ' गल्प–समुच्चय ' (सन् 1928), ' हिन्दी की आदर्श कहानियाँ ' (सन् 1937, बनारस) ,'गल्प संसार–माला'(सन् 1938,बनारस) आदि हिन्दी के अनेक संग्रहों में भी प्रेमचंद की कहानियाँ मिलती हैं । उनके एक कहानी संग्रह ' ग्राम्य जीवन की कहानियाँ ' का रचनाकाल अज्ञात है । प्रेमचंद की लगभग सभी कहानियों का संग्रह

' मानसारोवर ' नाम से आठ भागों में सरस्वती प्रेस, बनारस से प्रकाशित हो चुका है । कहानियों में नगर के निम्न मध्यवर्ग के अत्यंत सजीव चित्रों के अतिरिक्त बुंदेलखण्ड के वीरता पूर्ण जीवन और ऐतिहासिक घटनाओं का सजीव चित्रण हुआ है । उनमें मानव – प्रकृति की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है ।

उपन्यासकार और कहानी लेखक के अतिरिक्त प्रेमचंद नाटककार, संपादक, जीवनी–लेखक और अनुवादक भी थे ।

## नाटक :

' संग्राम ' (सन् 1923, कलकत्ता)
' कर्बला ' (सन् 1924,लखनऊ ) और
' प्रेम की वेदी '(सन् 1933, बनारस )।

उनके आलोचनात्मक लेख 'जागरण ' और 'हंस' की फाइलों में मिलते हैं । उनमें से कुछ का संग्रह ' कुछ विचार ' (सन् 1939, बनारस) में है । उनकी संपादन–कला के 'जागरण' और 'हंस' ज्वलन्त उदाहरण है ।

## जीवनी :

' महात्मा शेख सादी ' (सन् 1918,गोरखपूर), ' दुर्गादास ' (सन् 1938,बनारस) और ' कलम,तलवार और त्याग ' उल्लेखनीय है । 'जीवन–सार' शीर्षक आत्म–कहानी प्रेमचंद ने सन् 1933 के 'हंस' के आत्मकथांक में प्रकाशित की ।

## अनूदित कृतियाँ :

'सुखदास' (जार्ज इलियट के 'साइलंस मैरिनर' का संक्षिप्त रूपान्तर,सन् 1920, मुंबई)

'टाल्स्टाय की कहानियाँ ' (सन् 1933,कलकत्ता)

'अहंकार' (अनातोले फ्रांस कृत ' थायस ' का अनुवाद सन् 1923,कलकत्ता)

'आज़ाद कथा' (रतननाथ सरशार कृत 'फिसान–ए–आज़ाद' का अनुवाद सन्1927,बनारस)

'हडताल' (गालसवर्दी का 'स्ट्राइक' सन् 1930,इलाहाबाद)

'चांदी की डिबियां' (गाल्सवर्दी का नाटक 'सिलवर बॉक्स' सन् 1931,इलाहाबाद) और

'न्याय' (गाल्सवर्दी का नाटक 'जस्टिस' सन् 1931, इलाहाबाद)

उनकी शेष अन्य रचनाएं स्फुट और बालोपयोगी हैं :

'मनमोदक' (सन् 1926 , इलाहाबाद)

'कुत्ते की कहानी ' (सन् 1936, बनारस)

'जंगल की कहानियाँ ' (सन् 1938,बनारस)

और 'राम चर्चा' (सन् 1941, बनारस)

दुर्गादास' भी वास्तव में बालोपयोगी है ।

## स्फुट रचनाएं :

' स्वराज्य के फायदे ' ( सन् 1921,कलकत्ता ) विशेष रूप से उल्लेखनीय है । अनुभूति एवं बालोपयोगी पुस्तकों से प्रेमचंद के विचारों की सामान्य रूप रेखा का परिचय मिलता है ।

विविध :

'चिट्ठी पत्री' (दो खंण्ड) : प्रेमचंद की चिट्ठि–पत्री दो खण्डों में प्रकाशित की गयी है । पहले खण्ड में वे पत्र दिये गये हैं जो उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त मुंशी दयानरायन निगम को लिखे थे । दूसरे खण्ड में अन्य सब उपलब्ध पत्र दिये गये हैं ।

'विविध प्रसंग' (तीन खण्ड) : यह मुंशी प्रेमचंद के छोटे–बड़े लेखों, टिप्पणियों और साहित्यिक समालोचनाओं का संकलन है । पहले खण्ड में सन् 1903 से लेकर सन् 1920 तक के लेख और समीक्षाएं हैं ; काल–अनुक्रम से । दूसरे और तीसरे खण्ड में समीक्षाएं हैं जिनको शीर्षकों के अन्तर्गत विषय–क्रम से प्रस्तुत किया गया है ।

'साहित्य का उद्देश्य' : यह मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक लेखों का नवीन संस्करण है । अब यह पुस्तक पहले से भी अधिक सर्वांगपूर्ण है, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि अन्य पाठकों के लिए भी ,जो इस महान् साहित्यकार के साहित्य–संबंधी विचारों से परिचित होना चाहते हैं ।

'प्रेमचंद स्मृति' : 'हंस' व 'जमाना' के स्मृति अंकों में प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रचारित संस्मरणों का चयन । साथ में प्रेमचंद के दो अंतिम दस्तावेज – अंतिम और अपूर्ण उपन्यास 'मंगल–सूत्र' जो वर्षों अप्राप्य रहा और 'महाजनी सभ्यता ' लेख जो लेखक की मृत्यु से एक महीना पहले प्रकाशित हुआ था ।

लेखन कार्य के अतिरिक्त उन्होंने 'जमाना', ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वारणासी द्वारा प्रकाशित 'मर्यादा', 'माधुरी','जागरण' और 'हंस' नामक पत्रों का समय–समय पर संपादन भार ग्रहणकर साहित्य के उच्च आदर्शों की स्थापना की ।

## 3. प्रेमचंद की कहानियों का वर्गीकरण :

### 1. पारिवारिक जीवन और समस्या से संबंधित कहानियाँ :

1. बड़े घर की बेटी
2. घर जमाई
3. स्वामिनी
4. शंखनाद
5. गृहदाह
6. बूढ़ी काकी
7. दो भाई
8. नैराश्य
9. अनिष्ट शंका
10. स्त्री और पुरुष

### 2. वैवाहिक समस्याओं से संबंधित कहानियाँ :

1. उद्धार
2. कामना तरु

3. ऐक्ट्रेस
4. नया विवाह
5. लांछन
6. ज्वालामुखी
7. नरक का मार्ग
8. स्वर्ग की देवी
9. हार की जीत
10. सज्जनता का दंड

## 3. विधवा समस्या से संबंधित कहानियाँ :

1. आधार
2. धिक्कार
3. प्रेम की होली
4. बेटोंवाली विधवा
5. बालक
6. नैराश्य लीला
7. त्यागी का प्रेम
8. तथ्य
9. ज्योति
10. विश्वास

## 4. वेश्या–समस्या से संबंधित कहानियाँ :

1. वेश्या
2. आगा–पीछा

3. स्वर्ग की देवी
4. राम लीला
5. दो कब्रें

## 5. अछूत समस्या से संबंधित कहानियाँ :

1. दूध का दाम
2. जुर्माना
3. सौभाग्य के कोडे
4. ठाकुर का कुआं
5. मंदिर
6. सद्गति
7. मंत्र

## 6. ग्रामीण – जीवन की समस्या से संबंधित कहानियाँ :

1. कफन
2. अग्नि –समाधि
3. बैर का अन्त
4. बाबा जी का भोग
5. पूस की रात
6. मुक्ति धन
7. पंच परमेश्वर
8. नेउर
9. जेल
10. बेटी का धन

## 7. समाज–शोषण से संबंधित कहानियाँ :

1. नमक का दारोगा
2. सवा सेर गेहूँ
3. दफ्तरी
4. मोटर की छीटें
5. दंड
6. बिक्री के रुपये
7. सभ्यता का रहस्य
8. पं.मोटेराम की डायरी
9. मंत्र

## 8. शिक्षा–समस्या से संबंधित कहानियाँ :

1. परीक्षा
2. विनोद
3. पछतावा
4. बोध
5. प्रेरण
6. हार की जीत
7. अमावस्या की रात्रि

## 9. धार्मिक समस्याओं से संबंधित कहानियाँ :

1. शती
2. आत्मराम
3. डामुन का कैदी
4. दो कब्रें

5. यह मेरी मात्रृभूमि है
6. लाटरी
7. महातीर्थ
8. शाप
9. भूत
10. मृतक भोज

## 10. साम्प्रदायिक समस्याओं से संबंधित कहानियाँ :

1. जिहाद
2. हिंसा परमोधर्म
3. मुक्ति धन
4. पंच परमेश्वर

## 11. औद्योगिक समस्यओं से संबंधित कहानियाँ :

1. रसिक सम्पादक
2. लेखक
3. डिमांस्ट्रेशन
4. मृत्यु के पीछे
5. काश्मीरी सेब
6. पंच परमेश्वर

12. सामंती व्यवस्था एवं तत्कालीन राजाओं, ताल्लुकदारों आदि से संबंधित कहानियाँ :

1. राज्य–भक्त
2. रियासत का दीवान
3. बैंक का दीवाला
4. शिकारी राजकुमार
5. बिक्री के रुपये
6. परीक्षा

13. भारतीय स्वाधीनता से संबंधित कहानियाँ :

1. विचित्र होली
2. पत्नी के पति
3. इस्तीफा
4. दीक्षा
5. सत्याग्रह
6. कानूनी कुमार
7. समर यात्रा
8. आहुति
9. तावान
10. बैंक का दिवाला

14. राष्ट्रीय चेतना की कहानियाँ :

1. समार यात्रा
2. जुलूस

## 15. ऐतिहासिक कहानियाँ :

1. राजा हरदैल
2. शतरंज के खिलाडी

## 16. व्यंग्य प्रधान कहानियाँ :

1. नशा
2. ब्रह्म का स्वांग

## 17. यथार्थवादी कहानियाँ :

1. पूस की रात
2. सद्गति
3. कफन

## 4. प्रेमचंद के उपन्यासों का वर्गीकरण :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सेवासदन | – | (वेश्याओं की समस्या) |
| 2. | प्रेमाश्रम | – | (किसानों की समस्या , ग्राम्य जीवन की समस्या) |
| 3. | रंगभूमि | – | (शासक वर्ग के अत्याचारों की समस्या) |
| 4. | कर्मभूमि | – | (राजनीतिक समस्या) |
| 5. | प्रतिज्ञा | – | (विधवा–विवाह की समस्या) |
| 6. | गबन | – | (निम्न–मध्यवर्ग की घरेलू समस्या) |
| 7. | काया–कल्प | – | (धार्मिक समस्या) |

8. निर्मला – (अनमेल विवाह, दहेज प्रथा और विमाता की समस्या)
9. वरदान – (अनमेल विवाह की समस्या)
10. गोदान – (किसानों एवं मजदूरों का शोषण, जमींदारी –व्यवस्था आदि की समस्या)

## 5. प्रेमचंद की भाषा – शैली – वैशिष्ट्य :

प्रेमचंद गाँव के हैं इसलिए उनकी भाषा भी ग्रामीण वातावरण के अनुरूप है। प्रारंभ में वे उर्दू में लिखा करते थे । 'सेवासदन' जैसे उपन्यास को उन्होंने पहले पहल उर्दू में लिखा । पर जब उन्होंने हिन्दी में लिखना शुरू किया तब 'सेवासदन' को हिन्दी में लिखा । इस प्रकार वे उर्दू से हिन्दी में आए । इसलिए उनकी प्रारंभिक रचनाओं की अपेक्षा अन्तिम रचनाएं अधिक प्रौढ़ और प्रभावशाली है । इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए राजेन्द्र प्रसाद पांडेय ने कहा है "प्रेमचंद की भाषा में परिवर्तन के लक्षण बंहुत स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । उनकी भाषा अपने मार्ग को काटती–पीटती समतल बनाती स्पष्ट दिखाई पड़ती है । उसे अरबी–फारसी–उर्दू प्रभावित और धीरे–धीरे उसके प्रभाव से मुक्त होते स्पष्ट देखा जा सकता है । उपन्यासों में 'गोदान' तक आते–आते वह बहुत परिष्कृत और सुथरा रूप ग्रहण कर लेती है । यहाँ तक आकर उसकी अपनी जो पहचान खड़ी होती है, वह केवल प्रेमचंद की भाषा न रहकर अपने युग के कथा–साहित्य की भाषा बन जाती है । " [3]

प्रेमचंद एक युग प्रदर्शक हैं । अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने साहित्य में एक नया मोड़ दिया है । उनकी भाषा सशक्त है, सरल है और सहज है । उनकी भाषा ने तत्कालीन साहित्यकारों को प्रभावित कर दिया है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की भाषा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है

– " वे एक ऐसी भाषा के स्वामी है जो बाह्य स्वरूपवर्ती अन्य गुणों से युक्त एक साथ साहित्यिक उत्कर्ष और जन–भाषा के सामिप्य का साधन बनी है जो परवर्ती लेखकों की भाषा के निस्पंद अथवा संदिग्ध सौन्दर्य की तुलना में कहीं अधिक रोचक और सप्राण है ।" [4] प्रेमचंद की भाषा और उसके प्रभावशाली प्रयोग पर वाजपेयी जी की यह टिप्पणी अपना विशिष्ट महत्व रखती है। प्रेमचंद की भाषा पर उनका कहा गया प्रत्येक शाब्द सत्य प्रतीत होता है ।

**डॉ. रामविलास शर्मा ने भी प्रेमचंद की भाषा पर विचार करते हुए लिखा है –"भाषा को सबल बनाने के लिए प्रेमचंद ने साधारण से साधारण बात को** भी अपनाने में असाहित्यिकता का मान नहीं किया । प्रेमचंद की सफलता का रहस्य बहुत कुछ उनकी भाषा है । पहले वह उर्दू में लिखते थे, इसलिए कुछ लोग कह देते हैं कि उनके गद्य पर उर्दू की छाप है । प्रेमचंद के ग्रामीण पात्रों की भाषा देखने से यह स्पष्ट हो जायेगा क्या उनके सूरदास, कादिर, होरी, मनोहर, बलराज, गोबर, धनिया, दातादीन, झिंगुरीसिंह आदि के उर्दू बोलने की कल्पना की जा सकती है । " [5] वे पुनः कहते हैं –"किसानों में बातचीत कराने में प्रेमचंद ने असाधारण रूप से देहात के मुहावरे और शब्दों को अपनाया है । देहाती बोली में हिन्दी के एकीकरण में उन्हें इतनी सफलता प्राप्त हुई है कि गाँव का रहनेवाला पाठक भी प्रेमचंद के किसानों की बात सुनकर उसे अस्वाभाविक नहीं कह सकता । प्रेमचंद के मुसलमान पात्र जो शहरमें रहते हैं, उर्दू बोलते हैं परन्तु जो गाँव में हैं वे हिन्दी बोलते हैं । इस प्रकार प्रेमचंद की भाषा साम्प्रदायिक एकता का प्रतीक भी बनी हैं । " [6]

जनार्दन उपाध्याय का भी विचार इसी प्रकार है – "प्रेमचंद की भाषा–दृष्टि जैसे–जैसे सुलझती और परिपक्व होती गई, उनकी भेद–दृष्टि समाप्त होती गई और वे उर्दू हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी को अभेद दृष्टि से देखने लगे । ". [7] प्रेमचंद की भाषा की अपनी एक पहचान है । इसलिए

कथा–साहित्य – रचना के निमित्त उस काल में यही भाषा सर्वाधिक उपयुक्त समझी गयी । सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा प्रेमचंद के कथा–साहित्य की विशेषता है ।

भाषा–प्रयोग की दृष्टि से प्रेमचंद का हिन्दी कथा–साहित्य में युगान्तकारी स्थान है । प्रेमचंद – पूर्व–कथाकार भाषा–प्रयोग की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित थे । प्रथम वर्ग में वे कथाकार थे, जो बोलचाल की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का सन्निवेश करके भाषा को संस्कृतनिष्ठ और क्लिष्ट बनाने के पक्षधर थे । द्वितीय वर्ग में कथा लेखक थे जो अरबी–फारसी–उर्दू को तत्सम शब्दों में प्रयुक्त करना चाहते थे । प्रेमचंद की दृष्टि में उपर्युक्त दोनों नीतियाँ कथा-साहित्य–रचना के लिए उपयुक्त नहीं थी । आपने हिन्दी का द्वार सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों के प्रयोगार्थ खोला । परिणाम स्वरूप हिन्दी में अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे । आम बोल–चाल के शब्द हिन्दी में स्थान पाने लगे ।

लिखित भाषा के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए प्रेमचंद ने कहा –" लिखित भाषा की खूबी यही है कि वह बोल–चाल की भाषा से मिले । वह बोल–चाल की भाषा से पृथक रूपवाली लिखित भाषा को अस्वाभाविक मानते हैं ।" [8] डॉ.नत्थन सिंह ने कहा है –"प्रेमचंद की भाषा , आम बोल की सहज, सरल, बोधगम्य और स्वाभाविक भाषा है । कुछ लोग इसे खिचडी भाषा भी कहते हैं , किंतु सही अर्थ में व्यावहारिक स्तर पर यही भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बन चुकी है । 'गोदान' इसी भाषा की समर्थ रचना है ।" [9]

सिधाई, सरलता, सादगी,सहजता और बोल–चाल के समीप रहने के गुण ही प्रेमचंद की भाषा की अत्युत्तम पहचान है ।

प्रेमचंद ने अपने भाषा–प्रयोग में शुद्ध बोल–चाल के शब्दों को अपनाया है । डॉ. विवेकी राय इसलिए ' प्रेमचंद की भाषा को जन भाषा ' मानते हैं । जन भाषा में जो सरलता, सहजता, अपनत्व और माधुर्य है, वह अन्यत्र कहाँ ? डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय का मन्तव्य है कि ' ये शब्द इतना अकेले और उचार ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं कि ये अपनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाते ।''[10] यह कथन एकांगी है । प्रेमचंद के शब्दों में जीवन की अनुभूति है, पकड़ है और उसमें अभिव्यक्ति की छटपटाहट भी हैं । इसीलिए ये निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं । उन्होंने ग्रामीण वातावरण के अनुकूल घरेलू और ठेठ, अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ कतिपय शब्द प्रस्तुत हैं – पंगत, खटोली, मूरख, सेंत,बमचख, उरिण, कनबतियां ,चिरोरी दॉय, सराप, सहादत, अभभी , गडमड, गूलर, फिचुकर, मरहुमी, मरजाद, जैजात, औसर, भेस,लहास, सूराज, सिपारिस, रूपवस, अरज, उटंगी, रहैया, मनावन, नफरी, चंगोरी, छिच्छ (शिक्षा), पुलुस (पुलीस), कालिस (कालिज़), इसटाम्प (स्टाम्प), ठेठर (थियेटर) इसपिट्टर (इन्स्पेक्टर), बुडबापन, लतीहाउज आदि ।

प्रेमचंद की भाषा पात्र के अनुसार परिवर्तित होती रहती है । जालपा से कहार त्योरियां बदलकर कहता है – ' तो का चार हाथ गोड़ के लेई कामै से तो गया रहिन । बाबू मेमसाहब के तीर रुपैया लेवे का मेजिन रह। ''[11] देवीदीन खटिक भी लहास,सूराज(स्वराज) , सिपारिस, रूपवस (रिश्वत) जैसे शब्दों का प्रयोग करता है ।

प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी शब्दों का बेहिचक प्रयोग प्रसंगों और पात्रों की स्थितियों के अनुसार किया है । डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया के अनुसार '' प्रेमचंद ने अंग्रेज़ी के पाँच सौ शब्दों का प्रयोग अपने कथा साहित्य में किया है । '' [12] इन शब्दों का प्रयोग उनके उपन्यासों 'असरार मआबिद' से लेकर 'मंगल–सूत्र' तक हुआ है । उदाहरणर्थ : डॉक्टर,

प्रोफेसर, अपील, प्रोग्राम, कौंसिल, पालिसी, डेमोक्रेसी, कैबिनेट,होटल, बजट, हिज मेजेस्टी, रेकार्ड, बेरिस्टर, गवर्नर,सिविल सर्जन, युनिवर्सिटी, क्लास , एलेक्शन, पुलिस, डी·एस·पी , सुपरिंटेडेंट,चार्ज, कलेक्टर , चीफ सेक्रेटरी आदि । अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग दोनों रूपों में हुआ है – शिक्षित–अशिक्षित पात्रों द्वारा भी व्यवहृत हुए हैं और लेखक ने स्वयं भी उन्हें अपनाया है । शिक्षित पात्रों की बातचीत में अंग्रेजी के कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं । इसलिए प्रेमचंद ने इनका प्रयोग आरंभ में किया है , यथा – "अमृतराय 'स्पीच' सुनने में तल्लीन न थे ––– रटी हुई स्पीच है ।" [13]

इन सब तथा ऐसे ही अनेक अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग बराबर करते रहने पर भी प्रेमचंद ने हिन्दी की प्रकृति का पूरा–पूरा ध्यान रखा है और विदेशी शब्दों के बहुवचन हिन्दी व्याकरण के अनुसार ही बताये हैं। उदाहरणार्थ – मिनिस्टरों, कौंसिलों, स्टाकों, फिलासफरों, कम्युनिस्टों, नेशनिलिस्टों, एजेंटों, म्युनिसिपाल्टियों , बोर्डों, बैंकरों आदि । ' अल्टिमेटम' शब्द का प्रयोग 'गोदान' में चार–पाँच बार किया गया है और ध्यान देने की बात है कि प्रायः सर्वत्र लेखक ने ही किया है ।

प्रेमचंद ने अपने कथा–साहित्य में सहयोगी शब्दों का भी खूब प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ दांव–घात , बांट–बखरा , ताक–झांक , झाड–फूंक, दवा–दारू, गाली–गलौज, आमोद–प्रमोद, आनन–फानन, घात – प्रतिघात, मोटा–महीन,बरतन–भांडे,हंसना–बोलना,मान–मर्यादा, आदर–सत्कार,सेवा–सुश्रुषा आदि ।

प्रेपचंद ने अपने कथा–साहित्य में मुहावरों ,कहावतों और सूक्तियों का सुन्दर प्रयोग किया है । उर्दू पर पूर्ण अधिकार होने के कारण मुहावरों की झड़ी सी लगाना तो प्रेमचंद के लिए स्वाभाविक था और उर्दू क्षेत्र में आनेवाले

लेखकों ने ऐसा किया भी है । डॉ. सुरेश कुमार ने कहा है – " प्रेमचंद ने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अभिव्यंजना में सौन्दर्य सृष्टि के लिए किया है । इस प्रयोग से अभिव्यक्ति रुचिकर और आकर्षक हो उठती है , एक प्रकार की वक्रता उसमें दिखाई पड़ने लगती है । यह भाषिक–सौन्दर्य का प्रभाव उत्पन्न करती है । " [14] कतिपय मुहावरे उदाहरण दृष्टव्य हैं –

1. डांटती हूँ तो वह आंखें लाल–पीली करके दौड़ती है । (निर्मला पृ.62)
2. मैं उन्हें देखकर शायद आपे से बाहर हो जाऊं। (प्रतिज्ञा,पृ.12)
3. फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री–पुरष में आये दिन संग्राम छिड़ा रहता था । (गोदान,पृ.7)
4. वह जानता था कि वे सब भी गाहकों को उलटे छूरे से मूंडते हैं । (गबन, पृ .78)
5. मैं न जानती थी कि तुम आस्तीन का साँप बनेगी । (रंगभूमि ,पृ.163)
6. मैं तो ब्राह्मणी को उनके यहाँ देखते ही भांप गया था कि दाल में कुछ काला है (सेवासदन,पृ.37)
7. राजा साहब ने सारी कथा आदि से अंत तक बड़े गर्व के साथ खूब नमक–मिर्च लगाकर बयान की । (कायाकल्प ,पृ.167)

## कहावतों का कतिपय उदाहरण :

1. हाथी मरे तो नौ लाख का । (निर्मला ,पृ.42)
2. नाटों खेती बहुरिया घर । (निर्मला,पृ .63 )
3. न आगे नाथ, न पीछे पगहा । (गबन, पृ.36 )
4. ऊंट के मुंह में जीरा । (गोदान,पृ.174)
5. बनिया मारे जान, चोर मारे अनजान । (रंगभूमि , पृ.58)

## सूक्तियों का कुछ –एक उदाहरण :

1. औरत को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है । (निर्मला,पृ.53)
2. गृह चिन्ता आत्म चिन्तन की धाविका है। (रंग भूमी , पृ.71)
3. समय अजेय है, अमर है । ( कायाकल्प , पृ.185)
4. टूटे हुए तारों से मीठे स्वर नहीं निकलते । (प्रतिज्ञा, पृ. 34)
6. दाल नहीं गलते तो भगत बन गये । ( गबन,पृ.53)
7. व्यंग्य और क्रोध में आग और तेल का संबंध होता है । (सेवासदन,पृ.36)

इस प्रकार सैंकडों सूक्तियां प्रेमचंद के कथा–साहित्य में बिखरी पड़ी हैं ।"इनमें वैचारिक प्रौढ़ता, मनोवैज्ञानिक पकड़ और अनुभव का निचोड अत्यंत सटीक और सामाजिक शैली में व्यक्त हुआ है । " [15]

———

# संदर्भ सूची


1. हिन्दी साहित्य का विकास – डॉ.गणपतिचंद्र गुप्त, पृ. 709
2. हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ – डॉ. जयकिशन प्रसाद , पृ. 702
3. प्रेमचंद – कथा – साहित्य : समीक्षा और मूल्यांकन – डॉ. धर्मध्वज त्रिपाठी, पृ. 272
4. वही – पृ. 273
5. वही – पृ. 273
6. वही – पृ. 273
7. वही – पृ. 273
8. वही – पृ. 274
9. वही – पृ. 274
10. वही – पृ. 277
11. गबन – प्रेमचंद, पृ. 115
12. प्रेमचंद–कथा–साहित्य:समीक्षा और मूल्यांकन–डॉ. धर्मध्वज त्रिपाठि, पृ .277
13. प्रतिज्ञा – प्रेमचंद ,पृ .1
14. प्रेमचंद–कथा–साहित्य :समीक्षा और मूल्यांकन–डॉ. धर्मध्वज त्रिपाठी, पृ 283
15. आलोचना – अंक 58, पृ . 53


---

# चतुर्थ अध्याय

## प्रेमचन्द के उपन्यास एवं लोक–प्रयुक्तियाँ

# चतुर्थ अध्याय

## प्रेमचन्द के उपन्यास एवं लोक–प्रयुक्तियाँ

### 1. भाषा का लोकपक्ष एवं प्रयुक्ति–संकल्पना

1.1 लोक प्रयुक्तियाँ

1.2 लोक भाषा में सहायक शब्दावलियाँ–वर्गीकरण

1.2.1 सहायक शब्द – Supportive word

1.2.2. विपरीतार्थ शब्द – Opposite word

1.2.3. समानार्थ शब्द – Similar word

1.2.4. शब्द का दूसरा अंश अर्थहीन पर पहले अंश का सहयोगी

### 2. प्रेमचंद के उपन्यासों में प्राप्त विभिन्न साहित्येतर प्रयुक्तियाँ :

2.1 प्रशासन या कार्यालय

2.2 कानून

2.3 वाणिज्य / व्यावसायिक

2.4 खेल–कूद

2.5 विज्ञान

2.6 पत्रकारिता

2.7 शिक्षा

2.8 धर्म

2.9 दर्शन

2.10 जाति

2.11 किसानी

2.12 वेशभूषा

2.13. पेशा

2.14. तरकारी और फल

2.15. खाने के पदार्थ

2.16. घरेलू चीजें

2.17. बीमारी

2.18. नशीले पदार्थ

---

# चतुर्थ अध्याय

# प्रेमचंद के उपन्यास एवं लोक–प्रयुक्तियाँ

## 1. भाषा का लोकपक्ष एवं प्रयुक्ति संकल्पना :

### 1.1 लोक प्रयुक्तियाँ :

प्रेमचंद ने ग्रामीण परिवेश के चित्रण के लिए सहज ग्रामीण शब्दावलियों और अभिव्यक्तियों का चयन करके उपन्यास की अपनी भाषा को प्रभावोत्पादकता प्रदान की है । वातावरण और मानसिकता के बदलाव को प्रकट करने के लिए, प्रकृति और पात्र के हार्दिक भावों – हर्षों , शोक, क्रोध आदि का चित्रण करने के लिए लोक परिवेशगत शब्दावली का प्रयोग किया है एवं अर्थगर्भित प्रोक्ति की

रचना की है । प्रोक्ति संरचना, प्रयुक्ति विधान तथा लाक्षणिकता जैसे विविध आयामों में लोकभाषा के सटीक प्रयोग के कारण ही प्रेमचंद के उपन्यास में भाषा का प्रयोजनमूलक पक्ष स्पष्ट नज़र आता है एवं भाषा प्रभावी बन गयी है ।

उदाहरणार्थ :

1. तीन–चार मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला–सरकार ई–तना की नौकरी हमारे कीन न होई । कहाँ तक उधार–बाढ़ी लै–लै खायी । मांगत–मांगत थेथर होय गयेन । (निर्मला, पृ. 40)

2. करतार चपरासी ने हंसी करते हुए कहा–अरे तुमका का परी है, है कोऊ आगे पीछे ? चार दिन में हाथ पसारे चले जैहो । ई ताल तुमरे संग न जाई । (प्रेमाक्षम,पृ. 182)

3. सूरदास – मैं ही तो इस सारे तूफान की जड़ हूँ , मेरे ही कारन तो यह रगड़–झगड़ मची हुई है , नहीं तो साहब को तुमसे कौन दुसमनी थी । (रंगभूमि,पृ. 149)

4. एक मोटे–ताजे पगड़ीवाले आदमी ने कहा – और जो हम कमला बाबू से पछाय देई ? हमका इहाँ का लेवे का रहा जौन औतेम । वही लोग भेजेन रहा, तब आयन । (प्रतिज्ञा, पृ. 96)

5. अगर देखना कि मामला टिचन है, तो चैन से घर चले जाना । (गबन,पृ. 148)

6. असनान–पूजा करने लगेंगे, तो घंटों बैठे बीत जायगा । (गोदान,पृ.7)

इस प्रकार अनेकों प्रयुक्तियाँ प्रचलित हैं। जैसे : गंवार, लबाड़िया, दुबधे, आयश, जगरित, आसरैत, बक्खान, कुन्दी, लैहैं, कुटुम्मस, छिन–भर, असगुनन, पीछू, कौना, तौन, डेराइत, लतखोर, सहर, सिपारिस, खरच, परागराज, साइत, रुवसत, इसपिट्टर, सिरनामा, आमले, रुसूख, दोसरा, उमिर, परान, बछवे, सुभीता, सुभाव, परसन, आसिरवाद, मरजाद, करज, तीरथ–बरत, मुदा, अलगोझे, गुलजार, बरकत, दरसन, परदेस, नाकिस, लहास, गिरस्ती, भतार, बरदास, डाढ़िजार, बहुरिया , सरबस, नोन , बेसी, रातिब, परेम, चरचा, परलै, मूरख, राच्छसिन, मरदूमी, आसा, असीस, सर्बस, बाम्हनी, अरथ,सवाद, छन, सिफ़त, ओगा , नयी, तारीप, अमारा, सकल, सबा, अबी, रगेदेगा, जनाजा , फैर, खिराज़, लुतफ़, बाई, कोऊ, काहू , मगन, जेरबारी, इसटाम, गिलट, बिपत, असगुन, भुरकस, बन्स, परब, जेहल, तलासी, पलेथना, सुराज़, सराप, आंकुस, पट्टीदारी , सुमिरन, लहाश , थेगलियाँ , कथरी, पेबंद, मंडैया, कुसल, बौरा, सौंह, सरन, दुसमन, आफत, परतिसठा, औसान, जरीबाना, परमेसर, जैजात, मुकुत, राछस, सोहर, सौर, निसानी, रिष्ट , पछाईं, ओसरे, गुन–सहूर, लच्छिमी, लुगाई, उरिन, दोस, पच्छ , रिन, पुछत्तर, गिरस्ती, बरक्कत, बिलम, सरग, साखी, बोआई, गोईं, हुज्जत, सबर, उछाह, सरह, जस, बेसी , मुतफन्नी, राढ़ , बेलाग, रच्छा, लहुआ, निसाखातिर, स्वारथ, दसखत, मुसक, बिस, समरथ , निभाव, भिरस्ट, परासचित, सम्पत, परच, अन्तरजामी, अपाढ़, सरारत, गपडचौथ, परसन, खुसामद, खुसफेली, मर्दुआ, जुम्मा, बछिया, पौरुख, छीछालेदर, सांसत, सेखी, बैठाऊ, तिरसना, पिंसिन, जमराज, बम्हनई, परतच्छ, बिसेस, बाम्हन, नास, भिरष्ट, सरेशाम, जजमान, हियाव, पच्छ, संजम, उछाह , चबेना, पौढ़, रिसबत, औगुन, पच्चड़, गरूर, सहूर, हियाव, परवस्ती, पुछल्ला, गरह, चासनी, आकास, मुचलका, इस्तालुक, बरदास, पिट्टस, फिकिर, सईद, दुर्गत,

कानिसटिबिल, रसद, रुपैया, सोर , मूरत, बिरहा, सबुर, हिरना, मनई, फेरफार, आसूदा, डिपटियाइन, मर्दन, फिकिर, चाहटा, दोअक्सी, सान्त, चुपका, दच्छिना, जोतसी, बागी, नईं, रुखसत, सिपुर्द, मजूरी, बमचख , दसा, जस, परोजन, मसक्कत ,मिनिसपलटी, खियाल, पादड़ी, जात्री, आसिक, अकिल, भरम, कलजुगी, नियाव, सहादत, दुसमनी, परवस्ती, दिहात, किरंटे, छत्तरी, बराई, जुम्मा, औतार, नोसिखिये, सरन, रच्छा, नैहर आदि ।

## 1.2 लोकभाषा में सहायक शब्दावलियाँ – वर्गीकरण

हिन्दी साहित्य में सहायक शब्दावलियों के रूप में प्रयुक्तियों का प्रयोग हुआ है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में इस प्रकार की प्रयुक्तियों का खूब प्रयोग किया है । उनके कथा – साहित्य इन शब्दों का अक्षय भंडार है । इन सहयोगी शब्दावलियों द्वारा प्रेमचंद ने भाषा की स्वाभाविकता को बनाए रखते हुए, उसकी व्यंजना शक्ति को विशेष बढ़ावा दिया है ।

सहायक शब्दावलियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है ।

1. सहायक शब्द – (Supportive word)
   (शब्द का दूसरा अंश पहले अंश का सहायक होता है ।)
2. विपरीतार्थ शब्द – (Opposite word)
   (शब्द का दूसरा अंश पहले अंश का विपरीतार्थ होता है ।)
3. समानार्थ शब्द – (Similar word)
   (शब्द का दूसरा अंश पहले अंश का समानार्थ होता है ।)
4. शब्द का दूसरा अंश अर्थहीन पर पहले अंश का सहयोगी ।

1. सहायक शब्द **(supportive word)**

(शब्द का दूसरा अंश पहले अंश का सहायक होता है ।)

उदाहरणार्थ :

1. एक झूठा इलज़ाम भी लगा देंगे , तो कुछ करते–धरते न बनेगा। (कायाकल्प , पृ.141)
2. उन्हें अपने व्यवहार पर आचार –विचार पर अपने कर्तव्य पालन का अभिमान था । ( सेवासदन , पृ.83)
3. अपने पशु–पक्षियों में उनकी जान बसती थी । (कर्मभूमि, पृ.24)
4. माँ–बाप का धर्म है, लड़के को पाल–पोसकर बड़ा कर देना । (गोदान,पृ. 190)
5. इधर कुछ दिन सैर–सपाटे का चस्का पड़ चला है । (निर्मला, पृ. 80)

इस प्रकार अनेकों प्रयुक्तियाँ प्रेमचंद के उपन्यासों में देख सकते हैं ।

जैसे –

चमक–दमक, जान–पहचान, नाच–तमाशा, जोड़े–गहने, दान–दक्षिणा, दौड़–धूप, भूख–प्यास, पहनने–ओढ़ने, हीले–हवाले, दाना–पानी, खाने–पहनने, रोना–धोना, चौका–बासन, टीका–टिप्पणी, जली–कटी, मान–सम्मान, वारे–न्यारे, गाली–गलौज, हंसी–दिल्लगी, रंग–ढंग, दांव–घात, लेना–देना, बट्टा–खाता, पान–पत्ते, चाय–पार्टी, जल–पान, राह–रस्म, गोल–माल, साफ–सुथरे, उथल–पुथल, हिसाब–किताब, इक्की–दुक्की, हेर–फेर, भागता–फिरता, मोल–तोल, उलट–पुलट, सूझ–बूझ, रोना–पीटना, टूटे–फूटे, अस्त–व्यस्त, उछले–कूदे, धरम–करम, लुक–छिप, तन–मन, पास–पड़ोस, धूम–धाम , घर–द्वार, भूल–चूक, कहे–सुने, दवा–दारू, नमक–मिर्च, मेहनत–मजूरी, फलते–फूलते, राग–रंग, भोला–भाला, नाच–कूद, मिलना–जुलना, हाव–भाव, डाँट–फटकार, एड़ी–चोटी,

डूबता–उतरता, हृष्ट–पुष्ट , लंबी–चौड़ी, रूखा–सूखा, खोटी–खरी, बनाव–सिंगार, आमोद–प्रमोद, रंग–रूप, इत्र–तेल, बनाव–चुनाव, रोक–थाम, कपडे–लत्ते, ढूंढती–फिरती, अन्न–जल, दुहाज़–तिहाज, रही–सही, काट–कपट, ताक–झांक, जीती–जागती, सानी–पानी, अस्नान–पूज़ा, जल–पान, लू–लपट, डील–डौल, दोष–पाप, गालियाँ–घुडकियाँ, भवन–भाव, दान–धर्म, भूखे–नंगे, संभालना–सहजना, झाडू–बुहारू, गाना–बजाना, मार–पीट, जात–पांत, कोट–पतलून, संयम–नियम, सबे–संतरे, गहने–कपड़े, सीधी–सादी, पूज़ा–पाठ, खाये–सोये, शील–संकोच, स्नेह–सहानुभूति, मान–प्रतिष्ठा, स्वजन–संबंधियाँ, आशा–उमंग, हिम्मत–हौसले, अभियोग–आरोप, घी–दूध, दांव–पेंच, छीन–झपट, ओढ़ना–बिछौना, दही–चावल, ईंट–पत्थर, हैरान–परेशान, चीखने–चिल्लाने, नष्ट–भ्रष्ट, जप–तप, सुई–तागे, चूल्हा–चक्की, फटा–पुराना, स्नान–ध्यान, पूज़ा–व्रत, जात–बिरादरी, जन्तर–मन्तर, डाल–पात, जल–भुन, कला–कौशल, कर्त्ता–धर्त्ता, हुक्का–पानी, हड्डी–पसली, अग्नि–ज्वाला, मेल–मुरौवत, धूल–धूसरित, दुआ–ताबीज़, रूप–लावण्य, कृषी–कुली।

## 2. विपरीतर्थ शब्द : **(Opposite word)**

(शब्द का दूसरा अंश पहले अंश का विपरीतार्थ होता है ।)

1. मैं तो भले–बुरे दोनों ही की साथिन हूँ । (गबन , पृ.104)
2. क्या इतना ही नहीं जानता कि मरने–जीने में विपत–संपत में मुहल्ले के लोग ही काम आते हैं । (रंगभूमि ,पृ.148)
3. पढ़–अपढ़ , मूर्ख–विद्वान, धनी–गरीब सभी नज़र आते हैं, पर सबको अपनी तरफ खुली या छिपी दृष्टि से ताकते पाती हूँ । (सेवासदन,पृ.64)

4. लेना–देना,सवा–ड़योढ़े, घाटे–नफे में इनके प्राण बसते हैं और मुझे इन बातों से घृणा है । (प्रतिज्ञा,पृ.35)
5. जालपा विचार में डूब गयी, मनमें संकल्प–विकल्प होने लगा । (गबन,पृ.137)

इसी प्रकार अनेकों प्रयुक्तियाँ प्रचलित हैं । जैसे –तर्क–वितर्क, वाद–विवाद, आलोचना–प्रत्यालोचना, आगा–पीछा, सुदेशी–विदेशी, नफ़ा–नुकसान, सवाल–जवाब, छोटे–मोटे, इधर–उधर, अपने–पराये, अगवाड़े–पिछवाड़े, लौटा–फेरी, मारने–जिलाने, भलाई–बुराई, झूठा–सच्चा, घटाने–बढ़ाने, जीवन–मरण, नरम–गरम, फाइदा–नुकसान, मान–अपमान, लोक–परलोक, सोते–जागते, सुख–दुख, कंगाल–कुलीन, उल्टी–सीधी, क्रय–विक्रय, आय–व्यय, पाप–पुन्न, कम–ज्यादा, आर–पार, नेकनामी–बदनामी, हार–जीत, बीमारी–आरामी, दायें–बायें, आमने–सामने, अघात–प्रत्याघात, गरमी–सरदी आदि।

## 3. समानार्थ शब्द : (Similar word)

(शब्द का दूसरा अंश पहले अंश का समानार्थ ।)

1. उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच–विचार करेगी । (गोदान,पृ.62)
2. सूरदास था तो दुबला–पतला, पर उसकी हड्डियाँ लोहे की थी । (रंगभूमि, पृ.127)
3. जब कोई काम–काज पड़ता था, तब हमको नेवता मिलता था । (प्रेमाश्राम, पृ.18)
4. यह शादी–विवाह का मामला है । (निर्मला,पृ.45)
5. लेन–देन, बनिज–व्यापार में मेरा जी बिलकुल नहीं लगता (कर्मभूमि,पृ.95)

इसी प्रकार अनेकों प्रयुक्तियाँ उपलब्ध हैं । जैसे– यार–दोस्त , क्षमा–याचना, कुशल–मंगल, फटे–चीथड़े, पता–ठिकाना, आराम–चैन, जड़ी–बूटी, आदर–सत्कार, निरादर–अपमान, सेवा–सत्कार, शादी–ब्याह, लाड़–प्यार, गयी–गुज़री, भोग–विलास, कागज़–पत्तर, छिन्न–भिन्न, शकल–सूरत, दुखी–दीन, बोहनी–बट्टे, चुमकार–दुलार, भूसा–चारा, टोना–टोटका, हास–विलास, सखी–सहेली, मान–सम्मान, खेत–खलिहान, बाग–बगीचे, अपमान–अपकार, अर्जन–अभ्यास, नीति–नियम, रीति–नीति, चोरी–ड़ाके, घूस–रिसवत, पैसे–धेले, कायदे–कानून, डांटने–फटकारने, नोचा–खसोटा, ईर्ष्या–द्वेष, मान–मर्यादा, टाल–मटोल, बाल–बच्चे, ढोल–मजीरे, शाक–भाजी, कपड़े–लत्ते, अरज–बिनती, छान–परताल, शोक–सन्ताप, आचार–व्यवहार, गांजा–भांग, रोक–टोक, मान–प्रतिष्ठा, रस्म–रिवाज़, सीधे–सादे, बर्तन–भांडे, खाट–खटोले, कफ़न–कपड़े, मेला–तमाशा, लड़ाई–दंगे, दुवा–तावीज़, लीप–पोत, ग्लानि–वेदना, भूत–पिशाच, लिबास–पोशाक, जलसा–तमाशा, माया–मोह, विघ्न–बाधा, बनाव–संवार, दुख–दर्द, विषय–वासना, गुजर–बसर, अनुनय–विनय, गया–बीता, घर–गृहस्थी, भोग–विलास, चाल–चलन, आसरे–भरोसा, सती–साध्वी, इज्जत–आबरू, आमोद–प्रमोद, किया–कराया, भजन–कीर्तन, सेवा–सुश्रुषा, रोज़–नमाज़, दीन–दुर्बल, वियोग–व्यथा, लौंडियाँ–बांडियाँ , आमोद–विनोद, लड़ाई–झगड़ा, रीति–व्यवहार, सज्जन–सहृदय, कीड़े–मकोड़े, भेंट–मुलाकात, अच्छी–खासी, सड़ा–गला, पंड़ा–पुज़ारी आदि।

## 4. शब्द का दूसरा अंश अर्थहीन, पर पहले अंश का सहयोगी :

1. घर के और सभी प्राणी, यहाँ तक कि नौकर–चाकर तक उसे डाँटते रहते थे । (कर्मभूमि ,पृ.18)

2. आपने सारा इलाका चौपट कर दिया, अब यह चाहते हैं कि जो बचा–खुचा है उसे भी धूल में मिला दे । (प्रेमाश्रम, पृ.25)
3. मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके होश–हवास में फितूर पड़ गया हो । (मंगलसूत्र, पृ.52)
4. एक के साथ मोटा–झोटा खा–पहनकर उमिर काट देना, बस अपना तो यही राग है । (गोदान, पृ.44)
5. दयानाथ में लल्लो–चप्पो की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की । (गबन,पृ.20)

इसी प्रकार अनेकों प्रयुक्तियाँ हैं । जैसे– टीम–टाम, मेल–जोल, बाजे–गाजे, दोयम–सोयम, भीड़–भाड़, धक्कम–धक्का, गप–शप, साठ–गांठ, डांट–वांट , ठाट–बाट, भाव–ताव, अलल्ले–वलल्ले, दगल–फसल, लोट–पोट, आब–ताब, चिकनी–चुपड़ी, अनाप–शनाप, चिट्ठी–चकाट, देखती–भालती, बक–झक, चल–चलाव, ऊल–जलूल, नंगे–धडंगे, ठेल–ठाल, रेल–पेल, चहल–पहल, मार–धाड़, गाली–गुफ्ता, शराब–कबाब, जली–कटी, घुड़की–झिड़की, छूत–छात, चट्टे–बट्टे, ताना–वाना , छोड़–छाड़, लट्टू–टट्टू, ताने–मेहने, डांट–डपट, लालन–हालन, सलाम–वलाम, चाट–वाट, खर्च–वर्च, आनन–फानन, पानी–वानी, लुच्चे–लफंगे, औने–पौने, घूमने–घामने, लथ–पथ, सिगार–विगार, हलकी–फुलकी, गोरे–चिट्टे, रोब–ताब, दिन–दहाड़े, तेली–तमोली, मिलती–जुलती, तार–वार, चाल–ढ़ाल, नाम–वाम, धौल–धप्पा, धोखे–धड़ी, ओला–पाला, पकड़–धकड़ , डूब–डाब, फल–वल, हड़ताल–वड़ताल, छूत–छात, पूछने–पाछने, होना–हवाना, मकान–वकान, नज़र–नियाज़, ड़ील–डौल, बल–बूते, दावत–आवत, सितार–वितार, अलवान–सलवान, जटा–सटा, चिलम–विलम, तहस–नहस, तितर–बितर आदि ।

## 2 प्रेमचन्द के उपन्यासों में प्राप्त विभिन्न साहित्येतर प्रयुक्तियाँ :

### 2.1. प्रशासन या कार्यालय से संबंधित प्रयुक्तियाँ:

अ. लोकवादी धारा (उर्दू ) :

1. महाशय ने अमृतराय से खत लिखाया है और नीचे अपने दस्तखत कर दिये हैं । (प्रतिज्ञा , पृ.43)
2. बीसियों सिफारिशें लानी पड़ेगी । सुबह–शाम हाज़िरी देनी पड़ेगी । (गबन, पृ. 40)
3. हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा है । (कर्मभूमि , पृ .9)
4. वहाँ मुनीम को ज़रूरी काम समझकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते। (कर्मभूमि, पृ. 13)
5. संतकुमार उस दर्खास्त में यह भी लिख देना कि आपकी बंदूक छीन ली जाय, वरना जान का खतरा है । (मंगलसूत्र, पृ. 51)

ऐसे ही अनेकों देखिए ––

बड़े बाबू, अर्जी, तरक्की, रसीद बही, खजांची, ब्योरा, रुपयों का रसीद, बरखास्त, गुटबंदी, मंत्री, उप–मंत्री, सालान खिराज, चुनाव, दांव–पेंच, जमाबंदी, रसीद, रोजगार, उम्मीदवार, जायदाद, दस्तूरी, आबकारी, तबादला, नकल, मुहर, चंदा, तैनात, तालीम, इस्तीफा, नज़राना, इम्तहान, परचा, निगरानी, पेशगी, कर्मचारी, हड़ताल ।

आ. पुनरुत्थानवादी धारा (संस्कृत) :

1. वह भूखों मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन–पत्र लेकर कहीं न जाते । (कायाकल्प, पृ. 11)
2. अनुभव हुआ कि इन बड़े–बड़े उपाधिकारियों और अधिकारियों पर कितनी सुगमता से प्रभुत्व जमाया जा सकता है । (प्रेमाश्रम , पृ.107)
3. दातादीन ने पचास का प्रस्ताव किया । (गोदान, पृ. 95)
4. ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे । (गबन, पृ.43)
5. नगर निर्वाचन–क्षेत्रों के परिमार्जन में उन्होंने प्रमुख भाग लिया था , इसलिए शहर के अन्य रईस उनसे सावधान थे, उनके विचार में राजा साहब का जनतावाद केवल उनकी अधिकार–रक्षा का साधन था । (रंगभूमि, पृ. 75)

इस धारा की ऐसे ही अनेकों प्रयुक्तियाँ हैं । जैसे ––

अनुरोध, प्रबंध, निमंत्रण, प्रस्ताव, पास करना, राजपत्र, प्रधान, उप–प्रधान, संस्था, समिति, संगठन, सूचना, सभा–भवन, सभापति, ग्राम्य–संगठन, स्वीकृति, भाषण सभा नेत्री, उच्चाधिकारी, कोषाध्यक्ष, सहायक–मंत्री, अधिकारी वर्ग, निरीक्षक, नियुक्त, अधिवेशन, संशोधन, संवाददाता, मान्यगण, आयोजन, निरीक्षण, समीक्षण, सत्ताधारी , शासक, प्रबंधक मंत्री, प्रतिनिधि–गण, राजसभा, शासनाधिकार , शिक्षाधिकार, सभासद, संचालन, भाग , नियम, अन्वेषण, दल, व्यवस्थापक, उपाधि, प्रार्थना–पत्र, अनुशीलन, अभिवादन–पत्र, सरकारी–पत्र, प्रबंधकारिणी समिति, साहित्य–परिषद, प्रकाशक, आदेश, वक्तृता, प्रदर्शन, कोष, कार्यक्रम, नगर–कार्य, राज्य–व्यवस्था, अनुसंधान, सभा विसर्जित होना, आलोचना , राज्य–पदाधिकारी,

सभासद, विपक्षी, नेता, प्रशंसा–पत्र, पदक, शोध–पत्र, अनुमोदन, व्याख्यान, श्रोतागण, समालोचक, समालोचना, क्षेत्र, संधी–पत्र, हस्ताक्षर ।

इ. अंतर्राष्ट्रीयतावादी धारा (अंग्रेजी) :

1. प्रान्त की सभी म्युनिसिपैलिटियों और जिलाबोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं । (गोदान ,पृ.57)
2. कौंसिल भवन मे उनका स्थान प्रथम श्रेणी में था । (प्रेमाश्रम, पृ.74)
3. रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड में हेड़ क्लर्क थे। (गबन, पृ.35)
4. यह प्रास्पेक्टस है, इसे गौर से देखिए । (रंगभूमि, पृ.54)
5. मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमॉक्रेसी के खिलाफ होगा । (गोदान,पृ.80)

इसी प्रकार अनेक प्रयुक्तियाँ हैं । जैसे ---

क्लर्क, चार्ज, रजिस्टर, नोटिस, फाइल, डिसमिस, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रि, स्पीच, मेम्बर, रिकार्ड , मैनेजर, मैनेजिंग–डायरेक्टर, कनवेसर, पार्टी, सेक्रेटरि, गवर्नर, कमिशन, अण्डर–सेक्रेटरी, पिंसिन, हिज़मेजेस्टी, मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, पिकटिंग, अल्टिमेटम, इनकम–टैक्स, एलेक्शन, मेनिफेस्टो, कैबिनेट, डेलिगेट, एसोसिएशन, हिज़एक्सेलेन्सी, अपील, गजट, प्रेसिडेन्ट, सिंडिकेट, डेपुटेशन, कालम, रेजिमेंट, सब–कमेटी, प्राइवेट–सेक्रेटरी, कमिश्नर, गवर्नमेंट, सुपरिटेंडेट–पुलिस, रेजिडेंट, प्रोपोज़, लोकल–गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, एडिटेर, पोलिटिकल, ग्रेड, मेजारिटी, सिविल सारजंट, हैंडनोट, बजट, काम्प्रोमैज़, पेसिमिज़म, कंजरवेटिव, लिबरल, रेडिकल,लेबर, नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट, हिज़–हाइनेस, ओवरसीयर,

रजिस्ट्री बीमा, युनिवर्सिटी, लिबरल एसोसियेशन, युनियन–क्लब, वालंटियर, ट्रस्ट, पोलिटिकल एजेंट, कापी, कांग्रेस–कमेटी, कप्तान, डिमान्स्ट्रेशन , सिविल सर्विस, नामिनेशन , आइडियल, प्रोग्राम, स्कीम, डिप्टी–कमिश्नर , सोसाइटी, ऐजेंसी, बोर्ड, इंस्टिट्यूशन, सिविलियन, कमेटी, मेट्रिकूलेशन, कान्वोकेशन–एड्रेस, वाइस–चांसलर, लेक्चरार, प्रोफेसर, वाइस–चेयरमैन, पालिटिक्स, इंट्रोडियूस, प्रिसिंपल, आनरेबल, इंजिनियर, थियोसोफिस्ट, रिज्योलूशन, कैंप, टीम, कापिराईट, सिविल–लाइन्स, प्राविडेंट फंड, पेंशन, प्रोस्टर , ट्रस्ट ।

## 2.2 कानून से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

1. सरदार ने जोर से डांटा – "कां जाता तुम ? कोई कईं नयीं जा सकता , नयीं अम सबको कतल कर देगा । अभी फैर कर देगा । अमारा तुम कुछ नयीं कर सकता । अम तुम्हारा पुलिस से नयी डरता । पुलिस का आदमी अमारा सकल देखकर भागता है । अमारा अपना कांसल है, अम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है । अम यां से किसी को नयीं जाने देगा । तुम अमारा एक हज़ार रुपया लूट लिया । अमारा रुपया नयीं देगा, तो अम किसी को जिन्दा नयीं छोड़ेगा । तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट करता है और यां माशूक के साथ शराब पीता है । " (गोदान, पृ. 60)

अ. लोकवादी धारा (उर्दू ):

1. दयाशंकर मुअत्तल हो गये , उन पर रिश्वत लेने और झूठे मुकदमें बनाने के अभियोग चलने लगे । (प्रेमाश्रम, पृ. 28)

2. यही न होगी , दो–तीन साल की सज़ा हो जायगी, फिर तो यों प्राण सूली पर न टंगे रहेंगे । (गबन, पृ.143)
3. उस समय उसकी क्या दशा होगी – वह हथकडियाँ और बेडियाँ पहने अदालत में खडा होगा । (गबन, पृ119)
4. अभी खुशामद कर रहे हैं , मुआवजा देने पर तैयार हैं , लेकिन तुम्हारा मिज़ाज नहीं मिलता , और वही जब कानूनी दांव –पेंच खेलकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे, दो–चार सौ रुपये बरायनाम मुआवजा दे देंगे, तो सीधे हो जायेंगे । (रंगभूमि, पृ.98)
5. या तो फीस दीज़िए , या नाम कटवाइए , या जब फीस न दाखिल हों , रोज़ कुद जुर्माना दीजिए । (कर्मभूमि , पृ.9)

इसी प्रकार अनेक प्रयुक्तियाँ पायी जाती हैं । जैसे –

बाजी, फैसला, दस्तूरी, नालिश, नीलाम, कायदा, मुखबिर, गवाही, मुलज़िम, बयान, गिरफ्तार , शहादत, झूठी,–शहादत, तहरीरी मुआफीनामा, मुजरिम, सबूत, सरकारी गवाह, वारदात, वसीयत, बयान बरी करना, जाब्ते की पाबंदी, पट्टा लिखना, जुर्म, दरोग–बयानी, जांच, सिफारिश, जिरह पेशेवर गवाही, बरी, पैरवी , दावा, वादी, मुवक्किल, फ़रियाद, इलज़ाम, मुकदमेबाज़ी, इजलास, जांच–तहकीकात, जब्त, शुबहा तहकीकात, जमानत, सबूत, तजवीज, मुचलका, दायर, हिरासत, साजिश, बेदखली की तारीख, मुखदमा खारीज होना, मेहनताना, मुअत्तल, रियायत, तजवीज सुनाना, कारावास, कालापानी की सज़ा, बेगुनाह, वादा खिलाफी, मुहर्रिर, तारीख पड़ना, पेशीका नियत तिथि, पक्ष–समर्थन, जुर्म साबित होना, अरदली, परवाना, जेहल, रिहाई, जुल्म, अरज–बिनती, नकल, घूस, मुलजिम का बयान, वकीलों के मेहनताना, इंसाफ़, मुक्त करना, कायदा फैसला रद्द

करना, गिरफ्तारी का वारंट निकल आना, बोर्ड के फैसले का अपील करना, फौजी कानून ज़ारी कर देना, कैदियों की हाज़िरी होना, तबादला, कैदियों की रिहाई, रिहाई का परवाना आना, दारोगा, मुख्तार, फांसी, अमल, कागज़–पत्र, दस्तावेज़, दायर, सलाह, प्रस्ताव प्रेश होना, इकरारनामा, वसीयत, वकालत, रद्द करना, नालिश दायर हानेा, कानूनी पुस्तक और पत्र , कचहरी आदि ।

आ. पुनरुत्थावादी धारा (संस्कृत):

1. उसका मन अपना अपराध स्वीकार कर रहा था । (सेवासदन, पृ.21)
2. सारा मुहल्ला उसके क्रोध से कांपता था, लेकिन कानूनी कारवाइयों से डरता था । (रंगभूमि, पृ. 71)
3. नैना की बाल–प्रकृति इस कूटनीति के झुकाये न झुकी । (कर्मभूमि, पृ.14)
4. तीन साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। (निर्मला, पृ.36)
5. जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है । (गबन, पृ. 139)

इसी प्रकार अनेक प्रयुक्तियाँ हैं । जैसे ––

अभियुक्त, प्रतिद्वन्द्वि, प्रतिवाद, प्रतिज्ञा–पत्र , आक्षेप, प्राणदंड, न्यायाधीश, साक्षी, हस्तक्षेप, निष्पक्ष, प्रतिपक्षी, अपराधिनी, निर्दोष, प्रतिकूल–साक्षी, मानहानि का अभियोग आदि ।

इ. अंतर्राष्ट्रीयतावादी धारा (अंग्रेजी ) :

1. बड़े बेटे दयाशंकर सब–इंस्पेक्टर थे । (प्रेमाश्रय, पृ .13)
2. वहाँ स्थायी रूप से मार्शल–लॉ का व्यवहार होता है । (कर्मभूमि, पृ. 9)

3. अनाथालय के लिये चन्दे की अपील करनेवाले हैं । (प्रतिज्ञा, पृ. 86)
4. मुकदमें के हाईकोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गयी है । (गबन,पृ.249)
5. रोज़ ही तो रियासतें कोर्ट आफ वार्ड में आया करती है । (मंगलसूत्र, पृ.21)

इसी प्रकार अनेक प्रयुक्तियाँ उपलब्ध हैं । जैसेः

पुरनोट, पुलिस–अफसर, खुफिया पुलिस, कांस्टेबल, वारंट, डिप्टी –सुपरिंटेंडेंट, एप्रूवर, चालान, म्युनिसिपेलिटी, कमिश्नर, रिपोर्ट, सिविल–सर्जन, पुलिस–इंक्वायरी, स्कीम, सेशन, मेजिस्ट्रेट, सेशन–जज, डेपुटेशन, सम्मन, जेलर, कोर्ट–मार्शल, बैरिस्टर, सर्टिफिकेट, योर आनर, डिग्री, प्रोनोट, नोटिस, वीटो, हिस एक्सेलन्सी, इन्सपेक्टर जनरल, रेजिमेंट, पुलिस–सुपरिटेंडेंट, जिला मेजिस्ट्रेट, प्रीवी कौंसिल, सोशल बायकाट, मेट्रन, कांस्टेबल ।

## 2.3 वाणिज्य से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

अ. लोकवादी धारा (उर्दू) :

1. माल की तौल , गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिस की कोई हद नहीं । जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम ड़कार जाते हैं , तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाय , जिसमें आध आना चपरासियों का है । (गबन, पृ.45)
2. लेना–देना क्या है, ज़रा भाव–ताव देखूंगा । (गबन, पृ. 50)
3. लेन–देन , बनिज–व्यापार में मेरा जी बिलकुल नहीं लगता । (कर्मभूमि , पृ . 95)
4. तुम अपना नफा–नुक्सान खुद समझ लो । (गबन, पृ. 192)

इसी प्रकार अनेकों प्रयुक्तियाँ हैं । जैसे ---

नगद, बचत, सूद, उधार, बट्टे पर लेना, हिसाब–किताब, दांव–घात, नाप–तौल, दलाल, दलाली, बट्टा–खाता, घाटा, लाभ–हानि, वसूल, रक़म, मंदी, जमा, चुंगी, रुपया–पैसा, दस्तूरी, आबकारी, घटिया–सौदा, लगान, सौदा, ब्याज, दाम–कौड़ी, तावान, बाज़ार का चढ़ाव–उतार, रसीद, बोहनी, आय–व्यय, हवाला, कच्चा–माल, अपव्यय, सद्व्यय, ग्राहक, दिवाला, रोकड़, व्यापार–भवन, पूंजी, वनिज–व्यवसाय , बही में टांकना, चन्दा, माहवर–वसूल, ऋण, अमानत, आमदनी, वेतन, महसूल, उधार–बाढ़ी, बाज़ार–हाट, सलाना–वज़ीफा, मालगुजारी, गिरवी, तराजू, तोल, माल आदि ।

आ. पुनरुत्थानवादी धारा (संस्कृत ):

1. मैं अपनी गाढ़ी कमाई तुम्हारे व्यसन के लिए नहीं लुटाना चाहता।(कर्मभूमि, पृ.17)

इसी प्रकार की अन्य प्रयुक्तियाँ निम्नांकित हैं :

कोष, धनराशी, क्रय–विक्रय आदि ।

इ. अंतर्राष्ट्रीयतावादी धारा (अंग्रेजी ) :

1. कोई आदमी खुशी से टैक्स नहीं देता । (कर्मभूमि, पृ.302)

इसी प्रकार की अन्य प्रयुक्तियाँ उपलब्ध हैं । जैसे – बिल्टी, बजट, इंश्योर्ड, पालिसी, स्पेकुलेशन, इंश्योरेंस–पालिसी, एजेन्ट, काटेज इंडस्ट्री, एकाऊंटैट, चालान आदि ।

## 2.4. खेल–कूद से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

1. शतरंज की एक बाज़ी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर दो–एक बार आया अवश्य पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मुहरे बिछा दिये।(गबन, पृ.36)
2. हाकी और फुटबाल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था । (निर्मला , पृ.66)

ऐसे ही अनेकों प्रयुक्तियाँ उपलब्ध हैं । जैसे :

चाल, रुख–पीटना, फीला मारना, फर्जी पीटना, सारे मुहरे उड़ा लेना, शाह, मात, पेंचलड़ाना, मुहरों की चालें , गुल्ली डंडा, टेनिस–रैकेट, आघात–प्रतिघात, उछल–कूद, धर–पकड़, पाली, पार्टि पिट जाना, हाफटाइम, बाज़ी ड्रान, बाज़ी मार लेना, निशानेबाज़ी, घुडदौड़, ताश, कानकौवा , पेंच आदि ।

## 2.5. विज्ञान से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

विद्युत्मय वायु, आविष्कार, परमाणु, यान, रसायनिक, खाद, विज्ञानवेत्ता , प्रयोगशाला आदि ।

## 2.6. पत्रकारिता से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

1. कहाँ है आज 'स्वाराज' और ' स्वाधीन भारत' और 'हंटर' के संपादक आकर देखें और अपने कलेजा ठंड़ा करे । (गोदान , पृ 56)

ऐसे ही अनेक प्रयुक्तियाँ हैं । जैसे :

ग्राहक संख्या, प्रूफ, संवाददाता, एडिटर आदि ।

## 2.7. शिक्षा से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

1. मंसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कर आया था । (निर्मला ,पृ.94)
2. हमारे स्कूलों और कालेजों में जिस तत्परता से फ़ीस वसूल की जाती है , शायद मालगुज़ारी भी उतनी सखती से नहीं वसूल की जाती । (कर्मभूमि, पृ.9)
3. इम्तहान की फीस भी ली जा रही है । (कर्मभूमि, पृ .10)

इसी प्रकार की प्रयुक्तियाँ देखिए :

शिक्षाधिकार, शिक्षा–विभाग, प्रिसिंपल, छात्रवृत्ति, इंस्टिट्यूशन, मेट्रिकुलेशन परीक्षा, कान्वोकेशन एड्रेस, वाइस–चांसलर, लेकचरार, प्रोफेसर, स्टाफ़, युनिवर्सिटी आदि ।

## 2.8. धर्म से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

1. मैं ने देखे हैं हिन्दु–घरानों में भिन्न–भिन्न मतों के प्राणी कितने प्रेम से रहते हैं। बाप सनातन–धर्मावलंबी है , तो बेटा आर्यसमजी । पति ब्रह्मसमाज में है तो स्त्री पाषाण पूजकों में । सब अपने–अपने धर्म का पालन करते हैं । (रंगभूमि, पृ.36)
2. अनिष्ट की शंका को दूर कीजिए । फिर तीर्थ–यात्रा, पूजा–पाठ, स्नान–ध्यान, रोज़ा–नमाज़, किसी का निशान भी न रहेगा । (रंगभूमि, पृ.74)
3. दान–दक्षिणा में भी कोई कमी न की गई । (प्रतिज्ञा, पृ.23)

4. एक पंडित जी बहुत तिलक–मुद्रा लगाते हैं । (गोदान, पृ.42)
5. उसका सारा जीवन तप और आराधना का जीवन है । (मंगलसूत्र, पृ.20)

इसी प्रकार अनेक प्रयुक्तियाँ हैं । जैसे :

यज्ञ, प्रायश्चित, पाप–पवित्र, धर्म निष्ठा, जन्मोत्सव, धर्मात्मा, व्रत, आराध्यदेव, कर्णधार, अन्तःकरण, पुनर्जन्म, शुद्धान्तःकरण, स्वर्गधाम, आत्मशुद्धि , साधना, शान्त–चित्त, आत्मा, आस्था, तपस्विनी, धर्म–कर्म, एकादशी, जल चढ़ाना, धर्म–मार्ग, माया, ठाकुर द्वार, आरती, अन्तस्तल, उपासना, ज्ञानोपदेश, विधर्मी, पाखंड, मदान्ध, म्लेच्छ, क्रिया–कर्म, उत्सव, भेंट–न्योछावर, पूज़ा–चढ़ाव, उपासक, धर्मशाला, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अवतार, संध्यापोसना, नास्तिक, आस्तिक, ईश्वर–निष्ठा, समाधी, त्रिवेणी, वरदान, बहिर्जगत, अन्तर्जगत, सिद्धि मोक्ष, समाधिस्त–योगी, अन्तर्लोक, विराग, महानिद्रा, पूर्व–संस्कार, नैसर्गिक–शक्ति, नैराश्य, अलौकिक–लीला, अनुष्ठान आदि ।

## 2.9. दर्शन से संबंधित प्रयुक्यिाँ :

1. जीवन, तुमसे ज्यादा असार भी दुनियामें कोई है ? क्या यह उस दीपक की भांति ही क्षण–भंगुर नहीं है, जो हवा के एक झोंके से बुझ ज़ाता है ? पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है ; जीवन में उतना सार भी नहीं ! सांस का भरोसा ही क्या और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं ? नहीं जानते, नीचे

जानेवाली सांस ऊपर आएगी या नहीं , पर सोचते इतनी दूर की हैं मानो हम अमर है । (निर्मला,पृ.37)

## 2.10. जाति से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

हममे आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है , कोई हिन्दू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है । (गोदान, पृ.58)

इसी प्रकार अनेकों प्रयुक्तियाँ हैं ।जैसे–
खटिक, अंगनू, महाजन, हींगन, कहार, चमार, कुंजडे, लौंडियाँ, महरी आदि ।

## 2.11. किसानी से जुड़ी प्रयुक्तियाँ :

1. होरीराम ने दोनों बैलों को सानी–पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा–गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना । (गोदान, पृ. 7)

ऐसे ही अनेकों प्रयुक्तियाँ हैं । जैसे –

पछाईं गाय , गऊ , खलेटी, पांच बीघे ज़मीन, हरियाली, चरना, तरी, चराई, दुधार, बछिया, कृषक–बुद्धि , बाछा, बिनौल, पगहिया, ब्याते, भूसा, पत्ती–सत्ती, रातिब, कड़वी बोना, चारा, कामधेनु, कुदाल, खूंटा, डाँड, ऊख गोड़ना, खाँचे, नाँद, मडैया, ब्यान, कुट्टी काटना, खाद फेंकना, नाँद गाड़ना, गोरस, बाँस, खेत, खलिहान, सूखा गोबर बीना, गोबर आदि ।

## 2.12. वेश भूषा से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

पंप–शू, चेस्टर , सूट, टेनिस शर्ट , सफेद पतलून, कैनवास का जूता, धोती, पगड़ी, बटुआ, ऊंचा कोट, ब्रीचेज, टाई, बूट, हैट, बैल–बूट, टोपी, कोट–पतलून, चौगोशिया टोपी, मिरजाई , रेशमी अचकन, गुलाबी मिर्जई, गुलाबी पगड़ी, कछनी काछे, पाऊडर, अंगोछा, चूडियाँ, अंगूठी, घड़ी, ओवरकोट आदि ।

## 2.13. पेशा से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

व्यभिचारी, मेट्रन, चौकीदारिन, सेठ–साहूकार, मुखिया, वार्डर, कारीगर, सिपाही, पुलिस, डि.एस.पी, डाक्टर, सुपरिंटेंडेंट, वकील, जज, मुवक्किल, तहसीलदार, क्लर्क, प्रोफेसर, पेसकार, पटवारी, बढ़ई, दर्जिन, चपरासी, बावर्ची, हकीम, लकड़हारा, मिनिस्टर, जिलाधीश, गुमाश्ता, डॉक्टर, सुनार, धोबी, कुम्हार, कर्मचारी, मेनेजर , दारोगा, दरजी , तावेदार, सेनापति आदि ।

## 2.14. तरकारी और फल से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

साग–भाजी, नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल, मेवे, ऊख, पपीते, आलू , टमाटर , कद्दू , केला, पालक, सेब, सन्तरा, गोभी आदि ।

## 2.15. खाने के पदार्थ से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

पान–इलायची, मिठाई, अचार, चटनी, मुरब्बे, मलाई, कचौरी, हलवा, खीर, दूध, दही, मांस, मछली, दाल, रोटी, घी, पूरी, रसगुल्ला, कलाकन्द, रबड़ी, खिचड़ी आदि ।

## 2.16. घरेलू चीजों से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

कटोरा–कटोरी, गिलास, लोटा–तसला, प्याला, पंखा, पत्तल, झाड़ू , मटका, खाट, बिछावन, बिस्तर, चौका–बासन, चम्मच, दियासलाई , तवा, थैली, लालटेन , ओढ़न, लिहाफ, चारपाई, आईना, चूल्हा, अंगीठी, आदि ।

## 2.17. बीमारी से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

मकोय, ताप, मंदाग्नि, तिल्ली, धड़कन, शूल, खांसी, इंफलुएंजा, निमोनिया, थाइसिस आदि ।

## 2.18 नशीले पदार्थों से संबंधित प्रयुक्तियाँ :

शराब, गांजा, अफ़ीम, मदक, चरस, दारू, चिलम, तंबाखू ,पान–इलायची आदि ।

---

# संदर्भ सूची

1. गबन
2. गोदान
3. निर्मला
4. सेवासदन
5. प्रेमाश्रम
6. कर्मभूमि
7. रंगभूमि
8. कायाकल्प
9. प्रतिज्ञा
10. मंगलसूत्र

———

# पंचम अध्याय

## प्रेमचन्द के उपन्यास एवं समाज शास्त्रीय प्रयुक्तियाँ

# पंचम अध्याय

## प्रेमचन्द के उपन्यास एवं समाज शास्त्रीय प्रयुक्तियाँ

1. प्रेमचन्द की भाषा–शैली का वैशिष्ट्य

1.1 मुहावरे

1.2 शारीरिक अंगों को द्योतित शब्दों से युक्त मुहावरे

1.3 ' रंग ' शब्दों से युक्त मुहावरे

1.4 विभिन्न प्रकार के मुहावरे (प्रकीर्ण)

2. कहावतें/लोकोक्तियाँ

3. सूक्तियाँ

---

# पंचम अध्याय

## प्रेमचन्द के उपन्यास एवं समाज शास्त्रीय प्रयुक्तियाँ

हर भाषा का अपना प्रयोजन होता है। प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोजन इसके रोजगारपरक पक्ष में है। साहित्यिक भाषा की प्रयुक्तियों का प्रयोग और कहीं नहीं हो सकता।

कविता की रचना स्वान्त सुखाय के लिए ही नहीं – बहुजन हिताय भी होता था। उसमें प्रयुक्त शब्दावली का प्रयोग और कहीं नहीं हो सकता। उन शब्दों का अपना विशिष्ट सौन्दर्य है – अर्थ भी है।

मुहावरों एवं कहावतों के द्वारा साहित्यिक हिन्दी का सौन्दर्य निखर उठता है। ये ही उस हिन्दी की समाजशास्त्रीय प्रयुक्तियाँ हैं।

## 1. प्रेमचंद की भाषा–शैली का वैशिष्ट्य :

प्रेमचन्द युग प्रतिनिधि कलाकार है । स्वतंत्रता की भावना – सामाजिक कुरीतियों के (निराकरण) हेतु क्रान्ति की भावना उनके हृदय में बनी रही। उनको उद्वेलित करती रही। तत्कालीन राजनीतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, पूंजीवादी वर्ग का अत्याचार, ग्रामीण किसान, मज़दूर शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति का पूरा चित्र उनके कथा–साहित्य में उभरकर आया है। तदनुसार उनकी भाषा में उसी परिवेश के माहौल के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग हुआ है।

सामान्यतः साहित्य में आलंकारिक, लाक्षणिक, भाषा–शैली रहती है। पर प्रेमचन्द का साहित्य सौन्दर्यवादी / रसप्रदान करनेवाला साहित्य नहीं पर यथार्थवादी–प्रगतिवादी समाज से जुड़ा समाजवादी कथा–साहित्य है। तदनुसार उनकी भाषा शैली समाजवादी साहित्य की शब्दावली से भरपूर है।

लोक भाषा की जीवन्तता उसके लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग में छिपी होती है। प्रेमचन्द ने अपनी कथा साहित्य में सूक्तियों, मुहावरों और लोकोक्तियों की झड़ी ही लगा दी है।

मुहावरे और कहावतें – साहित्य के प्राण तत्व हैं। इनके द्वारा ही साहित्य का सौन्दर्य निखर उठता है। भाषा की व्यंजना शक्ति पता चलता है। इनमें सार्वकालिक जीवन संदेश भरा रहता है। ये साहित्यिक प्रयुक्ति के सशक्त उदाहरण है। बिना मुहावरों या कहावतों के साहित्यिक भाषा प्राणहीन हो जाएगी। आज की प्रशासनिक / विधि / विज्ञान की भाषा में इनके लिए जगह नहीं। इनकी ज़रूरत भी नहीं। इस भाषा के लिए अभिधा या वाक्यांश काफी है। पर साहित्यिक भाषा लक्षणा या व्यंजना को लेकर ही

चलती है। यह लक्षणा या व्यंजना मुहावरों एवं कहावतों द्वारा लायी जाती है। ये ही साहित्यिक क्षेत्र की विशिष्ट प्रयुक्ति है।

मुहावरे एवं कहावतें किसी भाषा की संपदा होती है। इनके प्रयोग से भाषा में चमत्कार आ जाता है और अभिव्यक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरों को काव्य–सहोदर कहा जाता है। भावाभिव्यक्ति में कभी–कभी तो ये किसी श्रेष्ठ कवि की सूक्ति से भी अधिक मार्मिक, हृदय ग्राही, ओजपूर्ण, सुन्दर, विशद और संक्षिप्त होते हैं।

## 1.1 मुहावरे :

मुहावरे भाषा का श्रृंगार है; और इनमें अनेक प्रकार के अलंकारों का – उपमा, रूपक, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति आदि का सहज और अनायास प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ–

लाल अंगारा होना
गुड़ गोबर होना
पीठ दिखाना
तिनके का सहारा लेना
आग बबूला होना

मुहावरों का निर्माण विद्वानों या वैयाकरणों के द्वारा न होकर लोक व्यवहार द्वारा होता है। इसीलिए मुहावरों की परिभाषा ऐसे की जाती है – " लोकभाषा के सांचें में ढल–ढलकर निकलनेवाले वे वाक्यांश जो केवल लक्षणा अथवा व्यंजना द्वारा अपना अर्थ प्रकट करते हैं, और व्याकरण के नियमों से नियंत्रित नहीं होते, मुहावरा कहलाते हैं।"

मुहावरे मनुष्य की अनुभूतियों के सजीव चित्र उपस्थित कर देते हैं। मुहावरेदार प्रयोगों का साधारण प्रयोगों की अपेक्षा अधिक और शीघ्र प्रभाव पड़ता है तथा यह प्रभाव अधिक स्थायी होता है।

प्रत्येक मुहावरे का एक अपना विशिष्ट एवं परम्परागत अर्थ होता है। अतः उसका प्रयोग इसी अर्थ में करना चाहिए। बिना भली प्रकार समझे किसी मुहावरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ' काया पलट होना ' के स्थान पर ' शरीर पलट होना ' का प्रयोग किया जाए तो अनुचित होगा।

महत्व : मुहावरों के बिना भाषा नीरस और निष्प्राण है। भाषा में प्रभावोत्पादकता और भावों की स्पष्टता लाने के लिए मुहावरे अत्युत्तम साधन है। छोटे–छोटे मुहावरों में जो भाव भरे रहते हैं – वे अच्छे–से–अच्छे लेखक की कृति में भी प्रायः कम ही मिलते हैं। व्यंग्य के लिए तो मुहावरे रामबाण का काम देते हैं। ये वे तीर हैं जो बाहर से छोटे होते हुए भी घाव गहरा करते हैं। प्रायः प्रेम, सौहार्द, परोपकार, सेवा आदि भावों की अभिव्यक्ति में इनका प्रयोग कम होता है। उन भावों में व्यंग्य के लिए स्थान नहीं है। बात सीधी–सादी और अभिधार्थ होती है। वहाँ भी जब घुमाव–फिराव करना हो, डाँट–फटकार करनी हो या शिक्षा देनी हो या बढ़ा–चढ़ाकर वर्णन करना हो, तो मुहावरा सहजतः काम आता है। प्रायः मुहावरों में उत्तेजना, द्वेष, स्पर्धा, निन्दा, क्रोध आदि भावों की भरमार रहती है। यही है मुहावरों का महत्व।

मुहावरों के आधार वे छोटे–छोटे पदार्थ हैं, जिनसे जनसाधारण को प्रतिदिन काम पड़ता है। सैकडों मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित हैं। हृदय, दिल, हाथ, पांव, नाक, कान, आँख, मुँह, सिर, कलेजा, जबान आदि के ठोस व्यापारों और स्थूल चेष्टाओं को सूक्ष्म एवं लाक्षणिक अर्थ दिये गये हैं जिसे हम विशिष्ट अर्थ व्यक्त करनेवाली ' प्रयुक्ति ' के रूप में देख सकते हैं।

हृदय में चुभना

सहसा एक बात किसी भारी मील की तरह उसके हृदय में चुभ गयी । (गबन, पृ.209)

हृदय टुकड़े–टुकड़े होना

रमा की यह निन्दा सुनकर उसका हृदय टुकड़े–टुकड़े हुआ जाता था। (गबन, पृ.211)

हृदय में फुहरियाँ-सी उड़ने लगना

सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुहरियाँ–सी उड़ने लगीं। (गबन, पृ.217)

हृदय को चीर कर निकलना

मालुम होता है, एक–एक शब्द उसके हृदय को चीरकर निकल रहा हो । (गबन, पृ.234)

हृदय को थाम लेना

इस अवगति ने उसके डूबते हुए हृदय को थाम लिया। (प्रेमाश्रम, पृ.821)

हृदय में गांठ–सी पड़ जाना

उनकी ओर से इनके हृदय में गांठ–सी पड़ गयी थी। (प्रेमाश्रम, पृ.177)

हृदय को हिला देना

आज के दृश्य ने मेरे हृदय को हिला दिया। (प्रेमाश्रम, पृ.299)

हृदय पर बिजली गिरना

ज्ञानशंकर के हृदय पर बिजली–सी गिर गयी। (प्रेमाश्रम, पृ.359)

हृदय पर तीर–सा लगना

मुझे तो कभी कोई कुछ कह देता है, तो हृदय पर तीर–सा लगता है। (रंगभूमि, पृ.44)

दिल

दिल के टुकड़े हुए जाना

तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं । (निर्मला, पृ.85)

दिल पर पत्थर की लकीर हो जाना

वह उन लड़कों में नहीं है, जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। (निर्मला, पृ.95)

दिल फट जाना

1. मंसाराम को ऐसा मालूम हुआ, मानो उसका दिल फटा जा रहा है। (निर्मला, पृ.102)
2. लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था। (निर्मला, पृ.187)

दिल में चोर बैठा रहना

मैं तो समझती हूँ, उनके दिल में हरदम एक चोर–सा बैठा रहता होगा कि युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता। (निर्मला, पृ.140)

दिल में जमना

अमर ने रूमाल को जेब में रखा तो उसकी आँखें भर आयीं। उसका बस होता तो इसी वक्त सौ–दो–सौ रूमालों की फरमाइश कर देता। फिर भी यह बात उसके दिल में जम गयी। (कर्मभूमि, पृ.39)

दिल पर फफोले डालना

एक–एक बात चिनगारी की तरह उसके दिल पर फफोले डाल देती थी। (गबन, पृ.234)

दिल बैठ जाना

1. प्रभाशंकर का दिल बैठ गया। (प्रेमाश्रम, पृ.217)
2. अरे, तो ऐसी कौन–सी बड़ी रक़म है, जिसके लिए आपका दिल बैठ जाता है। (गोदान, पृ.55)

दिल मज़बूत करना

आखिर उन्होंने दिल मज़बूत किया और जान पर खेलकर बोले। (गोदान, पृ. 61)

दिल छोटा करना

आप समझदार होकर दिल इतना छोटा करते हैं। (गोदान, पृ.243)

चेहरा

चेहरे का रंग उड़ जाना

1. अमर ने तो दिल्लगी की थी, पर नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। (कर्मभूमि, पृ.15)
2. देवीदीन के चेहरे का रंग उड़ गया। (गबन, पृ.245)
3. वह चाहती थी कि एक बार रमा की आँखें उठ जाती और वह उसे देख लेती ; लेकिन रमा सिर झुकाये खड़ा था, मानो वह इधर–उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। (गबन, पृ.233)
4. तोताराम के चेहरे का रंग उड़ गया। (निर्मला, पृ.71)

5. निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। (निर्मला, पृ.121)

चेहरा सख्त पड़ जाना

जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। (गबन, पृ.262)

चेहरे पर हवाइयाँ उडने लगना

1. रमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। (गबन, पृ.120)
2. अमंगल के भय से सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी । (प्रेमाश्रम, पृ.67)

चेहरे का रंग फक कर देना

पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी, दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिये, तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फक कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुरसी पर टिक गयी ; मगर फिर दिल न माना। (गबन, पृ.233)

चेहरा जर्द पड़ना

ओंकारनाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। (गोदान, पृ.58)

चेहरा तम तमाना

बाबूजी उस समय वहाँ बैठे थे । हाँ, अब याद आती है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। (निर्मला, पृ.103)

चेहरा पीला पड़ना

रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलई तो न खुल जायगी। (गबन, पृ. 106)

दाँत

दाँतों उँगली दबाना

1. यहाँ जो सुनता है, दाँतों उँगली दबाता है। (निर्मला, पृ.137)
2. उनकी बेदर्दी देखकर पुलिसवाले भी दाँतों उँगली दबाते थे । (गबन, पृ. 282)
3. आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकान्त में विचरते देखकर दाँतों उँगली दबाते हैं। (गबन, पृ.94)
4. जो उसके त्यागमय स्नेह को देखता, दाँतों तले उँगली दबाता था। (कायाकल्प, पृ.286)

दाँत खट्टे हो जाना

मेरे सामने कहा होता तो ऐसी–ऐसी सुनाती कि दाँत खट्टे हो जाते। (सेवासदन, पृ.28)

दाँतों से पकड़ना

1. मुझे एक–एक पैसा दाँतों से पकड़ना चाहिए था । (गबन, पृ.98)
2. यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन बीस बरसों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर–ब्योंत करो, कितना ही पेट–तन काटो, चाहे एक–एक कौड़ी को दाँतों से पकडो ; मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। (गोदान, पृ.7)

दाँत काटना

मि.क्लर्क से तो उनकी दाँत काटे रोटी थी। (रंगभूमि, पृ.334)

दाँत लगाए रहना

1. झिंगुरीसिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दाँत लगाए हुए थे। (गोदान, पृ.87)
2. झिंगुरी और पटेसरी मेरे खेतों पर दाँत लगाए हुए हैं। (गोदान, पृ.213)

दाँतों से देना

वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेडों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दाँतों से दिया है। (गोदान, पृ.257)

उँगली

उँगली उठाना

1. उसकी मदद तो कोई न करेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर उँगली उठानेवाले बहुतेरे निकल आयेंगे। (कर्मभूमि, पृ.77)
2. सारे शहर में उँगलियाँ उठेंगी ; मगर तुम्हें इसकी क्या परवा। (गबन, पृ.103)
3. अमृतराय के इन्तज़ार में पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका था , बिरादरी में लोग उँगलियाँ उठाने लगे थे। (प्रतिज्ञा, पृ.35)

उँगलियों पर नचाना

इसे उँगलियों पर नचा रही है और यह समझता है वह इस पर जान देती है। (गोदान, पृ.90)

साँप के बिला में उँगली डालना

1. रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। ख्वामख्वाह साँप के बिल में उँगली डालना कौन–सी बहादुरी है। (गबन, पृ.186)

2. इस अंधे की भी मत मारी गई है कि जान–बूझकर सांप के मुँह में उँगली देता है। (रंगभूमि, पृ.361)

उँगली दिखाना

1. मगर इस उलट फेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थीं कि कोई उँगली न दिखा सकता था। (गोदान, पृ.80)
2. गांव में उसका मान–सम्मान कितना बढ़ जायगा। वह उँगली दिखानेवालों का मुँह सी देगी। (गोदान, पृ.227)

पाँचों उँगली घी में होना

लल्लू के रियासत में कोई अच्छी जगह मिल जायगी, फिर पांचों उँगली घी में है। (कायाकल्प, पृ. 192)

छाती

छाती पर मूँग दलना

1. तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूँग दलना है। (निर्मला, पृ.46)
2. देखे तो इसी गाँव में तेरी छाती पर मूँग दलकर रहती हूँ कि नहीं और उससे अच्छा खाऊँ–पहनूँगी। (गोदान, पृ.97)
3. और तुम उसे घर में रखे हुए हो, यह मेरी छाती पर मूँग दलना नहीं तो और क्या है ? (गोदान, पृ.129)

छाती पर साँप लोटना

1. वकील साहब की छाती पर साँप लोट गया। ( निर्मला, पृ.78)
2. इस समय उनकी छाती पर साँप सा लोट रहा था। (प्रेमाश्रम, पृ.21)

3. जब से आप मिनिस्टर हुए हैं, उनकी छाती पर साँप लोट रहा है। (गोदान, पृ.267)

छाती में छुरी मारना

सदन के घर में बैठे हुए बाहर से पानी मंगाकर पीना सदन की छाती में छुरी मारने से कम न था। (सेवासदन, पृ.220)

छाती गज भर का होना

1. बेटा, आज भैया होता तो तुम्हारा यह सदुद्योग देखकर उनकी गज भर की छाती हो जाती। (प्रेमाश्रम, पृ.48)
2. होरी की छाती गज भर की हो गई । (गोदान, पृ.10)

छाती के टुकड़े–टुकड़े हो जाना

अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े–टुकड़े हुए जाते थे।(निर्मला, पृ. 153)

पेट

पेट में चूहे दौड़ना

1. चक्रधर के पेट में चूहे दौड़ने लगे कि तसवीर क्यों कर ध्यान से देखूँ। (कायाकल्प, पृ.17)
2. अब की जीतन की निगाह उस पर पड़ गयी। फिर क्या था, उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। (सेवासदन, पृ.220)
3. दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। (प्रतिज्ञा, पृ.5)
4. महाजनों ने जो ऊख कटते देखी, तो पेट में चूहे दौडे। (गोदान, पृ. 154)
5. गाँव में और कोई प्राणी नहीं, जिससे उसकी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे । (गोदान, पृ.248)

सारी देह में पेट–ही–पेट होना

सुधा–मालूम होता है, सारी देह में पेट–ही–पेट है । (निर्मला, पृ.145)

पेट में सनीचर होना

रंगीला–पेट में सनीचर है क्या ? (निर्मला, पृ.51)

पेट में बात नहीं पचना

वह जानते थे कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। (सेवासदन, पृ.128)

पेट पालना

आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन–से–झंड़े गाड़ दिये। सारी जिन्दगी पेट पालते रहे। (गबन, पृ.53)

पेट नहीं भरना

यह सब कुछ हुआ ; मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा । (गबन, पृ.146)

पेट में पानी न पचना

हाँ, कहीं बुढ़िया से न कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी न पचेगा । (गबन, पृ.147)

बाल

बाल भी बाँका न होना

1. ऐसी बातें मुँह से न निकालो, तुम्हारा बाल भी बाँका न होगा। (प्रेमाश्रम, पृ.39)
2. बस, गाँव के लोगों से मेल रखोगे तो कोई तुम्हारा बाल भी बाँका न करेगा।(प्रेमाश्रम, पृ.205)

3. जब तक मुझ में खड़े होने की शक्ति है, तुम इनका बाल भी बाँका नहीं कर सकते। (प्रेमाश्रम, पृ.291)

बाल भी बाँका होना

1. अब उसी मंसाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बाँका हुआ, तो तुम जानोगी । (निर्मला, पृ.78)
2. अगर मेरे बेटे का बाल भी बाँका हआ, तो घर में आग लगा दूँगी। (गोदान,पृ.92)

बाल–बाल बचना

1. तुमने मुझको मृत्यु के मुँह से निकाल लिया। बाल–बाल बचा । (प्रेमाश्रम, पृ.283)
2. वीरपाल बाल–बाल बच गया और विनय को निकट होने के कारण पहचानकर बोला – आप भी उन्हीं में हैं। (रंगभूमि, पृ.329)

बाल की खाल निकालना

बहूजी बाल की खाल निकाला करती थीं , यह बेचारे कुछ नहीं बोलते। (गबन, पृ.176)

बाल नुच जाना

होरी ने ज़रा–सा इशारा कर दिया होता, तो तुम्हारा एक–एक बाल नुच जाता।(गोदान, पृ.130)

ज़बान

ज़बान की सफाई पर जान देना

मैं तुम्हारी ज़बान की सफाई पर जान देता हूँ । (कर्मभूर्मि, पृ.11)

कान

कान काट लेना

1. कहती है, मुझे दिक करोगे तो कान काट लूँगी । (निर्मला, पृ.64)
2. क्यों कचहरी में कोई तुम्हारे कान काट लेगा ? (रंगभूमि, पृ.367)
3. उसमें अद्‌भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। (गोदान, पृ.99)

कानों–कान खबर न होना

1. ऐसी होशियारी से पता लगाओ कि किसी को कानों–कान खबर न हो ; अगर घरवालों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो, तो उसे लाओ। (कर्मभूमि, पृ.32)
2. किसी को कानों कान खबर न हो । (गबन, पृ.80)
3. सहसा देवीदीन ने कहा – क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊँ। किसी को कानों कान खबर न होगी । (गबन, पृ.147)
4. यहाँ के आदमियों को ताकीद कर दी जायगी–किसी को कानों कान खबर न होगी। (प्रतिज्ञा, पृ.127)

कान लगाए खड़े रहना

1. यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है । (निर्मला, पृ.53)

कान पर जूँ तक न रेंगना

अम्मा और बाबू जी से एक बार नहीं, लाखों बार कहा, ज़ोर देकर कहा कि दो–चार चीज़ें बनवा ही दीजिए ; पर किसी के कान पर जूँ तक न रेंगी। (गबन, पृ.34)

कान में तेल डालकर बैठना

1. कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। (गबन, पृ.97)
2. तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है ? (गोदान , पृ.231)

कान गर्म कर देना

1. और समाज में दो–चार ऐसी स्त्रियाँ बनी रहें, तो अच्छा ; पुरूषों के कान तो गर्म करती रहें। (गोदान, पृ.161)
2. तुमने अच्छी डॉट बताई। पटवारी के कान भी ज़रा गर्मा दो। (गोदान, पृ.177)

कान की कीड़े मर जाना

तुम्हारा मैं ने बड़ा लिहाज़ किया नहीं तो ऐसा–ऐसा सुनाती कि कान के कीड़े मर जाते। (प्रतिज्ञा, पृ.106)

कान छेदना

इन बातों में क्या रखा है ? गुड़ खाया है, तो कान छिदाने पड़ेंगे । (प्रेमाश्रम, पृ.185)

कान भरना

वहाँ तो उसके –
कोई कान भरनेवाला न होगा। (प्रेमाश्रम, पृ.360)

गला

गले पड़ना

1. अपना ही पेट होता तो विशेष चिन्ता न थी। अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। (निर्मला, पृ.167)

2. सोचा था, दो–चार साल और जिन्दगी का मज़ा उठा लूँ, पर उल्टी आंतें गले पड़ी। (निर्मला, पृ.67)

गला काटना

1. यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देनेवाले , पैसे के लिए गरीबों का गला काटनेवाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा को बेच देनेवाले छात्र निकलते हैं, तो आश्चर्य क्या है ? (कर्मभूमि, पृ.9)
2. क्या तुम इतने गये–बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो। (गबन , पृ.222)
3. इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। (गोदान, पृ.91)
4. कारिन्दे से मिलकर असामियों का गला काटता है । (गोदान, पृ.177)

गले में कैदी की जंजीर ड़ालना

बन्धनों से समाज का पैर न बाँधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न ड़ालिए। (गबन, पृ.95)

गला छूटना

1. शोभा निराश होकर बोला – न जाने उन महाजनों से भी कभी गला छूटेगा कि नहीं। (गोदान, पृ.153)

2. फन्दा और जकड़ जाय बला से ; पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पडेगा। (गोदान, पृ.153)

उल्टी छुरी से गला रेतना

तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रेता है । (गोदान, पृ. 202)

गले में जुआ नहीं पड़ना

जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है, तभी तक यह कुलेलें हैं। (गबन, पृ.13)

गला छोड़ना

आप लोगों ने मुझे मटियामेट कर दिया और अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते । (गबन, पृ.245)

गला घोंटना

यहाँ आपको आत्मा की स्वाधीनता से हाथ धोना पड़ेगा न्याय और सत्य का गला घोंटना पड़ेगा ; यही आपकी उन्नति और सम्मान के साधन हैं । (प्रेमाश्रम, पृ.22)

गला दबाना

यह क्या कि जिसकी कमाई खायें, उसी का गला दबायें । ( प्रेमाश्रम, पृ.355)

गर्दन

गर्दन पर छुरी फेरना

1. उसी का पिता उसके गर्दन पर छुरी फेर रहा है । (निर्मला, पृ.102)

2. सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी फेरने से नाज नहीं आते। (कायाकल्प, पृ. 108)

गर्दन दबाना

जिनसे लड़ना चाहिए, उनके तो तलुवे चाटते हैं और जिनसे गले मिलना चाहिए, उनकी गर्दन दबाते हैं । (कायाकल्प, पृ.108)

गर्दन पर सवार होना

ज़रा–सा कोई काम बिगड़ जाय, तो गरदन पर सवार हो जाते हो। (गोदान, पृ.29)

खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना

मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती (गबन, पृ.222)

कमर

कमर टूट जाना

1. मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहाँ दौड़े आये थे । यह फैसला सुना तो कमर टूट–सी गई । (कायाकल्प, पृ.230)
2. लोभी की कमर भी टूट गई । (गोदान, पृ.84)

कमर बांधना

अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखे, तो टांग तोड़ दूँगा। बदमाशी पर कमर बाँधी है। (निर्मला, पृ.64)

नाक

नाक–भौं सिकोड़ना

1. भूंगी नाक–भौं सिकोड़ते गयी, पर क्षण में आकर बोली– अरे बहूजी, वह तो रो रहे हैं। (निर्मला, पृ.90)
2. दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी, पर जागेश्वरी इस पर राज़ी न हुई। (गबन, पृ.14)
3. वह जानता था जालपा पहले कुछ नाक–भौं सिकोड़ेगी ; पर यह भी जानता था कि यह हार देखकर वह ज़रूर खुश हो जायेगी। (गबन, पृ. 243)

नाक कट जाना

1. कैसी बातें करते हो, यहाँ नाक कटी जा रही है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है और तुम कहते हो, सोचकर जवाब दूँगा। (कायाकल्प, पृ.132)
2. यह तुमने क्या गज़ब किया अम्माजी ! सचमुच, कोई देख ले तो नाक कट जाय !(गबन, पृ.183)
3. हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है । (गोदान, पृ. 28)
4. उसने मेरी नाक कटवाई है , तो मैं भी उसे ठोकरें खाते देखना चाहता हूँ। (गोदान, पृ.129)

नाक में दम कर रखना

1. इन शैतानों ने मेरे नाक में दम कर रखा है । (गबन, पृ.96)
2. कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। (गोदान, पृ.228)
3. मेरा तो इन झगडों से नाको दम है। ( प्रेमाश्रम, पृ.138)

4. सारे घर का तो मेरे मारे नाक में दम है । (प्रतिज्ञा, पृ.108)

नाक रगड़ना

1. तुम देखोगे कि उनके जैसे आदमी इस द्वार पर नाक रगडेंगे। (कायाकल्प, पृ.95)
2. वह इस बात से खुश होता है कि आप दिन में तीन बार उसके द्वार नाक रगड़े।(प्रेमाश्रम, पृ.21–22)
3. रूप के चौखट पर बडे–बड़े महीप नाक रगड़ते हैं । (गोदान, पृ.48)
4. हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़े–रगड़े हार गए और कुछ हाथ न लगा। (गोदान, पृ.57)

नाक पर मक्खी भी न बैठना

1. वह अत्यंत गर्वशाली थी, ; नाक पर मक्खी भी न बैठने देती। (कायाकल्प, पृ.44)
2. जिसकी नाक पर मक्खी न बैठने पाती थी, उसे एक अबला ने परास्त कर दिया।(प्रतिज्ञा, पृ.106)
3. यों बड़ा अक्खड़ आदमी था, नाक पर मक्खी न बैठने देता। (रंगभूमि, पृ. 71)

नाकों चने चबवाना

जब इसने चतारी के राजा साहब को नाकों चने चबवा दिए, तो दूसरों की कौन गिनती है। (रंगभूमि, पृ.479)

पैर

पैरों में कुल्हाड़ी मारना

वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। (निर्मला, पृ.118)

पैरों में बेड़िया पड़ना

1. दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती ? उसके पैरों में तो बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं । (निर्मला, पृ.120)
2. मेरे पास इतने साधन है कि मैं पैरों में लोहे की बेड़ियाँ डाले बिना ही उसका आनंद उठा सकता हूँ। (प्रेमाश्रम, पृ.91)

पैरों में मेहंदी लगाना

अब से अपना पौरा लेकर क्यों नहीं कहीं जाते ? काहे को पैर में मेहंदी लगाये बैठे हैं। (सेवासदन, पृ.128)

पैरों पर सिर न रखना

अगर वह स्त्री होकर इतना आपेसे बाहर हो सकती है, तो मैं पुरूष होकर उसके पैरों पर सिर न रखूँगा । (कायाकल्प, पृ.83)

पैर ज़मीन पर नहीं पड़ना

1. आनंद के मारे सदन के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते। (सेवासदन, पृ.233)
2. साल में सौ–पचास रूपये मिल जाते होंगे, इतने पर ही तुम्हारे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते।(प्रेमाश्रम, पृ.70)

पैरों पर सिर रगड़ना

वह तेरे रूप पर मुग्ध होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़ेगा । (कर्मभूमि, पृ.24)

पैरों तले रहना

हमारा सिर जमींदारों के पैरों तले रहता है। (प्रेमाश्रम, पृ.98)

पैर की जूती न बनना

मैं अदालत से लड़कर 500 महीना ले लूँगी लाला, इस फेर में न रहना। पैर की जूती नहीं हूँ कि नई थी तो पहना, पुरानी हो गई तो निकाल फेंका। (प्रतिज्ञा, पृ.105)

पैरों में पर लगना

लेकिन जब कोई इक्का आ निकलता तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता, और बग्घियों के साथ तो उसके पैरों में पर लग जाते थे । ( रंगभूमि, पृ.7)

पैरों पर खड़ी होना

मैं इन्हें दिखा दूँगी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ । (रंगभूमि, पृ.37)

पाँव

पाँव में मेहंदी लगाना

1. क्या उसके पाँव में मेहंदी लगी थी जो यहाँ तक न आ सकता था ? (प्रतिज्ञा, पृ.43)
2. सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पाँवों में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आएँ कैसे ?
   (गोदान , पृ.35)

पाँव में बेड़ियाँ डालना

1. मेरी आत्मा किसी तरह अपने पाँव में बेड़ियाँ डालने पर राजी नहीं होती।(कायाकल्प, पृ.133)
2. जिन्दगी में क्या कम गुनाह किये हैं कि मरने के पीछे पाँव में बेडियाँ पड़ी रहें । (कर्मभूमि , पृ.300)

3. वह स्वयं बुद्धिमान हैं, जो उचित समझेंगे वह करेंगे । मैं उनके पाँव में बेड़ी क्यों डालूँ ? (प्रेमाश्रम, पृ.144)
4. और मैं भी समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी की झंझट में न फंसकर कुछ सेवा करना चाहता है, तो उसके पाँव की बेड़ी न बनना चाहिए। (प्रतिज्ञा, पृ.17–18)
5. मुझसे जो कुछ हो सकेगा, तुम्हारी मदद कर दूँगा ; लेकिन अपने पाँवों में बेडियाँ नहीं डाल सकता । (गोदान , पृ.189)

पाँव में कुल्हाडी मारना

1. मुझे इनके घर में भूल कर भी न आना चाहिए था, मैं ने अपने पाँव में आपही कुल्हाड़ी मारी। (सेवासदन, पृ.39)
2. मैं जानती थी कि अपने झोंपड़े से पाँव बाहर निकालना मेरे लिए बुरा होगा। जान–बूझकर मैं ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी।(प्रतिज्ञा, पृ.108)

पाँव में कांटे चुभाना

कठिनाइयों पर विजय पाना पुरूषार्थी मनुष्यों का काम है अवश्य, मगर कठिनाइयों की सृष्टि करना, अनायास पाँव में कांटे चुभाना कोई बुद्धिमानी नहीं है।(कर्मभूमि, पृ.20)

पाँव ज़मीन पर न पड़ना

उसने हाथ धोकर अमरकान्त के लिए लोटे का पानी रख दिया तो पाँव ज़मीन पर न पड़ते थे। (कर्मभूमि, पृ.103)

पाँव तले से ज़मीन सरकना

पाँचवें दिन की डाक से गायत्री की रजिस्टरी चिट्ठी आयी। सिरनामा देखते ही ज्ञानशंकर के पाँव तले ज़मीन सरक गयी। (प्रेमाश्रम, पृ.359)

पाँव फैलाना

चाहिए था कि जैसे–जैसे हाथ में रूपये आते, एक–एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल है। (रंगभूमि, पृ.133)

पाँव को सहलाना

जब दूसरे के पाँवों–तले अपनी गर्दन दबी हुई है, तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। ( गोदान, पृ.7)

पाँव चूमना

मैं कई कंपनियों का डाइरेक्टर , कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पाँव चूमती थी। (गोदान, पृ.82)

पग पीछे हटना

लाज की रक्षा ही के लिए बड़े–बड़े राज्य मिट गये हैं ; रक्त की नदियाँ बह गयी हैं, प्राणों की होली खेल डाली गयी है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिये। (गबन, पृ.246)

हाथ

हाथ फेरना

1. आज और रह गया, तो छह सेर पर हाथ फेरेगा। (निर्मला, पृ.51)
2. तहसीलदार साहेब ने हज़ारों पर हाथ फेर लिया । (प्रेमाश्रम, पृ.10)

हाथ धोना पड़ना

1. मुंशी–अच्छी बात है, मगर याद रखना, खाली नौकरी से हाथ धोकर गला न छूटेगा। (कायाकल्प, पृ.141)
2. अभी रिपोर्ट करूँ दूँ तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा । (सेवासदन, पृ.27)

3. हाँ, कुछ दिनों भोग–विलास कर लोगी, पर अंत में इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। (सेवासदन, पृ.65)
4. यह गैर होकर इतनी चिन्तित है, और यहाँ अपने ही सास और ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं।(गबन, पृ.131)
5. अगर उनकी तंबीह न की गयी तो एक दिन मेरी इज्जत में फर्क आ जायगा और क्या अजब है कि जान से भी हाथ धोऊँ (प्रेमाश्रम, पृ.23)
6. इस मामले में तावान ही से गला न छूटेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। (गोदान, पृ.143)

हाथ फैलाना

1. जो बात अपने बस के बाहर है, उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊँ ? (निर्मला, पृ.58)
2. जीवन में यदि और कुछ नहीं करना है तो लड़कियों का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे ? (सेवासदन, पृ.6)
3. जब मालूम हो गया कि मैं अपने खर्च भर को कमा सकता हूँ, तो किसी के सामने हाथ क्यों फैलाऊँ (कर्मभूमि, पृ.21)
4. यह भी जानता था कि यह मान–सम्मान उसी वक्त तक है, जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाता । (गबन, पृ.32)
5. मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है।।(गोदान, पृ.20)
6. राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता ? (गोदान, पृ.87)

आड़े हाथों लेना

1. उसे आड़े हाथों लेने का, काँटों में घसीटने का, रूलाने का सुअवसर वह हाथ से न जाने देती थी । (निर्मला, पृ.77)

2. अब मैं उन लोगों को खूब आड़े–हाथों लूँगी । (कायाकल्प, पृ.13)
3. उन्हें एक पुरानी बात याद आ गई, जब रोहिणी ने उनके साथ इसी तरह की दिल्लगी की थी, और यह कहकर उन्हें खूब आड़े हाथों लिया था कि आपकी प्रिया तो वह हैं, जिन्हें आपने जगाया है, मैं आपकी कौन होती हूँ ? (कायाकल्प, पृ.301)
4. अजी और लोग ज़रा सकुचाते तो हैं, उन्होंने तो उलटे मुझी को आड़े हाथों लिया। (सेवासदन, पृ.86)
5. वह जाकर पहले उन्हें खूब आडे हाथों लेगी, और खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी ; लेकिन जब घर में पहुँची तो रमानाथ का कहीं पता न था। (गबन, पृ.127)
6. गोबर ने आड़े हाथों लिया – तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। (गबन, पृ.19)
7. एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया । (गोदान, पृ.276)
8. लाला जी मुझे मिल जाते, तो ऐसा आड़े हाथों लेती कि वह भी याद करते।(प्रेमाश्रम, पृ.354)

हाथ से निकलना

1. मुंशीजी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उठाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से तो न निकल जायगा। (निर्मला, पृ.109)
2. जब हाथ से तीर निकल चुका था – जब मुसाफिर ने रकाब में पाँव डाल दिया था। (निर्मला, पृ.125)
3. हाय ! हाय! लड़का था वह भी हाथ से निकल गया । (गबन, पृ.179)
4. अब क्या करने होगा खाँ साहब ! चिड़िया हाथ से निकल गया । (गबन, पृ.194)
5. उन्हीं के वेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला । (गबन, पृ.273)

6. भाई, अब तो तीर हमारे हाथ से निकल गया । (प्रेमाश्रम, पृ.20)

7. अपनी अवस्था का ज्ञान हुआ । हा ! अवसर हाथ से निकल गया । (प्रेमाश्रम, पृ.229)

हाथ मलकर रहना

अब तो तुम्हें देखकर लालाजी हाथ मलकर रह जाते हैं। (निर्मला, पृ.147)

हाथ जल जाना

तुम्हारी ही लगाई हुई आग को तो शान्त कर रहा था, पर उलटे हाथ जल गए । (कायाकल्प, पृ.79)

हाथ उठाना

यह इन्सानियत के खिलाफ है कि गिरे हुओं पर हाथ उठाया जाय । (कर्मभूमि, पृ.28)

हाथ में खुजली होना

रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता , पर भाइयों को खेलते देखकर उसके हाथ में खुजली होने लगती थी। (गबन, पृ.25)

हाथ काला करना

बल्कि उस दशा में हम उनकी कुछ सहायता करते तो वह इसे ऋण समझते नहीं तो आज भाड़–लीपकर हाथ काला करने के सिवा और क्या मिला ? (प्रेमाश्रम, पृ.27)

हाथ बांधे खड़ा रहना

पादरी साहब तशरीफ लाये थे और हफते भर रहे, लेकिन सारा गाँव हाथ बांधे खड़ा रहता था। (प्रेमाश्रम, पृ.93)

हाथ में मशाल देना

ऐसे कुपात्रों के साथ ऊँचे नियमों का व्यवहार करना दीवान के हाथ में मशाल दे देना है। (प्रेमाश्रम, पृ.211)

हाथ रंगना

गायत्री इस खून से अपना हाथ रंगा हुआ पाती थी । (प्रेमाश्रम, पृ.346)

हाथों के तोते उड़ जाना

पुलिस अधिकारियों को उन पर पूरा विश्वास था, पर जब उनका बयान सुना, तो हाथों के तोते उड़ गये । (प्रेमाश्रम, पृ. 370)

हाथ पसारे चला जाना

बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। (गबन, पृ.179)

दाहिना हाथ बनना , हाथों कठपुतली बनना

वह पुरूष जो पुलिस का दाहिना हाथ बना हुआ था, जो पुलिस के हाथों कठपुतली था, जिसने पुलिस की बदौलत हज़ारों कमाये, वह आज यों दगा दे जाये, नीति को इतनी निर्दयता से पैरों तले कुचले। (प्रेमाश्रम, पृ.371)

अवसर को हाथ से न जाने देना

यह शंका अवश्य हो सकती है, लेकिन मुझे आशा है कि मेरे मित्र इस अवसर को हाथ से न जाने देंगे। (प्रतिज्ञा, पृ.10)

जान हथेली पर लिये फिरना

जिसके लिए जान हथेली पर लिये फिरता है, वही गैर समझता है । (रंगभूमि, पृ.335)

हाथ आ जाना

मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत–मेंत में हाथ आ जाय । (गोदान पृ.19)

बाएँ हाथ का खेल खेलना

एक–एक को पाँच–पाँच साल के लिये भेजवा दूँ । यह मेरे बाएँ हाथ का खेल है। (गोदान, पृ.98)

हाथ का खिलौना बनना

बड़े–बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियाँ सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे । (गोदान, पृ.223)

हाथ खुला रहना

देवकुमार के पास ज़रूरत से हमेशा कम रहा, पर उनके हाथ सदैव खुले रहे। (मंगलसूत्र, पृ.10)

हाथ सेंकना।

उन्होंने रायसाहब की ईर्ष्याग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सेंकना चाहा था। (गोदान, पृ.268)

आँख

आँखों में धूल झोंकना

1. आँखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं, तो बहू झूठ–मूठ रोती है? (गोदान, पृ.27)

2. आपकी रियासत अपने दोस्तों की आँखों में धूल झोंकना है। (गोदान, पृ.268)
3. वह कहेगा, क्यों साहजी, आँखों में धूल झोंकते हो। (निर्मला, पृ.181)

आँखें खुलना

1. मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़–पढ़कर उसकी आँखें खुलने लगी थी । (गोदान, पृ.269)
2. ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिलें, लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आँखें खुलती है। (गोदान, पृ.295)
3. आपने अभी खानेवाले देखे कहाँ ? एक बार खिलाइए तो आँखें खुल जाएँ । (निर्मला, पृ.52)
4. जब अपने लड़के होंगे, आँख खुलेंगी। (निर्मला, पृ.64)
5. सद्वृत्तियाँ क्यों न आँखें खोल दें (कायाकल्प, पृ.7)
6. ऐसा चढ़ाव हो कि मड़वेवाले देखकर फड़क उठें। सबकी आँखें खुल जायें। (गबन, पृ.14)
7. हमने लाचार होकर इस हत्या–मार्ग पर पग रखा है। किसी तरह तो इन दुष्टों की आँखें खुलें। (रंगभूमि, पृ.202)
8. ईश्वर ने आपको तर्क–बुद्धि दी है और उससे आप दिन को रात सिद्ध कर सकते हैं ; किंतु आपकी कोई उक्ति प्रजा के दिल से इस ख्याल को नहीं दूर कर सकती कि आपने उसके साथ दगा की, और इस विश्वासघात की जो यंत्रणा आपको सोफिया के हाथों मिलेगी, उससे आपकी आँखें खुल जायेंगी । (रंगभूमि, पृ.339)
9. उस जन्म के पापों का दंड भोग रहे हो, लेकिन अब भी तुम्हारी आँखें नहीं खुलती । (प्रेमाश्रम, पृ.59)
10. घर की दशा देखकर भी इसकी आँखें नहीं खुलती। (गोदान, पृ.219)

आँखें निकालना

1. कोई तिरछी आँखों से देखें, तो आँखें निकाल ले ? (गोदान, पृ.27)
2. मैं स्वीकार करता हूँ कि दो–एक मौकों पर अपनी जवाँमरदी दिखाई है ; लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजा–हित की ओर नहीं। आँखें न निकालिए और न मुँह लाल कीजिए। (गोदान, पृ.146)

तिरछी आँखों से देखना

1. हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आँखों देख भी न सकेगा । (गोदान, पृ. 112)
2. अगर कोई तिरछी आँखों से भी देख ले तो मूँछ मुड़ा लूँ । (गबन, पृ. 148)

आँखें पर परदा पड़ना

1. सोफी सब कुछ समझती थी, पर क्लार्क की आँखों पर परदा–सा पड़ा हुआ था। (रंगभूमि, पृ.293)
2. यह पत्र मुझे न मिला होता, तो मेरी आँखों पर परदा पड़ा रहता और सोफी के लिए कुछ न कर ड़ालता। (रंगभूमि, पृ.422)
3. कह नहीं सकता, मेरी आँखों पर क्या परदा पड़ा हुआ था। (कायाकल्प, पृ.363)
4. उसकी आँखों से भ्रम का परदा उठ गया। (गबन, पृ.114)

आँखों में चकाचौंध आना

आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आँखों में चकाचौंध आ जायगी। (गोदान, पृ.80)

आँखों में तितलियाँ उड़ना

उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से पचास कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थर थराने लगे और आँखों में तितलियाँ उड़ने लगीं। (गोदान , पृ.83)

आँखों का पानी मर जाना

दूसरी लड़की होती तो मुँह न दिखाती। आँखों का पानी मर गया । (गोदान , पृ.130)

आँखें फिर जाना

1. लड़के चार पैसे कमाने लगते हैं, तो उनकी आँखें फिर जाती है। (गोदान, पृ.214)
2. भाई–बहन, माता–पिता, सभी इसी भांति भूल जाएंगे, सबकी आँखें फिर जाएंगी। (निर्मला, पृ.28)

आँखें तक न उठाना

उन्हें उन विषयों को पढ़े हुए चालीस वर्ष के लगभग हो गए थे । तब से उनकी ओर आँख तक न उठायी थी। (निर्मला, पृ.75)

आँख लगाए लेटे रहना

आधा घंटे तक घर की ओर आँखें लगाए लेटे रहे ! (निर्मला, पृ.191)

आँख नहीं भाना

मुझे यह विवाह एक आँख नहीं भाता । (कायाकल्प, पृ.142)

आँखों के सामने अंधेरा छा जाना

शशि, वर्ण ठीक हो जाने पर जब लेन–देन की बातें होने लगतीं तब कृष्णचंद्र की आँखों के सामने अंधेरा छा जाता था। (सेवासदन, पृ.6)

आँखों से क्रोध के मारे चिनगारियाँ निकलना

यह दशा देखकर सुमन की आँखों से क्रोध के मारे चिनगारियाँ निकलने लगीं। (सेवासदन, पृ.26)

आँखें नीची होना

दूसरों के सामने आँखें तो मेरी नीची होंगी । (सेवासदन, पृ.38)

आँखें बंद किये बैठे रहना

उसने नाव ली, झोपड़ा बनाया , दोनों चुडैलों से सांठ–गांठ की और तुम आँखें बंद किये बैठे रहे। (सेवासदन, पृ.217)

आँखों पर बिठाना

मैं उसे आँखों पर बैठाकर ले जाऊँगा। ( कर्मभूमि, पृ.68)

आँखें बचाना

माता–पिता की आँखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था। (गबन, पृ.21)

आँखों की प्यास बुझाना

टोना नहीं कर रहा हूँ। आँखों की प्यास बुझा रहा हूँ । (गबन, पृ.28)

आँखें फेर लेना

अम्माँ और बाबू जी से एक बार नहीं, लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि दो–चार चीज़ें तो बनवा ही दीजिए ; पर किसी के कान पर जूँ तक न रेंगी। न जाने क्यों मुझसे आँखें फेर लीं। (गबन, पृ.34)

आँखें मिलाना

1. उससे ज़रा आँखें मिलाइए तो देखिए, ठोकर जमाता है या नहीं। (कायाकल्प, पृ.108)
2. पद्मसिंह सिर नीचा किये बातें कर रहे थे। भाई से आँखें मिलने का हौसला न होता था। (सेवासदन, पृ.134)

आँखों में काँटों की तरह खटकना या गड़ना

1. वे चीज़ें उसकी आँखों में अब कांटों की तरह गड़ती थी, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी । (गबन, पृ.136)
2. ईश्वर ने आँखें दी है, धूप में बाल नहीं सफेद किये हैं। हम लोग तुम्हारी आँखों में कांटों की तरह खटकते हैं। (प्रेमाश्रम, पृ.30)
3. सुक्खू चौधरी उनकी आँखों में कांटे की तरह खटकने लगा। (प्रेमाश्रम, पृ.182)

आँखें लाल–पीली करना

1. डाँटती हूँ तो वह आँखें लाल–पीली करके दौड़ती है। (निर्मला, पृ.62)
2. मैं ने तुरंत जवाब दिया, इसके नौकर नहीं हैं, फौजदारी करा लो, लाठी चलवा लो, अगर कदम पीछे हटायें तो कहो ; लेकिन चिलम भरना, पानी खींचना हमारा काम नहीं है। इस पर आँखें बहुत लाल–पीली कीं ।(प्रेमाश्रम, पृ.199)

आँखें फूट जाना

इसके सिवाय जो मेरे मुँह से कुछ और निकला हो, मेरी आँखें फूट जाएँ। (निर्मला, पृ.64)

आँखों में नशे की लाली छा जाना

रमेश बाबू की आँखों में नशे की –सी लाली छाने लगी। (गबन, पृ.37)

आँखों से बातें करना

मिलने जाओ, तो आँखों से बातें करता है, मगर मैं हिम्मत का धनी । (गबन, पृ. 155)

आँखों के सामने लूटना

उस मौत ने आँखों के सामने उसे लूट लिया। (गबन, पृ.174)

आँखें चूकना, आँखों से बचना

जब सिपाहियों का दल समीप आ गया, तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आँखें कुछ ऐसी सशंक हो गयीं और अपने को उनकी आँखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था, फिर पुलिसवालों की मंजी हुई आँखें क्यों चूकतीं। (गबन, पृ.186)

आँखों से गिर जाना

हमेशा के लिए वह सब की आँखों से गिर जायेंगे, किसी को मुँह न दिखा सकेंगे। (गबन, पृ.209)

आँख में टोना होना

बासंती सच कहती थी, पुरूषों की आँख में टोना होता है। (गबन, पृ.28)

आँखों में खटकना

मुझमें ऐसी कौन सी बात है, जो इनकी आँखों में खटकती है। (निर्मला, पृ.86)

आँखें फैलना

रमा की आँखें फैल गयीं । (गबन, पृ.219)

आँखों देखी मिसाल देना

इसकी कितनी ही आँखों देखी मिसालें दी गयीं । (गबन, पृ.243)

आँखें नहीं उठाना

1. कोई उसकी तरफ आँखें नहीं उठा सकता। (गबन, पृ.255)
2. अब भूलकर भी मेरी ओर आँख न उठाइएगा । (प्रतिज्ञा, पृ.70)

आँखों से तेज झलकना

उसका शरीर खूब गठीला हृष्ट–पुष्ट था, छाती चौड़ी और भरी हुई थी । आँखों से तेज़ झलक रहा था। (प्रेमाश्रम, पृ.16)

आँखें बदलना

ज़मीन्दार से आँखें बदलना खालाजी का घर नहीं है । (प्रेमाश्रम, पृ.19)

आँखें दिखलाना

जब तुम हमसे आँखें दिखलाओगे तो हम भी अपनी–सी करके रहेंगे । (प्रेमाश्रम, पृ.20)

आँखें चार होना

जाओ, कहो– सुनो, धिक्कारों, आँखें चार होने पर कुछ न–कुछ मुरौअत आ ही जाती है।(प्रेमाश्रम, पृ.97)

आँखें चुराना

गायत्री इन स्त्रियों से आँखें चुराया करती। (प्रेमाश्रम, पृ.345)

आँखों में बिठाना

आज तो जी चाहता है, तुम्हें आँखों में बिठा लूँ । (प्रतिज्ञा, पृ.20)

आँखों के इशारे पर चलना

मामी जी तो पूरे भीम थे। पक्की सवा सेर तो उनकी खुराक थी। मगर मामी की आँखों के इशारे पर चलते थे । (प्रतिज्ञा, पृ.101)

आँखों से गिर जाना

आप की अम्मां जी को जब मालूम होगा कि इसके माँ–बाप इसकी बात नहीं पूछते, मैं उनकी आँखों से गिर जाऊँगी । (रंगभूमि, पृ.46)

आँखों की पुतली बनाकर रखना

मैं इसे अपना सौभाग्य समझूँगी ? और अम्माँ जी तो तुम्हें आँखों की पुतली बनाकर रखेंगी। (रंगभूमि, पृ.46)

आँखों में खून उतरना

किन्तु जो पत्थर सोफ़ी के सिर में लगा, वही कई गुने आघात के साथ विनय के हृदय में लगा। उसकी आँखों में खून उतर आया, आपे से बाहर हो गया। (रंगभूमि, पृ.329)

सिर

सिर पर सवार होना

1. दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो। (निर्मला, पृ.54)
2. अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार थे। (निर्मला, पृ.111)
3. इनके लायक होने में शक नहीं, पर यह तो बुरा मालुम होता है कि जब देखो, रूपये के लिए सिर पर सवार । (कायाकल्प, पृ.23)
4. कभी ओला–पाला ; कभी सूखा–बूड़ा । एक–न–एक बला सिर पर सवार रहती है। (कर्मभूमि, पृ.129)
5. बचत तो ज़रूर होती और अच्छी होती ; लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाये। सब शैतान सिर पर सवार रहती है । (गोदान , पृ.48)
6. धन की लालसा सिर पर सवार है। (रंगभूमि, पृ.330)
7. मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों–का–त्यों सिर पर सवार है । (गोदान, पृ.22)
8. कल बाल–बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिन्ता प्राणों को सोखे लेती थी ; पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार आंकुस दिये जा रहा था। (गोदान, पृ.109)

सिर पर सनीचर सवार होना

उनके मरते ही मेरे सिर पर सनीचर सवार हुए । (निर्मला, पृ.127)

सिर पर भूत सवार होना

1. नोखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया । (गोदान, पृ.223)
2. उनका तो धरम भिरष्ट हो गया था, उन्हें तो क्रोध था ही, उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया ? (गोदान, पृ.248)

3. यों तो गऊ है, किन्तु आज न जाने उसके सिर कैसे भूत सवार हो गया । (प्रेमाश्रम, पृ.19)
4. यही जी चाहता है कि चाहे अपनी जान रहे या जाय, इस जबरे का सिर नीचा कर दूँ। सिर पर एक भूत सा सवार हो जाता है। (प्रेमाश्रम, पृ.63)
5. हा दुर्देव, वह मेरी मुक्ति का आज्ञा–पत्र तक लायी थी, उस वक्त मेरे सिर पर न जाने कौन–सा भूत सवार था । (रंगभूमि, पृ.323)

सिर पर शैतान सवार होना

गोबर के सिर पर शैतान सवार था। (गोदान, पृ.234)

सिर पर शामत सवार होना

अगर किफ़ायत से चलता, तो इन दोनों महाजनों के आधे–आधे रुपये ज़रूर अदा हो जाते ; मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। (गबन, पृ.98)

सिर के बाल पकना

उम्र तो अभी चालीस से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिये थे । (निर्मला, पृ.59)

सिर का बोझा उतारना

अब किसी भांति सिर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था–उसे कुएं में झोंकना था। (निर्मला, पृ.55)

सिर पर बोझ पड़ना

सारा गाँव यही कहता था कि होरी घर बरबाद कर देगा; लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैं ने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए । (गोदान , पृ.25)

सिर पर खून सवार होना

तुमने कुल्हाड़ा कन्धे पर रखा, महावीर का नाम लेकर उधर चले, तो तुम्हारी आँखों में चिनगारियाँ निकलने लगेंगी। सिर पर खून सवार हो जायेगा। (प्रेमाश्रम, पृ.206)

सिर पर विपत्ति लेना

वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर पर यह विपत्ति ले रही है। (निर्मला, पृ. 103)

सिर नीचा करना

1. प्रेम बड़ों–बड़ों का सिर नीचा कर देता है। (कायाकल्प , पृ.192)
2. सुमन तुमने हिंदू जाति का सिर नीचा कर दिया। (सेवासदन, पृ.63)
3. मनोहर अब इस विचार से अपने को शांति देने लगा, मैं बिगड़ जाऊँगा तो बला से, पर किसी की धौंस तो न सहूँगा, किसी के सामने सिर तो नीचा नहीं करता। (प्रेमाश्रम, पृ.16)
4. ढ़ाई रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेस देते हो। अभी परदा खोल दूँ, तो सिर नीचा हो गया। (गोदान, पृ.30)

सिर पर पहाड़ टूट पड़ना

अब महीना कैसे कटेगा ? उसके सिर पर एक पहाड़–सा टूट पड़ा । (सेवासदन, पृ.17)

सिर उठाना

1. इन्हें काम के बोझ से आज कल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। (गबन, पृ.88)

2. मैं इन बातों की परवाह नहीं करती, लेकिन यहाँ तो आप देखते हैं , सिर उठाने की भी फुरसत नहीं। (प्रेमाश्रम, पृ.179)

सिर पर पांव रखकर भागना

सहसा हवा का इतना तेज झोंका आया कि आग की लपटें नीची होकर इधर लपकी, जैसे समुद्र में ज्वार आ गया हो । लोग सिर पर पाँव रखकर भागे। (गोदान, पृ.242)

सिर फिर जाना

1. क्या करूँ, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। (गोदान, पृ.31)
2. छोकरी तो ऐसी न थी, पर लोंड़े के साथ उसका भी सिर फिर गया ।(कर्मभूमि, पृ.100)
3. झूठे अधिकार के गर्व से अपने सिर को नहीं फिराना चाहता । (रंगभूमि, पृ.179)

सिर पर मुसीबत की टोकरी पटकना

मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर यह मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे । (गबन, पृ.25)

सिर पर आना

उधर बदनामी हुई, इधर यह आफ़त सिर पर आयी। (गबन, पृ.25)

सिर झुकाना

1. काकाजी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो, तो लाइए देखूँ। उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। (गबन, पृ.177)

सिर पर लेना

1. अगर वह पूछे कि तुमने दो–तीन साल की सज़ा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गये, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गयी थी, तो उसका मेरे पास क्या जवाब है ?
2. अब ज़िन्दगी में कौन सा सुख है कि किसी का ठेंगा सिर पर लूँ ? (प्रेमाश्रम, पृ.183)

सिर चढ़ाना

1. चाचा ने उन्हें सिर चढ़ा दिया है। (प्रेमाश्रम, पृ.34)
2. अपनी घरवाली को सिर मत चढ़ाना । (प्रेमाश्रम, पृ.205)
3. औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। (प्रतिज्ञा, पृ.88)
4. हमी ने मर्दों की खुशामद करके उन्हें सिर चढ़ा दिया है। (प्रतिज्ञा, पृ. 102)

सिर पर उठा लेना

1. माया यह सुनकर और भी अधीर हो गया। रो–रोकर दुनिया सिर पर उठा लिया। (प्रेमाश्रम, पृ.80)
2. धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली । (गोदान, पृ.88)

सिर पर लादना

कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है, रोज़ डिग्रियाँ हो रही हैं । (गोदान , पृ.75)

सिर आँखों पर रखना

काम पूरा हो जाने पर हुजूर जो कुछ अपनी खुशी से अदा करेंगी वह सिर आँखों पर रखेंगी। (प्रेमाश्रम, पृ.138)

सिर हो जाना

महेन्द्र को हिसाब रखने की धुन है। जरा–सा फर्क पड़ा, तो उसके सिर हो जाते हैं। (रंगभूमि, पृ.98)

सिर पर तलवार लटकना

1. इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। (गोदान, पृ.251)
2. जब से उसने सुना था कि प्रेमशंकर घर आ रहे हैं, उसकी दशा उस अपराधी की–सी हो रही थी, जिसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही हो। (प्रेमाश्रम, पृ.118)

सिर पर होना

तुम विद्रोह करना चाहते हो और उसके कुफल का भार तुम्हारे सिर पर होगा। (रंगभूमि, पृ.329)

सर आँखों पर बिठाना

कोई उत्सव आता तो हृदय सरिता की भांति उमड़ आता था, कोई मेहमान आ जाता तो उसे सर–आँखों पर बैठाते। (प्रेमाश्रम, पृ.13)

विपत्ति सिर पर पड़ना

लखनपुर के लोग मुचलके के कारण बिगड़े हुए थे ही, यह नयी विपत्ति सिर पर पड़ी तो और भी झल्ला उठे। (प्रेमाश्रम, पृ.147)

बेसिर–पैर की बातें करना

1. तुम भी कभी–कभी बिलकुल बेसिर–पैर की बातें करने लगते हो । (निर्मला, पृ.132)
2. कभी–कभी तुम बेसिर–पैर की बातें करने लगती हो । (रंगभूमि, पृ.386)

मुँह

मुँह में कालिख लगाना

1. शरण दोगी तो रहूँगी, नहीं कहीं मुँह में कालिख लगाकर डूब मरूँगी। (सेवासदन, पृ.36)
2. इस अभागिन ने मेरे मुँह में कालिख लगा दी। (सेवासदन, पृ.132)
3. जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे, तो मेरे लिए अच्छा है कि मुँह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊँ। (गबन, पृ.79)
4. मैं मुँह में कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊँगी और फिर तुम्हें दिक करने न आऊँगी । (गबन, पृ.223)
5. 'पंचायत करके मुँह में कालिख लगा दूँगी, इतना समझ लेना।' (गोदान, पृ.224)
6. आज मैं तुझसे कह देती हूँ कि अगर इस तरह की बात फिर हुई और मुझे पता लगा, तो हम तीनों में से एक भी जीते न रहेंगे। बस अब मुँह में कालिख लगाकर जाओ। (गोदान, पृ.252)
7. मैके में वह बड़े आराम से रह सकती थी ; मगर वह दिग्विजयसिंह के मुख में कालिख लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी । (गोदान, पृ.269)
8. कल्याणी को भालचन्द्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुँह में कालिख लगाऊँ, सिर के बाल नोच लूँ, कहूँ कि तू अपनी बात से फिर गया। तू अपने बाप का बेटा नहीं। (निर्मला, पृ.54)

9. मैं मुँह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊँगा –– डूब मरूँगा। (निर्मला, पृ.162)
10. अब भी हमारा कहना मानो, हमारे कुल के मुँह में, कालिख न लगाओ। (कायाकल्प, पृ.211)

मुँह में कालिख लगना

1. तेरे कर्मों से तेरे मुँह में कालिख लगेगी, मुक्ति न होगी । (रंगभूमि, पृ. 36)
2. लड़का ऐसा नालायक न होता, तो आज मुँह में कालिख क्यों लगती। (रंगभूमि, पृ.480)
3. नेताओं के मुँह में कालिख–सी लगी हुई थी । (गोदान, पृ.97)
4. भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुँह में कालिख लगे तो हम क्या करेंगे। (गोदान, पृ.227)

मुँह में कालिख पोतना

1. मैं ने तो मन ठान लिया है कि लाला के मुँह में कालिख पोत दूँगी। (प्रतिज्ञा, पृ.122)
2. यहाँ तो घर–भर की लौंडी हूँ। सारी दुनिया मुँह में कालिख पोतने को तैयार। (निर्मला, पृ.92)

मुँह में दही जमना

1. अगर यह अपने माता–पिता से ज़ोर देकर कहते, तो कोई इनकी बात न टाल सकता; पर यह कुछ कहें भी ? इनके मुँह में तो दही जमा हुआ है। (गबन, पृ.31)
2. कुछ सुन रहे हो सपूत की बातें। बोलते क्यों नहीं ? या मुँह में दही जमा हुआ है । (प्रेमाश्रम, पृ.31)

3. सात–आठ दिनों तक दोनों के मुँह में दही जमा रहा। (रंगभूमि, पृ.195)
4. सबकी देखी गई। सबके मुँह में दही जमा हुआ है। (रंगभूमि, पृ.497)
5. और सोना के मुँह में दही जमा हुआ है। (गोदान, पृ.251)
6. मांगते क्यों नहीं ? क्या मुँह में दही जमाया हुआ है, या काम नहीं करते ? (कायाकल्प, पृ.13)

मुँह में मक्खियाँ आना जाना

1. लाला, हमार जस मानो कि आज रईसों की तरह चैन कर रहे हो, नहीं तो मुँह में मक्खियाँ आती जाती। (प्रेमाश्रम, पृ.31)
2. सुनती थी कि कादिर मियाँ के पास बड़ा धन है, पर इतने ही दिनों में यह हाल हो गया कि लड़के मज़दूरी न करें, तो मुँह में मक्खी आये–जाये। (प्रेमाश्रम, पृ.297)
3. भाग को सराहो कि सहर में हो, किसी गाँव में होते, तो मुँह में मक्खियाँ आतीं–जातीं। (रंगभूमि, पृ.23)

मुँह नन्हा सा होना

1. गुरुसेवक का मुँह नन्हा सा हो गया, और राजासाहब तो मानो रो दिये। (कायाकल्प, पृ.172)
2. राजासाहब इस व्यंग्य से दिल में एंठकर रह गये। नन्हा सा मुँह निकल आया। (रंगभूमि, पृ.197)
3. उनका सारा वाक्चातुर्य गायब हो गया। नन्हा–सा मुँह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। (निर्मला, पृ.131)

मुँह खोले रहना

1. यहाँ सैकड़ों आदमी मुँह खोले हुए हैं। उस वक्त जो बात थी, वह अब नहीं। (कायाकल्प, पृ.95)

2. आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी, फिर भी वह सात सौ रुपये की चीज़ों के लिए मुँह खोले बैठी थी। (गबन, पृ.64)

मुँह फैलाये रहना

1. कल एक पूरा ताव बिगड़ गया, दारोगाजी तो बहुत मुँह फैला रहे हैं। (प्रेमाश्रम, पृ.97)
2. औरों के साथ वह चाहे जितना मुँह फैलायें, यहाँ उनकी दाल न गलने पायेगी। (प्रेमाश्रम, पृ.138)
3. कहाँ तक बाप–दादों के नाम को रोऊँ। साहब उसे लेने को मुँह फैलाये हुए हैं। (रंगभूमि, पृ.65)
4. झूठ मत बोलो पण्डित, मैं दो आदमियों को फांस–फूंसकर लाया; मगर तुम मुँह फैलाने लगे, तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। (गोदान, पृ.206)
5. एक हज़ार तो आपका अनुमान है, शायद वह मुँह फैलाए । (निर्मला, पृ. 58)

मुँह फुला लेना

1. यदि बाज़ार से दोनों बहनों के लिए एक ही प्रकार की साड़ियाँ आतीं तो सुमन मुँह फुला लेती थी। (सेवासदन, पृ.6)
2. मैं झूठ क्यों बोलने लगा। मैं कह दूँगा, वह मुँह फुलाये बैठे थे । (निर्मला, पृ.104)

मुँह काला करना

जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं ने अपराध किया है और उसका कठोर–से–कठोर दंड मुझे दिया जाय। मेरा मुँह काला करके मुझे सारे कस्बे में घुमाया जाय।(सेवासदन, पृ.12)

मुँह लगना

रमणी ने उसे समझाया कि यह छोटे आदमी जिससे चार पैसे पाते हैं उसी की गुलामी करते हैं। इनके मुँह लगना अच्छा नहीं । (सेवासदन, पृ.27)

मुँह ताकना

1. दूसरों का मुँह ताकना शर्म की बात है। (कर्मभूमि, पृ.21)
2. अपने ही लिए दूसरों का मुँह ताकता हूँ। (गबन, पृ.144)
3. बड़े–बड़े अफसर उसका मुँह ताका करते हैं। (गबन, पृ.214)

मुँह न जोहना

वह अपने मन की करेंगे, मेरे आराम–तकलीफ़ की बिल्कुल परवाह न करेंगे, तो मैं भी उनका मुँह न जोहूँगी। (कर्मभूमि, पृ.25)

मुँह सी लेना

1. ' तो दादा झूठ कहते थे ? ' ' इसका तो यह अर्थ है कि मैं अपना मुँह सी लूँ।' (कर्मभूमि, पृ.31)
2. महरी का मुँह पहले ही सी दिया गया था। (गबन, पृ.176)

मुँह पर तारकोल पोत लेना

इक्का आगे न जा सकता था। मालूम पड़ता था, अंधेरे ने मुँह पर तारकोल पोत लिया है।(कर्मभूमि, पृ.37)

मुँह की लाली रखना

1. वह पछता रहा था कि मैं ने क्यों जालपा से डींग मारी । अब अपने मुँह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। (गबन, पृ.23)
2. हमने तुम्हारा मरजाद बना दिया, तुम्हारे मुँह की लाली रख ली। (गोदान, पृ.245)

मुँह न मोड़ना

1. कभी कर्तव्य से मुँह न मोड़े । (कर्मभूमि, पृ.66)
2. हमारा धर्म है कि अगर सच कहने के लिए जेहल भी जाना पड़े तो सच से मुँह न मोड़े। (प्रेमाश्रम, पृ.99)
3. चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुँह न मोड़ सके । (कायाकल्प, पृ.12)

मुँह मोड़ना

जब मुझे विदित हुआ कि उसने सत्य से मुँह मोड़ लिया, मैंने भी उससे मुँह मोड़ लिया।(रंगभूमि, पृ.338)

मुँह पर हवाइयाँ उड़ना

1. जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान से याद कर रहा था । उसके मुँह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। (निर्मला, पृ.173)
2. ज्ञानशंकर के मुँह पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। (प्रेमाश्रम, पृ.417)

मुँह के बल पर गिर पड़ना

1. निर्मला – लीजिए, निकाल तो रही हूँ , अब क्या मुँह के बल गिर पड़ूँ? (निर्मला, पृ.146)
2. खन्ना मुँह के बल गिर पड़े , मालती को मेहताजी दोनों हाथों से पकड़े हुए थे, नहीं ज़रूर कुचल गई होतीं ? (गोदान, पृ.242)

मुँह दिखाना

1. तुमने आज हमारी लाज रख ली। अगर यहाँ कुरबानी हो जाती, तो हम मुँह दिखाने लायक न होते । (कायाकल्प, पृ.36)
2. सहसा उसे जान पड़ा कि अब मैं किसी को मुँह दिखाने के योग्य नहीं रही। (प्रेमाश्रम, पृ.82)

3. घरवाली की कमाई खाकर किसी को मुँह दिखाने लायक भी न रहूँगा। (रंगभूमि, पृ.8)
4. बदनामी से इतना ड़रता था, पर घर पर ही में मुँह दिखाने लायक न रहा। (रंगभूमि, पृ.197)
5. यहाँ कीर्ति, नाम, सम्मान को कौन रोये, मुँह दिखाने के लाले पड़े हुए हैं। (रंगभूमि, पृ.506)
6. अगर मिस मालती की फरमार न पूरी हुई, तो हमारे लिए कहीं मुँह दिखाने की जगह न रहेगी। (गोदान, पृ.54)

मुँह अंधेरे

1. रमा मुँह–अंधेरे अपने बंगले जा पहुँचा। (गबन, पृ.224)
2. आज छोटे साहब को देखा, मुँह–अंधेरे घोड़े पर सवार हो गये । (प्रेमाश्रम, पृ.9)
3. दूसरे दिन मुँह अंधेरे भैरों कोतवाली में इत्तला दी। (रंगभूमि, पृ.261)

मुँह पर बुरा–भला कहना

मुझे जानते हो कि नहीं ? यहाँ जेहल से नहीं डरते । जो कुछ कहना हो मुँह पर बुरा–भला कहो । (प्रेमाश्रम, पृ.224)

मुँह फेर लेना

1. बदरीप्रसाद ने दाननाथ की ओर से मुँह फेर लिया। (प्रतिज्ञा, पृ.9)

मुँह का खाना

चाल से विलियम को उल्लू बनाना चाहता था। ऐसी मुँह की खायी कि याद ही करेगा। (रंगभूमि, पृ.234)

मुँह लगना

अब तुम्हारे मुँह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। (गोदान, प.18)

मुँह में ताला पड़ना

होरी के मुँह में ताला पड़ा हुआ था। (गोदान, पृ.30)

मुँह में उँगली डालना

खतरे से नहीं डरता ; लेकिन खतरे के मुँह में उंगली डालना हिमाक़त है। (गोदान , पृ.79)

मुँह पर कुछ न कहना

दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद न करें, पर वह स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुँह पर कुछ न कह सकता था। (गोदान, पृ.80)

मुँह मीठे होना

यहाँ तो बाँट–बखरा होनेवाला था, सभी के मुँह मीठे होते । (गोदान, पृ.97)

मुँह चाटना

आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुँह चाटने लगते हैं। (गोदान, पृ.110)

मुँह चुराना

1. गाँव के छोटे–बड़े महाजनों से तो मुँह चुराना पड़ता था।(गोदान, पृ.125)
2. आप विवाह से मुँह चुरानेवाले मर्दों को कायर कह चुके हैं।(गोदान,पृ. 139)

मुँह तोड़ जवाब देना

उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, तो मोटे से मोटे कपड़े पहन लेते हैं और कोई कुछ आलोचना करें, तो उसका मुँह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। (गोदान, पृ.144)

मुँह ढांपना

इसी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुँह ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। (निर्मला, पृ.26)

अपना सा मुँह लेकर रहना

1. वह रमा से केवल खिंची ही न रहती थी, वह कभी कुछ पूछता तो दो–चार जली–कटी, सुना देतीं। बेचारा अपना–सा मुँह लेकर रह जाता। (गबन, पृ.31)
2. आज संकोच में पड़कर कैसी 'बाजी हाथ से खोयी वहाँ से चुपचाप अपना–सा मुँह लिये लौट आया।' (गबन, पृ.97)
3. फैजू समझ गये कि इस धांधली से काम न चलेगा। कहीं इसने अदालत के सामने जाकर सब रुपये गिन दिये तो अपना–सा मुँह लेकर रह जाना पड़ेगा। (प्रेमाश्रम, पृ.250)
4. दिन–भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना–सा मुँह लेकर रह गए। (निर्मला, पृ.86)
5. बेचारा मुंशी जी अपना–सा मुँह लेकर रह गए। (निर्मला, पृ.81)

सीधे मुँह बात न करना

बुढ़िया तो पूरी करकसा है, सीधे मुँह बात ही नहीं करती। (रंगभूमि, पृ.16)

मुख पीला पड़ना

कृष्णचंद्र उन्हें देखते ही घबराकर उठे कि एक थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारण्ट दिखाया। कृष्णचंद्र का मुख पीला पड़ गया। ( सेवासदन, पृ.11)

मुख का रंग उड़ना

1. सदन के मुख का रंग उड़ गया और कलेजा कांपने लगा। (सेवासदन, पृ.85)
2. होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। (गोदान, पृ.95)

मुख से जली–कटी बातें निकलना

दिन भर उसके मुख से जली–कटी बातें ही निकला करती थीं। उसके शब्दों की कोमलता न जाने क्या हो गई। (निर्मला, पृ.198)

टांग

टांग की राह निकल जाना

अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूँद पानी निकाल दे, तो उसकी टांग की राह निकल जाऊँ। (रंगभूमि, पृ.23)

जीभ

जीभ की खुज़ली मिटा लेना

मिलवाले आकर काट ले जायेंगे, तू क्या करेगी, और मैं क्या करूँगा ? गालियाँ देकर अपनी जीभ की खुज़ली चाहे मिटा ले। ' (गोदान, पृ.225)

कलेजा

कलेजा सन्न हो जाना

उसका कलेजा सन्न हो गया। वे आ गई, अब क्या होगा? (निर्मला, पृ.107)

कलेजा पत्थर का होना

बहिन, तुम्हारा कलेजा पत्थर का है। उनकी दशा देखकर तरस आता है। (निर्मला, पृ.149)

कलेजे पर साँप–सा लोटना

चक्रधर ने निश्चय कर लिया था कि राजा साहब के आदमियों को उनके हाल पर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ की खबरें सुन–सुनकर उनके कलेजे पर साँप–सा लोटता रहा था। (कायाकल्प, पृ.114)

कलेजा ठंडा करना

अमरकान्त ने इक्के को लौटाने के लिए कहा, तो बुढ़िया बोली–नहीं मेरे लाल, इत्ती दूर आये हो, तो पल–भर मेरे घर भी बैठ लो, तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। (कर्मभूमि, पृ.37)

कलेजे पर तीर चलाना

जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था। ताकती थी तो मानों कलेजे पर तीर चला देती थी। (गबन, पृ.145)

कलेजे पर छुरी चलाना

रोज़–रोज़ कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचेगी। (गोदान पृ.42)

प्राण

प्राण सूख जाना

1. डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। (निर्मला, पृ.201)
2. चक्रधर के प्राण सूख गये। (कायाकल्प, पृ.15)
3. अगर रतन ने साफ़ जवाब दे दिया, तो फिर सर्वनाश। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। (गबन, पृ.101)
4. क्रोध के आवेश में वह आग में कूद सकता था, किन्तु इस पैशाचिक हत्याकाण्ड से उसके प्राण सूखे जाते थे। (प्रेमाश्रम, पृ.205)
5. रायसाहब के प्राण सूखे जा रहे थे। (गोदान, पृ.268)

प्राणों को मुट्ठी में लेना

कौन जाने, नाव पार पहुँच ही जाए, यही सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। (निर्मला, पृ.29)

प्राण नखों में समा जाना

हम लोगों के प्राण तो नखों में समा गए थे, रात–दिन देवी–देवता मनाया करती थीं, वहाँ पान चबाने, आईना देखने और मांग–चोटी करने के सिवा दूसरा कोई काम ही न था। (कायाकल्प, पृ.81)

प्राणों को हथेली पर लेना

चाहते तो अच्छी नौकरी करके आराम से रहते , पर दूसरों के उपकार के लिए प्राणों को हथेली पर लिये रहते हैं। (कायाकल्प, पृ.197)

प्राणों को न्योछावर करना

1. जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्योछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। (गबन, पृ.28)
2. नायकराम अभी तक चलने–फिरने में कमज़ोर था, पहाड़ों की चढ़ाई में थककर बैठ जाता, भोजन की मात्रा भी बहुत कम हो गई थी, दुर्बल

इतना हो गया था कि पहचानना कठिन था, किन्तु विनयसिंह पर प्राणों को न्योछावर करने को तैयार रहता था। (रंगभूमि, पृ.335)

## 1.3 रंग

' रंग ' शब्द से युक्त मुहावरे

' रंग बदलना '

तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो । (निर्मला, पृ.46)

रंग फीका करना

मेरी तो अब गाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। आपने हम सबों का रंग फीका कर दिया। (कायाकल्प, पृ.20)

रंग जमना

रमा चक्कर में आ गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही न मिला। पुलिस का रंग जमता गया। (गबन, पृ.243)

रंग चढ़ाना

मैं भी इस पर खूब रंग चढ़ाता रहता हूँ। (प्रेमाश्रम, पृ.32)

रंग जमाना

दो–चार मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। (गोदान, पृ.19)

रंगे हुए सियार बनना

मैं इन पंडितजी को कितना भला आदमी समझती थी। पर अब मालूम हुआ कि यह भी रंगे हुए सियार हैं। (सेवासदन, पृ.39)

रंग फीका न पड़ना

कदाचित् यह शंका हुई हो कि कहीं इसके सामने मेरा रंग फीका न पड़ जाय। (रंगभूमि, पृ.97)

रंग भरना

मैं ने राजा साहब को स्वपक्षी बना लिया, फिर रंग भरने का दोष कहाँ रहा ? (रंगभूमि, पृ.122)

## 1.4 वभिन्न प्रकार के मुहावरे (प्रकीर्ण)

1. इधर महीनों से बाबू उदयभानु लाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है । (निर्मला, पृ.25)
2. हाँ, बारात में तो लोग जाएं, उनका आदर–सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग–हंसाई न हो । (निर्मला , पृ.25)
3. एक बार इनका घमंड तोड ही दूँ , जरा वैधव्य का मजा चखा दूँ न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यों कोसने लगती हैं । (निर्मला, पृ.35)
4. जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। (निर्मला, पृ.35)
5. जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी, अब उनकी सूरत से चिढ़ती । इन्ही के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी (निर्मला,पृ.38)
6. इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया–धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियाँ करनी पड़ेंगी, जिसकी कोई आशा नहीं । (निर्मला , पृ.39)
7. यह अपना रोब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं । (निर्मला पृ.50)

8. तुम समझते हो कि दस रुपये देकर उसे उल्लू बना लूँगा । (निर्मला , पृ.54)
9. निर्मला उसकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी । (निर्मला, पृ.62)
10. मैं आज ही उनकी खबर लूँगा । (निर्मला ,पृ.62)
11. उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्मस्थल पर मेरा सिक्का जम जायगा लेकिन उनकी यह आशा लेशमात्र भी पूरी न हुई । (निर्मला , पृ.66)
12. पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़तीं । (निर्मला , पृ.67)
13. न जाने ऐसा क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है । (निर्मला, पृ.68)
14. गजले याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी । (निर्मला, पृ.69)
15. हम तीनों सौ पर भारी हैं , गाँव–के–गाँव ढ़ोल बजाकर लूटते हैं , पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया । (निर्मला, पृ.70)
16. वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही पर निर्मला ने चूँ तक न की । (निर्मला , पृ.86)
17. कर्तव्य की वेदी पर अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएँ होम कर दी थीं । (निर्मला, पृ.97)
18. उस दिन, रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे, उसी दिन उनकी त्योरियाँ बदली हुई थीं । (निर्मला , पृ.103)
19. निर्मला की याद आते ही उसके रोएँ खड़े हो गए । (निर्मला, पृ.103)
20. कितने दिनों में काम तमाम हो जायगा डॉक्टर साहब ? (निर्मला, पृ. 105)
21. आमदनी का यह हाल ! ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएँगे । (निर्मला, पृ.149)
22. मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है । (निर्मला, पृ.161)

23. मुंशी जी ने डाँटकर जियाराम को चुप कराना चाहा; पर जियाराम निःशंक खड़ा ईंटों का जवाब पत्थर से देता रहा । (निर्मला, पृ.166)
24. अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा, तो जहर का घूँट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती । (निर्मला, पृ.205)
25. निर्मला ने चारपाई पकड़ ली । (निर्मला, पृ.207)
26. तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है । (निर्मला, पृ.208)
27. उस दिन से पिता और पुत्र में आये दिन बमचख मचती रहती थी। (कायाकल्प, पृ.10)
28. अब साफ–साफ जवाब देने की जरूरत पड़ी, तो बगलें झांकने लगे। (कायाकल्प, पृ.13)
29. मैं कहे देता हूँ, विवाह न करूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। (कायाकल्प, पृ.15)
30. वह इतने खुश थे, मानों हवा में उड़े जा रहे हैं । (कायाकल्प, पृ.48)
31. दो दिन , दस दिन रूठी पड़ी रहने दो, फिर देखो, भीगी बिल्ली हो जाती है या नहीं । (कायाकल्प, पृ.80)
32. गरीबों को सताकर अपना घर भर लिया, तो कौन–सा बड़ा तीर मार लिया। (कायाकल्प, पृ.108)
33. जिसका बाप मेरी खुशामद की रोटियाँ खाता है । जिसे मित्र समझता था, वही आस्तीन का सांप निकला । (कायाकल्प, पृ.114)
34. केवल वही लोग रह गए, जो मोरचे पर खड़े थे और जिन के लिए भागना मौत के मुंह में जाना था, मगर उन सबों के हाथों में मार्टिन और माँजर के यन्त्र थे । (कायकल्प ,पृ.120)
35. हमें अपने एक सौ भाइयों के खून का बदला लेना है । (कायाकल्प,पृ. 121)

36. जिम ने ठोकर चलायी ही थी कि राजा–साहब ने उसकी कमर पकड़कर इतने जोर से पटका कि वह चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ा । (कायाकल्प, पृ.166)

37. इसमें बात ही क्या थी । मेरी सारी दौड़धूप मिट्टी में मिल गई । (कायाकल्प, पृ.168)

38. मिस्टर जिम तो ऐसा जामे से बाहर हुए कि बस चलता, तो गुरुसेवक को गोली मार देते । (कायाकल्प,पृ.176)

39. मनोरमा किसी से दबनेवाली है ही नहीं । सुनती हूँ राजा साहब बिलकुल उनकी मुट्टी में हैं । (कायाकल्प, पृ.183)

40. राजा साहब तो काठ के पुतले बने हुए हैं । (कायाकल्प, पृ.183)

41. मुंशी वज्रधर बहुत चीखे–चिल्लाए, लेकिन कौन सुनता है? हाँ, मनोरमा के सामने मैदान साफ था । (कायाकल्प, पृ.199)

42. एक दिन वह था कि दोनों आदमियों में दांत–काटी रोटी थी । (कायाकल्प, पृ. 208)

43 वागीश्वरी तो यह विलाप कर रही थी, बाहर अग्नि को शान्त करने का यत्न किया जा रहा था, लेकिन पानी के छींटे उस पर तेल का काम करते थे । (कायाकल्प,पृ.208)

44. रानी जी, आप जले पर नमक छिड़क रही हैं। इतना तो नहीं होता कि चलकर समझा दें, ऊपर से और ताने देती हैं । (कायाकल्प, पृ.229)

45. चक्रधर का सारा क्रोध हवा हो गया । (कायाकल्प,पृ.257)

46. चक्रधर पर घडों पानी पड़ गया । मुंह से बात न निकली । (कायाकल्प, पृ. 257)

47. थोड़े दिनों में रियासत जेरबार हो जाएगी और एक दिन बेचारे लल्लू को ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे । (कायाकल्प, पृ.267)

48. रियासत का सियाह–सुफेद सब कुछ इसी के हाथों में था ; यहाँ तक कि उसके प्रेम प्रवाह में राजा साहब की संतान लालसा भी विलीन हो

गई थी । वही मनोरमा अब दूध की मक्खी बनी हुई थी । (कायाकल्प,पृ347)

49. दारोगाजी इन बातों को हंसी मे उड़ा देते, कहते जैसे और सब काम चलते हैं वैसे ही वह काम भी हो जायगा । (सेवासदन,पृ.6)

50. यह दल जिस गाँव में जा पहुँचता था उसकी शामत आ जाती थी । (सेवासदन ,पृ.8)

51. लेखिन महंत जी की उस इलाके में ऐसी धाक जमी हुई थी कि दारोगा जी को कोई जगह गवाह न मिल सकी । (सेवासदन, पृ. 8)

52. यदि कहीं बात खुल गयी तो जेलखाने के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं, सारी नेकनामी धूल में मिल जायगी । (सेवासदन, पृ. 9)

53. इन शब्दों ने गजाधर के घाव पर नमक छिड़क दिया । (सेवासदन,पृ.24)

54. अभी कल एक वेश्या के साथ बैठे फूले न समाते थे, उनके पैरों तले आंख बिछाते थे ,तब इज्जत न जाती थी । आज तुम्हारी इज्जत में बट्टा लगा जाता है । (सेवासदन,पृ.39)

55. उसे अब मालूम हुआ कि मैं ने अपने घर से निकलकर बड़ी भूल की । मैं सुभद्रा के बल पर कूद रही थी । (सेवासदन,पृ.39)

56. अगर धोखा ही दे दिया तो आप का कौन छप्पन टका खर्च हुआ जाता है । (सेवासदन,पृ 68)

57. कितने खेद की बात है कि आप एक जातीय कार्य के लिये इतने मीन मेष निकाल रहे हैं । (सेवासदन,पृ.68)

58. जरा सी बात के लिए आज इतनी हाय–हाय मचा रहे हैं। (सेवासदन, पृ.93)

59. जान्हवी पर उनके उपदेश का कुछ असर न होता था, उसके सामने वह उसकी हाँ–में–हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते थे । (सेवासदन,पृ.114)

60. जब रात को उनकी नींद खुली तो उन्हें अपनी भूल दिखायी दी, पर तीर कमान से निकल चुका था । (सेवासदन,पृ.128)

61. उसने इन लोगों की ऐसी कलई खोलीं कि मेरे होश उड़ गये । (सेवासदन, पृ.131)

62. ईश्वर की यही इच्छा थी, पर अब गड़े हुए मुरदे को उखाड़ने से क्या लाभ होगा । (सेवासदन , पृ.132)

63. इस वक्त की जग–हंसाई अच्छी है। कुल में सदा के लिए कलंक तो न लगेगा । (सेवासदन, पृ.133)

64. मदनसिंह की इस समय वही दशा थी जब क्रोध में मनुष्य अपना ही मांस काटने लगता है । (सेवासदन,पृ.134)

65. आप ही अभी वेश्याओं का उद्धार करने के लिए कैसी लंबी–चौड़ी बातें करते थे, लेकिन जब काम करने का समय आया तो कन्नी काट गये । (सेवासदन,पृ.215)

66. भूल–चूक तो बड़े–बडों से हो जाती है, वह बेचारा तो अभी नादान लड़का है । तुम उस की ओर से मन न मोटा करना । (सेवासदन, पृ. 218)

67. अबकी पाऊं तो ऐसी कनेठी दूँ कि छठी का दूध याद आ जायगा । (सेवासदन, पृ. 228.)

68. अब वह समझता था कि पढ़ना उन लोगों का काम है, जिन्हें कोई काम नहीं है, जो सारे दिन पड़े–पड़े मक्खियां मारा करते हैं । (सेवासदन, पृ. 229)

69. यह हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं । (कर्मभूमि, पृ.9 )

70. आज लालाजी की बातें सुनकर मेरा रक्त खौल रहा था । (कर्मभूमि, पृ. 20)

71. रेणुका को विवश होकर धर्म का स्वांग भरना पड़ता था; किन्तु जीवन बिना किसी आधार के तो नहीं रह सकता । (कर्मभूमि, पृ.23)

72. तुमने मुझे कुएं में ढकेल दिया और क्या कहूँ । (कर्मभूमि,पृ.24)

73. लाला समरकांत ऐसे समाज के शत्रुओं से व्यवहार रखते हैं , यह खयाल करके उसके रोएं खड़े हो गये । (कर्मभूमि, पृ.34)

74. मर जाऊंगी, तो मिट्टी तो ठिकाने लगा देंगे । (कर्मभूमि,वृ.36)

75. तुम्हारे पठान के मरते ही घर में जैसे झाड़ू फिर गयी । (कर्मभूमि, पृ.38)

76. इस वज्र–मूर्खता की दवा, चांटे के सिवा और कुछ न थी। लाला जी खून का घूँट पीकर रह गये (कर्मभूमि ,पृ.41)

77. जो दांव–घात समझता है, वह नफा उड़ाता है, जो नहीं समझता, उसका दिवाला पिट जता है। (कर्मभूमि, पृ.42 )

78. बड़ी–बड़ी दुकानें ही तो गाहकों को उलटे छुरे से मुंडती है । (कर्मभूमि, पृ.49)

79. समाज उसकी ज़िन्दगी को तबाह करने का कोई हक नहीं रखता। ( कर्मभूमि, पृ.84)

80. किसी से कुछ काम–धन्धे के लिए कहा, या खुदा छप्पर फाड़कर देगा? (कर्मभूमि,पृ.103)

81. तुमने मुझे कभी अपने घर को घर न समझने दिया । तुम मुझे चक्की का बैल बनाना चाहते हो । (कर्मभूमि, पृ.117)

82. फिर क्यों न औरतों का मिज़ाज़ आसमान पर चढ़ जाय । मेरा खून तो इस ख्याल से उबल आता है । (कर्मभूमि , पृ .116)

83. एक बात पर दादा से कहा–सुनी हो गयी । (कर्मभूमि, पृ.126)

84. लाला समरकांत की जिंदगी के सारे मंसूबे धूल में मिल गये । (कर्मभूमि, पृ161)

85. इंगलेंड की ठंडी हवा में इस युवक का दो साल रहना खतरे से खाली नहीं । (कर्मभूमि, पृ.196)

86. वह अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, तो एक दिन में तबाह कर सकती है । और वह तुम्हे तबाह करके छोड़ेगी । मेरी बात गिरह बांध लों । (कर्मभूमि, पृ.210)

87. बहू से साफ़–साफ़ कह दो, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है, और पर्दा रह ही कै दिन सकता है । (गबन, पृ.21)

88. माता–पिता की आंखे बचाकर वह ज़ीने पर जाना चाहता था, कि जागेश्वरी ने टोका–इन्हीं के तो सब कांटे बोये हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते ? (गबन, पृ.21)

89. रामनाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जीट उड़ायी थी । खूब बढ़–चढ़कर बातें की थीं । (गबन,पृ.22)

90. आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही किया था कुछ और ? (गबन, पृ.22)

91. बाद को जब मुलम्मा उड़ जायगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा । (गबन, पृ.23)

92. ज़रा देर के लिए उसे दुःख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ़ हो जायेगा । (गबन,पृ.23)

93. उस समय उसे इसकी ज़रा भी शंका न थी, कि एक दिन सारा भंडा फूट जायगा । (गबन,पृ.24)

94. अगर उसने ये डींगें न मारी होतीं, तो जागेश्वारी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिन्त हो जाता ; लेकिन इस वक़्त वह अपने ही बनाये हुए जाल में फंस गया था । (गबन,पृ.24)

95. विवाह में पांच हज़ार से कम का चढ़ाव नहीं गया था ; मगर पांच ही साल में सब स्वाहा हो गया । (गबन,पृ.24)

96. जालपा की नज़रों से गिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी । (गबन, पृ.27)

97. वह रमा से केवल खिंची ही न रहती थी, वह कभी कुछ पूछता तो दो चार जली–कटी सुना देती । गरीब अपना ही लगायी हुई आग में जला जाता था अगर वह जानता कि उन डींगों का यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा देता । (गबन,पृ.31)

98. कहाँ सुबह से शाम तक हंसी–क़हक़हे , सैर–सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था । (गबन,पृ.31)

99. एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा–मारा फिरता रहा । (गबन, पृ.32)

100. सूखी क़लम घिसनेवाले दफ़्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जल–पान की इच्छा होती, तो रमा के पास चले आते, उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे । (गबन,पृ.45)

101. रमानाथ की तूती बोलने लगी। (गबन,पृ.46)

102. जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती, तो भगत बन गये। (गबन,पृ.53)

103. इन्हें तो बस घर में कानून बघारना आता है और किसी के सामने बात तक तो मुंह से निकलती नहीं । (गबन,पृ.53)

104. उसकी दुकान पर नित्य गाहकों का मेला लगा रहता था । (गबन,पृ.55)

105. अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गये थे। फिर वह क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती । (गबन,पृ.67)

106. आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोंककर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया । (गबन, पृ.68)

107. उसके आने से मुहल्ले के नारी–जीवन में जान–सी पड़ गयी । (गबन,पृ. 67)

108. सभी सुनार देर करते हैं मगर ऐसा नहीं, रुपये डकार जांय और चीज़ के लिए महीनों दौड़ायें । (गबन,पृ.82)

109. अपने मिलनेवालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी । (गबन,पृ. 83)

110. उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी–चुपड़ी बातें करके राज़ी कर लूँगा । (गबन,पृ.87)

111. मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता । (गबन,पृ.88)

112. क्यों, इस वक्त अपने सेठजी से चार–पाँच सौ रुपयों का बंदोबस्त न करा दोगे ? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूँगा । (गबन,पृ.98)

113. मुझे एक–एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था । (गबन,पृ.98)

114. वह उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है । (गबन,पृ.103)

115. जब रतन चली गयी–मोटर चल दिया, तब उसकी जान में जान आयी। (गबन, पृ.140)

116. देवीदीन के दस प्रश्न ने मानों उस पर छापा मार दिया । (गबन,पृ.145)

117. गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे; पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे । (गबन,पृ.151)

118. उसका दिया खाता हूँ, तो उसका हुकुम भी तो बजाना पड़ेगा । (गबन, पृ.155)

119. रतन को ज़रा भी खबर न थी, किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है । (गबन,पृ.155)

120. तुम कुल एक हफ़्ते बाहर रही ; मुझे एक–एक पल पहाड़ हो गया । (गबन,पृ.181)

121. मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न खयाल करे ; लेकिन रतन सुनते ही बाग–बाग हो गयी । (गबन,पृ181)

122. रमा सड़क पर आया, तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा । (गबन,पृ.185)

123. जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उनके प्रयास का कोई फल नहीं है , उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है, इस अनन्त मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की–सी है जो मुट्ठी भर अन्न के लिए द्वार–द्वार फिरता हो । (गबन,पृ.210)

124. रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेर खड्ड में न गिरने देगी । (गबन,पृ.211)

125. आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी, तो मानों उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गयी । (गबन, पृ.212)

126. अगर उन्होंने खुद अपना बयान बदला , तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूँगी । (गबन,पृ.213)

127. अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूँ , तो आटे–दाल का भाव मालूम हो । (गबन,पृ.217)

128. फिर उसकी कीर्ति–लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाये । (गबन,पृ.221)

129. शतरंजवाली बात को वह खूब नमक–मिर्च लगाकर बयान कर सकता था ; लेकिन वहाँ भी जालपा ही ने नीचा दिखाया । (गबन,पृ.221)

130. मुझमें अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है । न मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ ।( गबन, पृ.223)

131. आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं । (गबन,पृ.225)

132. मैं थोडे से फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता । (गबन, पृ.225)

133. उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई , मानों सैकडों कोस की मंजिल मारकर आयी हो । उसका सारा सत्साहस बर्फ के समान पिघल गया ।( गबन,पृ.236)

134. कई बार उन्माद–सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूँ सारी कलई खोल दूँ , सारे हवाई किले ढा दूँ ; पर यह सभी उमंग शान्त हो गये ।
(गबन,पृ.237)

135. अगर अपनी कुसल चाहते हो, तो इन्ही पैरों जहाँ से आये हो वहीं लौट जाओं, उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे । (गबन,पृ. 240)

136. वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता । (गबन, पृ.242)

137. संभव था, वह अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, दो चार साल की सज़ा के लिए अपने को तैयार कर लेता । (गबन, पृ.248)

138. पुलिस ने एड़ी–चोटी का जोर लगाया कि मुलाजिमों में कोई मुखबिर बन जाये, पर उसका उद्योग सफल न हुआ ।( गबन,पृ.272)

139. यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे, वे भी शहादत देने का अवसर आया तो साफ़ निकल गये ।( गबन,पृ.275)

140. यह जाकर क्या करेंगे ,बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले ही मर जाती है। (गबन, पृ.281)

141. अगर यह न होते तो इस देशवाले हाकिम हम लोगों को पीस कर पी जाते । (प्रेमाश्रम,पृ.9)

142. स्त्रियों में तू–तू , मैं–मैं होती थी, किन्तु भाइयों पर इसका असर न पड़ता था । (प्रेमाश्राम,पृ.13)

143. न चचा का प्रबन्ध भतीजे को पसन्द था, न भतीजे का चचा को । आये दिन शाब्दिक संग्राम होते रहते ।(प्रेमाश्रम,पृ.14)

144. बेचारे दुर्जन को बात–की–बात में मटियामेट कर दिया, तो फिर मुझे बिगड़ते क्या देर लगती है । (प्रेमाश्रम,पृ.15)

145. काहे दादा, आज गिरधर महाराज तुमसे क्यों बिगड रहे थे ? लोग कहते हैं कि बहुत लाल–पीले हो रहे थे ? (प्रेमाश्रम,पृ.16)

146. पांसा पलट गया , उन्होंने जमींदार को हिरासत में लिया था, अब खुद हिरासत में आ गये । (प्रेमाश्रम, पृ.28)

147. वह बुद्धि जो हवामें किले बनाती रहती थी, अब इस गुत्थी को भी न सुलझा सकती थी। (प्रेमाश्रम, पृ28)

148. तुम्हें, यह बहुत त्यारे हैं, तो जाकर इनकी जूतियाँ सीधी करो । (प्रेमाश्रम,पृ .31)

149. इसके बाद डपटसिंह पत्थर और बेलन के कोल्हुओं के गुण–दोष की विवेचना करने लगा । अन्त में लोहे ने पत्थर पर विजय पायी । (प्रोमाश्रम,पृ.55)

150. इस गाँव की कुछ हवा ही बिगडी हुई है । (प्रेमाश्रम, पृ. 60)

151. मैं ऐसे आदमी को पशु से भी गया गुजरा समझता हूँ जो आप तो लाखों उड़ाये और अपने निकटतम संबंधियों की बात भी न पूछे । (प्रेमाश्रम, पृ. 70)

152. हाकिमों के बीच में बोलना जान जोखिम है । जरा–सी सुई का पहाड़ हो गया । (प्रेमाश्रम, पृ. 97)

153. सौ रुपये पेश करो तो तुम्हारा मुचलका रद्ध करा दूँ । यह चाल चल गयी तो पौ बारह है । (प्रेमाश्रम, पृ .104)

154. उसकी यह आकांक्षा पूरी हुई तो फूली न समायगी और जो कहीं रानी की पदवी मिल गयी तो वह मेरा पानी भरेगी । (प्रेमाश्रम, पृ . 112)

155. यह पद पाकर दोरंगी चाल चलना सीख गया है । (प्रेमाश्रम, पृ. 150)

156. रिआया को सता कर , पीस कर मजबूत बनाते हैं और जैसे कौमी हमदर्दों के लिए मैदान साफ करते हैं । (प्रेमाश्रम, पृ. 198)

157. मनोहर को सबने तबेले का बन्दर बना रखा है । (प्रेमाश्रम, पृ.211)

158. इसके लिए मैं ने कितना संयम किया, कितनी योगक्रियाएं कीं, साधु–सन्तों की कितनी सेवा की, जड़ी–बूटियों की खोज में कहाँ–कहाँ मारा–मारा फिरा, तिब्बत और काश्मीर की खाक छानता फिरा , पर इस नराधम ने मेरी सारी आयोजनाओं पर पानी फेर दिया । (प्रेमाश्रम, पृ. 312)

159. उनके घरों में तो कुहराम मच जायगा । सब–के–सब मेरे खून के प्यासे हो जायेंगे । (प्रेमाश्रम, पृ. 335)

160. अपनी गोटी लाल करने के लिए वह गायत्री का एकान्त सेवन परमावश्यक समझते थे । (प्रेमाश्रम, पृ. 348)

161. मगर दुनिया में कैसे–कैसे लोग पड़े हुए हैं जो तर्क का नूरानी जाल फैलाकर सोने की चिड़िया फंसा लेते हैं । (प्रेमाश्राम, पृ. 366)

162. अब तेजशंकर को शंका होने लगी, विश्वास का नींव हिलने लगी । (प्रेमाश्रम, पृ. 386)

163. यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम लोग भी चार पैसे के आदमी हो गये । (प्रेमाश्रम, पृ. 405)

164. अपना मन, वचन, कर्म सब कुछ आहुति कर दी । (प्रेमाश्रम, पृ. 419)

165. मालगुजारी दाखिल करके चुपके घर चले आते हैं । नहीं तो हरदम जान सूली पर चढ़ी रहती थी । (प्रेमाश्रम, पृ.422)

166. पियादों की पूजा अलग करनी पड़ती थी । अब कुल 9 लगान देता हूँ । (प्रेमाश्रम, पृ.422)

167. तुम समझते होगे कि बड़ा मैदान मार आये हो और जो सुनेगा वह फूलों का हार लेकर तुम्हारे गले में डालने दौड़ेगा, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि तुम पुराने आदर्शों को भ्रष्ट कर रहे हो । (प्रतिज्ञा, पृ. 8)

168. बदरीप्रसाद के घर में मातम–सा छाया हुआ था । (प्रतिज्ञा, पृ.11)

169. पिताजी महीने में 40, 50 भेज देते हैं, इस घर में तो कानी कौड़ी भी न मिले । (प्रमिज्ञा, पृ.35)

170. भले आदमी, तुम्हारे लिए तो मैं ने अपने ऊपर इतना बडा जब्र किया और अब तुम कन्नियाँ काट रहे हो । (प्रतिज्ञा,पृ.40)

171. लिखावट देखकर पहले वह यही समझते थे कि अमृतराय ने क्षमा माँगी होगी; लेकिन पत्र पढ़ा तो आशा की वह पतली सी डोरी भी टूट गई । (प्रतिज्ञा, पृ. 43)

172. आप जैसे सरल जीव संसार में न होते तो ऐसे धूर्तों की थैलियां कौन भरता ।

(प्रतिज्ञा,पृ. 48)

173. यह वही दाननाथ है , जो दूसरों को चुटकियों में उड़ाया करते हैं , अच्छे–अच्छों का काफिया तंग कर देते हैं। । आज सारी बुद्धि घास खाने चली गई थी । (प्रतिज्ञा, पृ.74)

174. हमारे निज के संबंध पर उनकी आंच तक न आने पाये । (प्रतिज्ञा, पृ. 85)

175. भले आदमी ,विरोध ही करना था, तो अनाथालय बन जाने के बाद करते। तुमने रास्ते में कांटे बिखेर दिये । ( प्रतिज्ञा, पृ.85)

176. मैं ने हमेशा फटकार बताई है, तभी तो मुझसे लाला की कोर दबती है । (प्रतिज्ञा, पृ.102)

177. होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था । (गोदान , पृ. 12)

178. होरी प्रसन्न हो गया । मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी । (गोदान , पृ.26)

179. चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया । (गोदान, पृ. 26)

180. मैं इस औरत को क्या कहूँ । जब मेरी पीठ में धूल लगती है, तो इसी के कारन । (गोदान, पृ. 39)

181. एक उद्धंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था । उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही–सही कसर भी पूरी कर दी । (गोदान,पृ. 39)

182. वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ । (गोदान, पृ.42)

183. इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी । दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे, नहीं यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जायगा । (गोदान, पृ. 58)

184. मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मज़ा चखा देता। (गोदान, पृ.61)

185. मगर जब मालिक ललकारते हैं, तो फिर किसका डर ? तब तो वह मौत के मुह में भी कूद सकता है । (गोदान , पृ. 63)

186. सब के सब छटे हुए गुण्डे हैं । हराम के पैसे उड़ाते हैं और मूँछों पर ताव देते हैं । (गोदान, पृ. 64)

187. वह जो है मालती , जो बहत्तर घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है। (गोदान, पृ.65)

188. सोचा था, खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया । (गोदान, पृ. 82)

189. हमारे दिन पतले हैं; न जाने कब क्या हो जाय । (गोदान,पृ.90)

190. उस रात को जो झगड़ा हुआ था, उसी दिन से वह खार–खाए बैठा था (गोदान, पृ. 93)

191. होरी खून का घूँट पीकर रह गया । (गोदान , पृ. 96)

192. तुम्हारी अक्कल तो घास खा गई है । (गोदान , पृ. 101)

193. किसी ने उसे पानी भरने से रोका, तो उसका और अपना खून एक कर देगी । इस ललकार ने सभी के पित्त पानी कर दिए । ( गोदान,पृ.104)

194. बुरे दिन आते हैं बाबा, तो आदमी की मति फिर जाती है । (गोदान, पृ. 105)

195. बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विश्रृंखल हो जायगा–तार–तार हो जायगा । (गोदान, पृ.109)

196. यह सब हमारी जगह छीनकर माल मारना चाहते हैं । (गोदान, पृ.109)

197. उस निगोड़ी का पौरा जिस दिन से आया, घर तहस–नहस हो गया । (गोदान, पृ.128)

198. पंचों ने रायसाहब का यह फैसला सुना, तो नशा हिरन हो गया । (गोदान, पृ. 142)

199. अगर देर की, और ओंकारनाथ ने वह संवाद छाप दिया, तो उनके सारे यश में कालिमा पुत जायगी । (गोदान , पृ. 143)

200. यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाय कि रायसाहब किस तरह असामियों से जुरमाना वसूल करते हैं, तो बचा को लेने के देने पड़ जाय । ( गोदान, पृ. 143)

201. वे लोग रुपये पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे । (गोदान , पृ.168)

202. यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई । (गोदान , पृ. 175)

203. गोबर ने खूब नमक–मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तान्त कहा । (गोदान, पृ.179)

204. वह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था । (गोदान, पृ. 185)

205. उसका सारा घमण्ड चूर–चूर हो गया । (गोदान, पृ. 189)

206. आप एक लाख के लोभ से खड़े हो गए ; अगर गोटी लाल हो जाती , तो आज आप एक लाख के स्वामी होते ।( गोदान, पृ. 193)

207. आखिर मैं ने झक मारकर उनकी पूँछ पकड़ी । किसी न किसी तरह यह वैतरणी तो पार करनी है । (गोदान , पृ. 193)

208. यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी–सी पूजा करके नोखेराम से बहुत काम निकल सकता है । (गोदान, पृ. 223)

209. होरी को कबर न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है । कब दावा दायर हुआ । कब डिग्री हुई, उसे बिलकुल पता न चला । (गोदान, पृ. 225)

210. होरी को लालच आया । भगवान् ने छप्पर फाड़कर रुपए दिये हैं , तो जितना ले सके, उतना क्यों न ले । (गोदान, पृ. 227)

211. इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता है, और किसके पास है । तुमने मुझे डूबने से बचा लिया । (गोदान, पृ. 227)

212. मैं ने कह दिया , मेरे घर में न आया करो। तुम्हीं ने इस चुड़ैल का मिज़ाज आसमान पर चढ़ा दिया है । (गोदान, पृ. 234)

213. इसके दो महीने बाद एक दिन गाँव में यह खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी (गोदान, पृ. 247)

214. मातादीन को उसने मन में कितना पानी पी–पीकर कोसा था । अब वह उनसे क्षमादान मांगेगी । (गोदान , पृ.248)

215. वह नित्यप्रति लाठी टेकता हुआ पक्की सड़क पर आ बैठता और राहगीरोंकी जान की खैर मनाता । (रंगभूमि , पृ. 7)

216. अगर आज मालूम हो जाय कि किसी ने हमारे पापों का भार अपने सिर ले लिया, तो संसार में अंधेर मच जाय । (रंगभूमि , पृ.13)

217. एक–एक जजमान के पीछे लोहू की नदी बह जाती है । (रंगभूमि,पृ.23)

218. यहाँ से बिगड़कर गयी थी , समझा होगा घर से निकलते ही फूलों की सेज बिछी हुई मिलेगी । जब कहीं शरण न मिली, तो यह पत्र लिखवा दिया । अब आटे–दाल का भाव मालूम होगा । (रंगभूमि,पृ.46)

219. आज मैं लहू का घूँट पीकर रह गई ; नहीं तो जिन हाथों से तुमने उसे ढ़केला है, उसमें लूका लगा देती । (रंगभूमि , पृ. 62)

220. आज कोई मेरी पीठ पर खड़ा हो जाता ,तो भैरों मुझे रुलाकर यों मूँछो पर ताव देता हुआ न चला जाता । (रंगभूमि , पृ. 65)

221. उसे घर में आग लगानेवाली, विष की गांठ कहकर रुलाते । रंगभूमि ,पृ. 83)

222. मैं तो इधर आया था कि कहीं साहब मिल जाय, तो दो–दो बातें कर लूँ । (रंगभूमि , पृ .85)

223. आप लोग साम्यवाद का डंका बजाते फिरते हैं । (रंगभूमि, पृ.213)

224. अब भी तो मुश्किल से आधे आदमी बच रहे होंगे, सैंकडों निकाल दिये गए, सैंकड़ों जेल में ठूँस दिये गये, क्या इस कस्बे को बिलकुल मिट्टी में मिला देना चाहते हैं ? (रंगभूमि,पृ.296)

225. उनके लिए आने–जाने की कोई रोक–टोक न थी । और मि.क्लार्क से तो उनकी दांतकाटी रोटी थी । (रंगभूमि , पृ. 334)

226. यह बच्चों का खेल नहीं है , सांप के मुंह में उंगली डालना है, शेर से पंजा लेना है । (रंगभूमि, पृ.453)

227. यह कालिख तुमने उनके मुंह पर नहीं लगायी , अपने मुंह में लगायी है, तुम्हारे जिन्दगी–भर के किए–धरे पर स्याही फिर गई । (रंगभूमि, पृ. 567)

228. जब देवकुमार अपने चालीस वर्ष के विवाहित जीवन मे उसकी तृष्णा न मिटा सके तो अब उसका प्रयत्न करना वह पानी पीटने से कम व्यर्थ न समझते थे । (मंगलसूत्र,पृ.10)

229. पुष्पा के कहने में जो सत्य था वह तीर की तरह निशाने पर जा बैठा । (मंगलसूत्र, पृ.21)

## 2. कहावतें / लोकोक्तियाँ

लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक की उक्ति, अर्थात्– जन साधारण का कथन। जब हम लोकोक्ति के विषय में विचार करते हैं तो पता चलता है कि उसमें मनुष्य के अनुभव का सार होता है । यही अनुभव का सार कहावत के रूप में प्रचलित हो जाता है । प्रेमचंद ने इन्हीं उक्तियों का प्रयोग बहुत सहज ढंग से प्रयोग किया है । इन उक्तियों के माध्यम से उनकी भाषा बहुत प्रभावशाली बन गयी है । इन उक्तियों को विशेष अर्थ व्यक्त करने वाली 'प्रयुक्ति'के रूप में भी हम देख सकते हैं ।

उदाहरणार्थ :

1. हाथी मरे तों नौ लाख का । (निर्मला , पृ. 42)
2. हाथी के दांत दिखाने के और खिलाने के और । (निर्मला, पृ.47)
3. जैसा तेरा ताना बाना, वैसी मेरी भरनी । (निर्मला, पृ. 49)

4. नाटों खेती बहुरियां घर । (निर्मला,पृ.63)
5. जैसा किया वैसा भोगा । (निर्मला, पृ.194)
6. न आगे नाथ, न पीछे पगहा । (गबन, पृ. 36)
7. रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी । (गबन, पृ. 42)
8. पराये पैसे का हराम समझना । (गबन, पृ. 43)
9. भेख और भीख में सनातन का मित्र है । (गबन, पृ. 44)
10. मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता । (गबन, पृ.47)
11. न दीन का हुआ , न दुनिया का । (गबन, पृ.268)
12. सांड के सामने नाटा बैल । (कर्मभूमि, पृ.153)
13. छोटे मुंह बड़ी बात । (कर्मभूमि , पृ. 208)
14. घर की रोएं , बन की सोएं । (कायाकल्प, पृ. 327)
15. बनिया मारे जान, चोर मारे अनजान । (रंगभूमि, पृ.57)
16. बिन घरनी घर भूत का ड़ेरा। (रंगभूमि, वृ.359)
17. अकेला चना भाड़ नही फोड़ सकता । (गोदान, पृ.47)
18. नाम बड़े दर्शन थोड़े। (गोदान , पृ.55)
19. काज़ी के घर चूही भी सयाने । (गोदान, पृ.56)
20. जैसी रूह वैसे वरिश्ते । (गोदान, पृ. 72)
21. अब करो खेती और बजाओ बंसी । (गोदान, पृ. 130)
22. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का । (गोदान , पृ. 162)
23. होम करते हाथ जलते हैं । (प्रतिज्ञा, पृ. 48)
24. जहाँ न पैसे का खर्च है, न पिटने का भय–'हर्र लगे न फिटकरी और रंग चोखा।' (प्रतिज्ञा, पृ.123)
25. जिसने कांटे बोये हैं वह उनके फल खायगा । (प्रेमाश्रम, पृ.182)
26. हराम का धंन हराम की भेंट हो गया । (प्रेमाश्रम, पृ. 182)
27. जी ही से जहान है । (निर्मला, पृ. 206)
28. मियां की जूती मियां की चांद । (गबन, पृ. 14)

29. मुंह देखे की प्रीति थी । आंख ओट पहाड़ ओट । (गबन, पृ. 221)
30. लात की मारी रोटियाँ कंठ के नीचे न उतरेंगी । (कर्मभूमि, पृ. 43)
31. अब ओखली में सिर ड़ालकर तुम मसूलों से नहीं बच सकते । (कर्मभूमि, पृ.45)
32. ऊंट पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊंचाई देख चुका था । (कर्मभूमी,पृ. 48)
33. लातों की देवता कहीं बातों से मानते हैं ? (कर्मभूमि , पृ. 59)
34. राक्षस के घर ब्याही जोय, भून–भान कलेवा होय । (कायाकल्प, पृ. 189)
35. समय अजेय है, अमर है । (कायाकल्प, पृ. 185)
36. कुत्ते की दुम को सौ वर्षों तक गाड़ रखो, तो भी टेढ़ी–की–टेढ़ी । (रंगभूमि, पृ.189)
37. जबर मारे और रोने न दे । बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी । (रंगभूमि, पृ.196)
38. पराया माल अपने घर आकर अपना हो जाता है । (रंगभूमि, पृ.261)
39. निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है । (रंगभूमि, पृ.324)
40. तेली से ब्याह करके तेल का रोना । (रंगभूमि , पृ. 336)
41. काठ की हांडी बार–बार नहीं चढ़ती । (रंगभूमि, पृ.340)
42. कौवा धोने से बगुला नहीं होता । (रंगभूमि, वृ. 497)
43. ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या गम । (रंगभूमि, पृ. 345)
44. मर्द साठे पर पाठे होते हैं । (गोदान, पृ.8)
45. पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता । ( गोदान, पृ.187)
46. जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद करना । (गोदान , पृ. 189)
47. सैंया भये कोतवाल, अब डर काहे का । (गोदान, पृ. 222)
48. एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती । (गोदान, पृ. 252)
49. टूटे हुए तारों से मीठे स्वर नहीं निकलते । (प्रतिज्ञा, पृ. 34)
50. केले के लिए ठीकरा भी पैनी छुरी बन जाता है । (प्रतिज्ञा, पृ.110)

## 3. सूक्तियाँ

लोकभाषा की जीवन्तता उसकी सूक्तियों में भी छिपी होती हैं । उदाहरण के तौर पर नीचे प्रेमचंद के कथा–साहित्य में प्राप्त कुछ सूक्तियाँ 'प्रयुक्ति'के रूप में उल्लेख किया जा रहा है ।

1. औरत को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है । (निर्मला, पृ. 53)
2. जब हाथ से तीर निकल चुका था जब मुसफिर ने रकाब में पांव डाल दिया था (निर्मला, पृ. 125)
3. बुड्ढ़े बात बड़ी लच्छेदार करते हैं । जवान इतने डिगियल नहीं होते । (निर्मला, पृ.144)
4. नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है । (निर्मला, पृ.144)
5. आदमी हारता है तो अपने लड़कों से । (निर्मला, पृ.159)
6. दुखी हृदय दुखती हुई आंख है जिसमें हवासे भी पीड़ा होती है । (निर्मला, पृ.52)
7. अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए । (गबन, पृ.66)
8. दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्ते की जात तो पहचान ली जायगी । (गबन, पृ. 182)
9. जब अपने ही अपने न हुए तो बेगाने तो बेगाने हैं ही । (गबन, पृ. 199)
10. वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है, जो बातों में कट जाती है । (गबन, पृ.220)
11. सचमुच बाल–बच्चोंवाला आदमी नामर्द हो जाता है । (गबन, पृ.284)
12. विजय बहिर्मुखी होती है, पराजय अन्तर्मुखी । (गबन,पृ.99)

13. आदमी सारी दुनिया से परदा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से परदा नहीं रखता । (गबन,पृ.104)
14. शुभ उद्योग कुछ संक्रामक होता है । (कर्मभूमि,पृ.147)
15. आप सत्संगी है तो आप को तुरन्त 'बछिया के ताऊ' की उपाधि मिल जायगी । (सेवासदन, पृ.174)
16. बुद्धिमानों ने कहा है कि कोई काम बिना भली–भांति सोचे नहीं करना चाहिए। (सेवासदन, पृ..182)
17. युवति का घर से निकलना मुंह से बात का निकलना है । (सेवासदन, पृ.46)
18. कुमानुस के साथ कुमानुस बनने ही से काम चलता है । (कायाकल्प,पृ. 80)
19. कवियों ने सच कहा है, यौवन प्रौढ़ होकर और भी अजेय हो जाता है । (कायाकल्प,पृ.80)
20. जो लोग मीठी बातें करते हैं, उनके पेट में छुरी छिपी रहती है । (कायाकल्प, पृ.95)
21. कवि चौड़ी सड़क पर चलता है, प्रेमी तलवार की धार पर । (कायाकल्प,पृ.97)
22. मुलम्मे की जरूरत सोने को नहीं होती । (कायाकल्प, पृ.97)
23. धन ही पाप , द्वेष और अन्याय का मूल है। (कायाकल्प,पृ.143)
24. फूल सूँघने में ही अच्छा लगता है, खाने में नहीं, गरीबों का निबाह गरीबों में ही होता है। (कायाकल्प,पृ.192)
25. सूँघा हुआ फूल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता । (कायाकल्प, पृ.215)
26. पुरुष कितना ही विद्वान और अनुभवी हो , पर स्त्री को समझने में असमर्थ ही रहता है । (कायाकल्प, पृ. 269)
27. यह निरन्तर का नियम है कि लोहा को लोहा ही काटता है।(कायाकल्प, पृ.80)

28. अमीरों का स्वर्ग में जाना उतना ही असंभव है, जितना ऊंट का सुई की नोक में जाना । (रंगभूमि , पृ.30)
29. दान आलस्य का मूल है और आलस्य सब पापों का मूल है । (रंगभूमि, पृ. 42)
30. ' आपत्ति काल परखिये चारीं, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी। ' गोसाई (रंगभूमि, पृ.66)
31. अंधे पेट के बड़े गहरे होते हैं, इन्हें बड़ी दूर की सूझती है । (रंगभूमि,पृ. 362)
32. अंधों में मुरौवत नहीं होती । एक पासिन के पीछे । (रंगभूमि, पृ.478)
33. मुरौवत मुरौवत की जगह होती है, मुहब्बत मुहब्बत की जगह है । मुरौवत और मुहब्बत के पीछे कोई अपना परलोक न बिगाड़ेगा । (रंगभूमि, पृ.480)
34. चांद पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है । (रंगभूमि, पृ.555)
35. सदुद्योग कभी निष्फल नहीं होता । (गोदान , पृ. 56)
36. कर्ज वह मेहमान है, जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता । (गोदान, पृ.87)
37. हराम की कमाई हराम में जायगी। ( गोदान, पृ. 98)
38. अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोस (गोदान, पृ.203)
39. बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है । (गोदान, पृ. 232)
40. स्त्री पुरुष की भांति धैर्यवान है, शान्ति है । पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरूष के गुण आ जाते हैं तो वह कुल्टा बन जाती है । (गोदान, पृ.150)
41. सत्य की एक चिनगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है । (गोदान, पृ.133)
42. भगवान ने चप्पर फाड़कर रुपये दिए हैं । (गोदान , पृ.227)

43. अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं । पूरा पेट और दाई का खबर नहीं । (गोदान, पृ.232)
44. जिसके दांत नहीं दुखे, वह दांतों का दर्द क्या जाने । (गोदान, पृ.266)
45. सारी बुराइयों का जड़ पुरुष है । (प्रतिज्ञा, पृ. 17)
46. जवानी दीवानी होती है । (प्रतिज्ञा, पृ. 21)
47. गुण है कि दाम चौकस लेते हैं, पर माल खरा देते हैं । (प्रतिज्ञा, पृ. 72)

---

# संदर्भ ग्रंथ सूची


1. गबन
2. गोदन
3. निर्मला
4. सेवासदन
5. प्रेमाश्रम
6. कर्मभूमि
7. रंगभूमि
8. प्रतिज्ञा
9. कायाकल्प
10. मंगलसूत्र


---

# उपसंहार

# उपसंहार

भाषा विभिन्न स्तरों का एक समूह है। सामान्य भाषा, साहित्यिक भाषा, वैज्ञानिक भाषा, पत्रकारिता की भाषा, तकनीकी भाषा–ये भाषा के विभिन्न स्तर या आयाम है। परन्तु भाषा की प्रमुख विशेषता उसकी संप्रेषणीयता है। यह संप्रेषणीयता विभिन्न परिवेशों में प्रयुक्त भाषा के विभिन्न रूपों के लिए ज़रूरी है।

अलग–अलग परिवेशों में भाषा के अलग–अलग रूप होते हैं। उनका अलग–अलग प्रयोजन एवं प्रकार्य होता है।

सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि एक परिवेश या क्षेत्र की भाषा का प्रयोग दूसरे परिवेश या क्षेत्र में नहीं कर सकते। अर्थात् प्रयुक्तियों के बीच मिश्रण संभव नहीं है, पर शैलियों के बीच मिश्रण संभव है। स्पष्ट है कि भाषा के विभिन्न रूपों का अपना–अपना परिवेश या क्षेत्र या प्रकार्य होता है। यह बात प्रेमचन्द के उपन्यासों के संदर्भ–नियन्त्रित भाषा के उदाहरणों में देखा जा सकता है।

आधुनिक भाषाविज्ञान में भाषा को देखने की दो दृष्टियाँ प्रचलित हैं। एक दृष्टि यह बताती है कि ' भाषा क्या है ' , उसकी व्याकरणिक व्यवस्था कैसी है और संरचना के उसके नियम क्या है। दूसरी दृष्टि भाषा के व्यावहारिक पक्ष से संबद्ध होकर यह बताती है कि भाषा किन प्रयोजनों को साधती है, उसके प्रयोक्ता, भाषा से क्या कार्य लेते हैं। यह दूसरी दृष्टि मानती है कि कोई भी भाषा, व्यवहार के स्तर पर समरूपी नहीं होती। भाषा की विविधरूपता की परख उसके प्रयोग के धरातल पर होती है, जिसे भाषा–भेद (Language Variation) के सन्दर्भ में विवेचित किया गया है।

समाज में भाषा–भेद अनेक आयामों पर देखा जा सकता है – क्षैत्रीय आयाम पर, सामाजिक आयाम पर, सांस्कृतिक आयाम पर, शैलीय आयाम पर और विषय–भेद के आयाम पर।

प्रेमचन्द हिन्दी भाषा के व्यावहारिक रूप के समर्थ रचनाकार माने जाते हैं। आप हिन्दी कथा–साहित्य के प्रकाशवान स्तम्भ हैं। हिन्दी कथा–साहित्य की सर्वथा अभिनव रचना–दृष्टि एवं अभिव्यक्ति का नवीनतम आयाम आपकी मौलिक देन है। आपने हिन्दी गद्य को प्रवाहमय बनाने के साथ–साथ उसकी सामाजिक व्यावहारिकता को उक्त सभी स्तरों पर सिद्ध, समर्थ और संपन्न करके दिखाया है। वास्तव में आपने हिन्दी को प्रयोक्ता–सापेक्ष और प्रयोग–सापेक्ष–दोनों ही स्तरों पर उसके विविध व्यावहारिक, सामाजिक, प्रयुक्तिपरक भेदों के साथ इस्तेमाल किया है। तभी तो आपकी भाषा सहज और संप्रेषणीय बन सकी।

यही तो कारण है कि मैं ने अपने शोधप्रबन्ध के लिए प्रेमचन्द के उपन्यास साहित्य की भाषा को आधार बनाया है और उसमें प्रयुक्त हिन्दी भाषा के प्रयोजनपरक आयाम को केन्द्रीकृत करके शोधप्रबन्ध को आगे बढ़ाया है। साहित्यिक हिन्दी के प्रयोजनपरक आयाम के मूल में उसकी विशिष्ट प्रयुक्ति होती है। इसी बिन्दु को ध्यान में रखकर ही इस शोधप्रबन्ध में प्रेमचन्द के उपन्यासों में प्रयुक्त प्रयुक्तियों पर गहरा अध्ययन किया है।

इसके लिए मैंने प्रेमचन्द के निम्नांकित दस उपन्यासों को प्राथमिक आधार–सामग्री के रूप में चयन किया है – गबन, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवासदन, कायाकल्प और मंगलसूत्र।

द्वितीयक स्त्रोत के रूप में प्रेमचन्द के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित समीक्षात्मक ग्रन्थों का अवलोकन एवं अध्ययन किया है।

## अनुसन्धान–प्रविधि : (Research Methodology)

सभी उपन्यासों का गहरा अध्ययन करके उनमें प्राप्त साहित्यिक प्रयुक्तियों––लोकप्रयुक्तियों और समाजशास्त्रीय प्रयुक्तियों को खोज निकाला, वर्गीकृत किया और फिर उनका विश्लेषण किया।

प्रशासन, व्यवसाय, धर्म, दर्शन, कानून सम्बन्धी जो साहित्येतर प्रयुक्तियाँ प्रेमचन्द की भाषा में प्राप्त हैं, उनको भी खोज निकाला, उनका भी वर्गीकरण और विश्लेषण किया।

## विश्लेषण : (Analysis and Findings of the Study)

इस विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् यह तथ्य ढूँढ निकाला गया है कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में कौन–सी प्रयुक्ति अधिकांश पायी जाती है।

निष्कर्ष रूप में यह पाया गया है कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में ग्रामीण परिवेश के चित्रण के नाते लोकप्रयुक्तियों का बाहुल्य है। दूसरा स्थान समाज शास्त्रीय प्रयुक्तियों का है –– इस नाते मुहावरे, कहावतें एवं सूक्तियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग पाया जाता है। तीसरा स्थान राजनीतिक परिवेश एवं कानूनी परिवेश ने लिया है। इसलिए उन प्रयुक्तियों का भी थोड़ा–बहुत आधिक्य पाया जाता है। इन प्रयुक्तियों द्वारा यह बात स्पष्ट प्रकाश में आ रही है कि साहित्यिक हिन्दी का भी प्रयोजनपरक आयाम है।

## निष्कर्ष : (Conclusion)

साहित्यिक भाषा को एकदम प्रयोजनमूलक भाषा के विपरीत देखनेवालों से मैं यह बताना चाहती हूँ कि साहित्यिक भाषा का भी अपना अलग परिवेश है, उसका भी अपना खास प्रयोजन एवं प्रकार्य है और उसका प्रयोजनमूलक संदर्भ उसके पाठकों को रसविभोर करके उन्हें आनन्द प्रदान करता है और यह शोध

प्रबंध इस तथ्य को पाठकों के सम्मुख पेश करने का प्रथम प्रयास है तथा विद्वज्जनों और पाठकों से सुझाव की अपेक्षा रखता है।

---

# संदर्भ ग्रंथ सूची

# संदर्भ ग्रंथ सूची


| | | |
|---|---|---|
| 1. | भाषा विज्ञान | डॉ.भोलानाथ तिवारी<br>किताब महल,<br>इलाहाबाद<br>प्र.सं. – 1980 |
| 2. | प्रयोजनमूलक भाषा और कार्यालयी हिन्दी | डॉ.कृष्णकुमार गोस्वामी<br>कलिंग पब्लिकेशन,<br>10ए, पाकेट 1, मयूर विहार,<br>दिल्ली – 110 091<br>प्र.सं. – 1995 |
| 3. | प्रयोजनमूलक हिन्दी | डॉ.कृष्णकुमार गोस्वामी<br>कलिंग पब्लिकेशन,<br>10ए, पाकेट 1, मयूर विहार,<br>दिल्ली – 110 091<br>प्र.सं. – 1995 |
| 4. | प्रयोजनमूलक हिन्दी सिद्धान्त और प्रयोग | डॉ. दंगल झाल्टे<br>वाणी प्रकाशन,<br>21ए, दरियागंज,<br>नयी दिल्ली – 110 002<br>प्र.सं. – 1996 |
| 5. | प्रयोजनमूलक हिन्दी | डॉ.विनोद गोदरे<br>वाणी प्रकाशन,<br>21ए, दरियागंज,<br>नयी दिल्ली – 110 002<br>प्र.सं. – 1991 |
| 6. | व्यावसायिक हिन्दी | डॉ.दिलीप सिंह<br>संजय बुक सेन्टर<br>के – 38 / 6 , गोलन्धर<br>वारणासी – 221 001<br>प्र. सं. 1992 |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | प्रेमचन्द एक विवेचन | डॉ.इन्द्रनाथ मदान<br>राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.<br>फैज बाज़ार, दिल्ली – 110 006<br>प्र.सं. 1968 |
| 8. | हिन्दी साहित्य कोश भाग–2<br>(नामवाची शब्दावली) | धीरेन्द्र वर्मा<br>ज्ञानमंडल लिमिटेड, वारणासी–1<br>प्र.सं. आ.संवत – 2020 |
| 9. | कुछ विचार | प्रेमचन्द<br>सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद<br>वर्तमान संस्करण – 1982 |
| 10. | साहित्यिक निबंध | डॉ.गणपतिचन्द्र गुप्त<br>लोक भारती प्रकाशन<br>15-ए, महात्मागांधी मार्ग,<br>इलाहाबाद – 1 |
| 11. | हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ | डॉ.जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल<br>विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा<br>बारहवाँ संस्करण – 1985 |
| 12. | हिन्दी साहित्य का विकास | डॉ.गणपतिचन्द्र गुप्त<br>लोक भारती प्रकाशन<br>15-ए, महात्मागांधी मार्ग,<br>इलाहाबाद – 1<br>प्र.सं. 1971 |
| 13. | हिन्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तियाँ | डॉ.शिवकुमार शर्मा<br>अशोक प्रकाशन, नई सड़क,<br>दिल्ली – 6<br>अष्टम संस्करण – 1980 |
| 14. | प्रेमचन्द – कथा साहित्य समीक्षा और मूल्यांकन | डॉ.धर्मध्वज त्रिपाठी<br>प्रेम प्रकाशन मंदिर<br>3012, चर्खेवालान<br>दिल्ली – 110 006<br>प्र.सं. 1992 |

15. हिन्दी का सामाजिक संदर्भ — रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान
आगरा – 1
प्र.सं.1976

16. प्रेमचन्द — सत्येंद्र
राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि.
2/38 अंसारी मार्ग
दरियागंज
नई दिल्ली – 110002
चौथी आवृत्ति – 1998

17. अनुवाद कला — डॉ.एन. ई. विश्वनाथ अय्यर
प्रभात प्रकाशन, दिल्ली – 6
प्र.सं. 1994

18. शैक्षिक व्याकरण और व्यावहारिक हिन्दी — डॉ.कृष्णकुमार गोस्वामी
आलेख प्रकाशन,
वी–8 नवीन शाहदरा
दिल्ली – 110 032
प्र.सं.1981


## आधार ग्रन्थ


1. प्रतिज्ञा — प्रेमचन्द
सरस्वती प्रेस, बनारस
दसवाँ संस्करण – 1948

2. निर्मला — प्रेमचन्द
सरस्वती प्रेस,
2243, अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली – 110 002
वर्तमान संस्करण – 1982

3. रंगभूमि — प्रेमचन्द
सरस्वती प्रेस,
2143, अंसारी रोड, दरियागंज
नई दिल्ली – 110 002
संस्करण – 1981

| | | |
|---|---|---|
| 4. | सेवासदन | प्रेमचन्द<br>हंस प्रकाशन<br>इलाहाबाद<br>नवीन संस्करण – 1981 |
| 5. | कर्मभूमि | प्रेमचन्द<br>हंस प्रकाशन<br>इलाहाबाद<br>नवीन संस्करण– 1981 |
| 6. | गबन | प्रेमचन्द<br>हंस प्रकाशन<br>इलाहाबाद<br>नवीन संस्करण – 1982 |
| 7. | गोदान | प्रेमचन्द<br>सरस्वती प्रेस,<br>2243, अंसारी रोड, दरियागंज<br>नई दिल्ली – 110 002<br>वर्तमान संस्करण – 1981 |
| 8. | कायाकल्प | प्रेमचन्द<br>सरस्वती प्रेस,<br>2243, अंसारी रोड, दरियागंज<br>नई दिल्ली – 110 002<br>वर्तमान संस्करण – 1981 |
| 9. | प्रेमाश्रम | प्रेमचन्द<br>हंस प्रकाशन<br>इलाहाबाद<br>नवीन संस्करण – 1981 |
| 10. | मंगल सूत्र | प्रेमचन्द<br>हंस प्रकाशन<br>इलाहाबाद<br>वर्तमान संस्करण – 1991 |

पत्रिकाएँ :


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आलोचना | – | अंक 58 |
| 2. | पूर्णकुंभ | – | फरवरी, 1998 |
| 3. | साहित्य भारती | – | जनवरी – मार्च 1998 |
| 4. | गवेषणा | – | 67–68 / 1996 |

पत्र :

नवभारत टाइम्स